

वार्षिक प्रतिवेदन

2018-19



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अद्या कॉलोनी, भोपाल - 462016

वार्षिक प्रतिवेदन

2018–19



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, फैसला कॉलोनी, भोपाल - 462016

विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	01
1.1	राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य	01
1.2	क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व	02
1.3	विशिष्ट उपलब्धियां	03
2.	राज्य बोर्ड का गठन	13
3.	बोर्ड की बैठकें	14
4.	जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र	15
4.1	जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम	15
4.2	प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी	16
4.3	विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)	16
4.4	भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति(मीनार्स)	16
4.5	नदियों के जल की गुणवत्ता	24
4.6	बेसिन के अनुसार प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता	35
4.7	मूर्ति विसर्जन	54
4.8	वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम	57
4.9	प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु की स्थिति	62
4.10	वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण	81
4.11	ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण	84
5	पर्यावरणीय समस्यायें और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति	87
5.1	उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति	87
5.2	उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति	88
5.3	उद्योगों / संस्थानों / खदानों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियां	88
5.4	उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण	89
5.5	पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट	89
5.6	वृक्षारोपण	90
5.7	पर्यावरण विवरण	90
5.8	जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन	90
5.9	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन	90 3
5.10	17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों का विवरण	90

	5.11	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन	90
	5.12	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन	92
	5.13	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	94
	5.14	बैटरी प्रबंधन एवं हथालन	94
	5.15	ई-वेस्ट प्रबंधन	95
	5.16	अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन	98
	5.17	फलाई ऐश प्रबंधन	99
	5.18	घरेलू दूषित जल-मल उपचार व्यवस्था	99
	5.19	खदानों में पर्यावरण प्रबंधन	103
6		पर्यावरणीय अनुसंधान	104
7		पर्यावरणीय प्रशिक्षण	111
8		पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी	114
9		पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही	124
10		वित्त एवं लेखे	133
11		महत्वपूर्ण कार्य	134
	11.1	जल उपकर	134
	11.2	सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं क्रियान्वयन	134
		परिशिष्ट	137
1		राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची	137
2		बोर्ड की मुख्यालय स्तर पर संरचना एवं प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यालय	138
3		पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची	139
4		जल उपचार संयंत्र लगाने/उन्नयन करने वाले उद्योगों/संस्थानों एवं खदानों की सूची	143
5		वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने/उन्नयन करने वाले उद्योगों एवं संस्थानों की सूची	152
	6	17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	171

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2018–2019 का वार्षिक प्रतिवेदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35(2) के परिपालन में राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है :—

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (जून 2017 तक)
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत,
 - 4.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
 - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 2000
 - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016.
 - 4.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 4.5 निर्माण एवं विधवंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
 - 4.7 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
 - 4.8 फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 1999 यथा संशोधित 2003, 2009 एवं 2016
 - 4.9 कैमिकल एक्सीडेंट (इमरजेन्सी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एवं रिस्पांस) नियम, 1996
 - 4.10 ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एवं कन्ट्रोल) नियम, 2000
 - 4.11 अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
5. मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
- 5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। इसके साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी प्रयोगशालाएँ पर्यावरणीय प्रदूषकों के विश्लेषण हेतु कार्यरत हैं।

1.1 राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना।
- मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्तरालों पर जैसा आवश्यक समझौं, ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिए बहिःस्त्राव मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना।
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से, जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषकों के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करना।
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियाँ निकालना।
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियाँ विकसित करना।
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियाँ विकसित करना।
- सरिताओं या कुँओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे वापस लेना।
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएँ का प्रदूषण संभाव्य है।
- सरिता या कुएँ से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, एवं ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या उसे समय—समय पर सौंपे जायें।

1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख दायित्व

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की (मॉनिटरिंग)।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जाँच कार्य।
- प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मॉनिटरिंग।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना, सम्मति का नवीनीकरण करना।
- वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही करना।
- पर्यावरणीय नियमों के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- जिला प्रशासन के साथ पर्यावरणीय मसलों पर समन्वय।

1.3 विशिष्ट उपलब्धियां—


आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा इकिवटी पार्टीसिपेशन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा इकिवटी पार्टीसिपेशन के आधार पर की गई है, इसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र को मध्यप्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु 'नोडल ऐजेन्सी' घोषित किया है। इस केन्द्र द्वारा राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय किया जाता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय, अर्ध-शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्तमान में कुल 376 उद्योगों द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की है।

पर्यावरण निगरानी केन्द्र (इनवायरोमेन्ट सर्वलेंस सेन्टर –ESC)

प्रदूषणकारी उद्योगों की सतत् रूप से निगरानी हेतु जनवरी 2016 में पर्यावरण निगरानी केन्द्र की स्थापना की गई है। सतत् निगरानी से प्रदूषण की स्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उसे नियंत्रण करने एवं उद्योगों को प्रदत्त निर्धारित प्रदूषण के मापदण्डों को पालन करने में सहायता प्राप्त होती है। स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन एवं आवश्यकतानुसार उन्नयन हेतु संबंधित कार्य इसी केन्द्र के द्वारा किया जाता है।


प्रथम चरण में 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों को चिह्नित कर सभी उद्योगों का सतत् निगरानी कार्य जारी है। लाल एवं नारंगी श्रेणी में चिह्नित उद्योगों को भी सतत् निगरानी के दायरे में लाकर निगरानी कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अन्तर्गत उद्योगों द्वारा सतत् स्त्रोत उत्सर्जन मापन उपकरण (CEMS), सतत् दूषित जल गुणवत्ता मापन उपकरण (CEQMS), सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन उपकरण (CAAQMS), आई.पी.पी.टी.जेड कैमरा आदि व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं, जिनके माध्यम से अविरत परिणाम ESC को प्राप्त होते हैं। जिससे उद्योगों की प्रदूषण की स्थिति की निगरानी लगातार संभव हो पाती है।



उद्योगों के अतिरिक्त कॉमन बायोमेडीकल वेर्स्ट, नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, औद्योगिक निस्त्राव आदि उपचारित करने वाली फेसिलिटीज से होने वाले प्रदूषण की भी सतत् निगरानी इस केन्द्र द्वारा की जाती है।

प्रदेश में वर्तमान में 96 अति प्रदूषणकारी उद्योगों में से 91 उद्योगों द्वारा सतत् निगरानी उपकरण स्थापित कर संचालित किए गये हैं इनके अतिरिक्त 82 अन्य प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा भी सतत् निगरानी उपकरण स्थापित किये गये हैं। कुल 240 स्त्रोत मॉनिटरिंग उपकरण, 93 सतत् परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग उपकरण, 63 सतत् दूषित निस्त्राव मापक उपकरण 109 आई.पी. कैमरे उद्योगों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं।

Number of Real Time Monitoring System Installed in the State



प्रदेश में पाँच स्थानों, पीथमपुर, मंडीदीप, सिंगरौली, देवास एवं उज्जैन में परिवेशीय वायु की सतत् निगरानी हेतु उपकरण स्थापित किये गए हैं। जिसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता अविरत प्राप्त होती है। उक्त गुणवत्ता को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल से भी जोड़ दिया

गया है जिससे प्रदेश के साथ ही URL के माध्यम से व्यापक रूप से देखा जा सकें। सतत् परिवेशीय वायु मापन उपकरणों (CAAQMS) द्वारा सभी निर्धारित प्रदूषकों का मापन कार्य किया जाता है।

बोर्ड द्वारा आगामी योजनान्तर्गत अन्य शहरों में भी CAAQMS स्थापित किया जाना है, इसमें प्रदेश के बड़े शहरों में सतत् ध्वनि प्रदूषण मापक एवं चिन्हित महत्वपूर्ण जल स्रोतों में भी सतत् निगरानी उपकरण लगाने की योजना है। ESC की समस्त गतिविधियाँ वेबसाइट www.erc.mp.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

औद्योगिक प्रदूषण की गुणवत्ता की सतत् निगरानी के लिये आधुनिक तकनीकी के बारे में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदेश में स्थित समस्त कार्यालयों के संबंधित अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं को कार्यक्रम में स्थल भ्रमण माध्यम से मैदानी कार्य का अनुभव भी दिया गया।


माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप आम—जन औद्योगिक प्रदूषण की सतत् जानकारी प्राप्त कर सकें, इस हेतु ESC द्वारा एक यूजर फ्रेंडली एप सर्वलेंस मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) के नाम से तैयार किया है। जिसके माध्यम से समस्त संबंधित एवं आम—जन प्रदूषण मॉनिटरिंग परिणाम सतत् रूप से क्षेत्रीय कार्यालय के आधार पर, उद्योग की श्रेणी के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से देख सकते हैं।

ई—आफिस की अवधारणा के अंतर्गत निगरानी केन्द्र द्वारा कार्यालय के मॉनिटरिंग एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों के सुदृढ़ संधारण, आटोमेंशन एवं मैनेजमेंट हेतु डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, उक्त मैनेजमेंट सिस्टम वेब इनेबल्ड है। अतः इसे नेटवर्क पर किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है।


ESC द्वारा तैयार किये गए यूआई. एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदेश के दूरस्त CAAQMS से परिवेशीय स्टेशनों की सतत् जानकारी मुख्यालय एव सर्व संबंधितों को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में उद्योगों द्वारा स्थापित किये गए समस्त CAAQMS के प्राप्त सतत् डाटा के आधार पर संबंधित क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) भी जन—सामान्य हेतु वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। उद्योगों द्वारा स्थापित CAAQMS का ए.क्यू.आई. प्रदर्शित करने संबंधित कार्य देश में प्रथम बार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त सभी स्टेशनों की ए.क्यू.आई. मोबाइल एप में दिखाने के व्यवस्था भी बोर्ड द्वारा की गई है तथा व्हाट्सएप के माध्यम से सभी गणमान्य नागरिकों को मध्यप्रदेश के अलग—अलग स्थानों की ए.क्यू.आई. भेजी जा रही है।


पूर्व में उद्योगों की रियल टाइम मॉनिटरिंग उद्योगों के पोर्टल के माध्यम से की जाती थी जिसमें अत्यधिक समय व्यय होता था एवं प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता भी संदेहपूर्ण रहती थी। इसी समस्या के निराकरण हेतु निगरानी केन्द्र द्वारा 'सर्वेलेंस मेनैजमेंट सिस्टम' नामित सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके माध्यम से सभी उद्योगों की आनलाइन रीयल टाइम मॉनिटरिंग कर इसी सॉफ्टवेयर द्वारा ई. मेल के माध्यम से एलर्ट मेसेज उद्योगों को भेजे जा सकते हैं। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से उद्योगों की निगरानी मोबाइल फोन पर भी की जा सकती है।

पर्यावरण के प्रति जनचेतना हेतु प्रदेश स्तर पर एल.ई.डी. डिस्प्ले पेनल्स लगाए गए हैं। इन पेनल्स पर आमजनों हेतु शहरों की परिवेशीय वायु की गुणवत्ता की अद्यतन जानकारी लगातार प्रेषित करने के साथ ही जन-जाग्रति संबंधी जानकारी भी डिस्प्ले कराई जाती है। उक्त कार्य हेतु यूटीलिटी एप्लीकेशन बनाने का कार्य एवं सर्वर का संचालन पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा ही किया जाता है।



City Wise Annual Comparative Trend of Ambient Gases (Year - 2018)





Stakeholders' Meet Conducted by Environment Surveillance Centre



Technology Exposure at ESC under MoEF&CC Green Skill Development Programme

आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा इकिवटी पार्टीसिपेशन के आधार पर की गई है, इसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र को मध्यप्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु 'नोडल एजेन्सी घोषित किया है। इस केन्द्र द्वारा राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय किया जाता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय, अर्ध-शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्तमान में कुल 376 उद्योगों द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की है।

पर्यावरण पुरस्कार का वितरण

म.प्र.शासन द्वारा पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के अत्यन्त प्रदूषकारी उद्योग, सामान्य उद्योग, लघु उद्योग, खदानें, नगर निगम एवं नगरपालिका/परिषद को प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2016–17 हेतु पर्यावरण पुरस्कार दिनांक 05 जून, 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समन्वय भवन, न्यू मार्केट, भोपाल में निम्नानुसार प्रदान किये गये:—

श्रेणी	पुरस्कृत उद्योग/संस्थाएं
अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग	<ul style="list-style-type: none"> ● मेसर्स प्रतिभा सिन्टेक्स लिमि. यूनिट- ॥ पीथमपुर, जिला—धार। ● मेसर्स गोदरेज कन्जूमर प्रोडक्ट्स लिमि. मालनपुर, जिला—भिण्ड।
सामान्य उद्योग	<ul style="list-style-type: none"> ● मेसर्स आयशर ट्रेक्टर, मंडीदीप, जिला—रायसेन। ● मेसर्स जे.के. व्हाइट, कटनी, जिला—कटनी।
लघु उद्योग	<ul style="list-style-type: none"> ● मेसर्स मध्यांचल स्टील प्रा.लि., इण्डस्ट्रियल एरिया, सांवर रोड, इंदौर जिला इन्दौर।
उत्खननरत् खदानें	<ul style="list-style-type: none"> ● मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी एंड सन्स (मेंगनीज माइन्स), बालाघाट जिला—बालाघाट। ● मेसर्स बिजुरी अण्डरग्राउण्ड माइन्स, एस.ई.सी.एल., कोतमा, जिला—अनूपपुर।
नगर पालिका निगम	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर पालिका निगम, इंदौर
नगर पालिका/परिषद	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर पालिका परिषद, खरगौन

म.प्र. शासन की पर्यावरण पुरस्कार योजना का अधिक व्यापक प्रसार—प्रचार एवं आमजनों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि से म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अशासकीय संस्थान/एन.जी.ओ. तथा व्यक्ति विशेष को भी वर्ष 2016–17 में पर्यावरण पुरस्कार के साथ—साथ सम्मानित किया गया जो कि निम्नानुसार है :—

अशासकीय संस्था/ एन.जी.ओ.	<ul style="list-style-type: none"> ● जय माता दी समिति, सांडिया रोड, पिपरिया, होशंगाबाद। ● मुक्तिधाम सेवा समिति, विदिशा। ● कदम संस्था, जबलपुर।
व्यक्ति/ संस्थान	<ul style="list-style-type: none"> ● श्री पन्नालाल अवस्थी, चित्रकूट, सतना। ● श्रीमति अर्चना पस्तारिया, भोपाल। ● श्री सुधीर शर्मा, धार।



विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित उद्योग के प्रतिनिधि

सतत् वायु एवं जल गुणवत्ता मापन के तहत् मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन साधारण को प्रदेश की वायु गुणवत्ता की नियमित रूप से जानकारी देने बाबत् गत् वर्ष 05 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों/शहरों (उज्जैन, देवास, पीथमपुर, सिंगरौली, मण्डीदीप) में सतत् वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र की स्थापना करायी गई थी। विचाराधीन वर्ष में सी.एस.आर. (सोशल कार्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी) के तहत् प्रदेश के 06 शहरों दमोह, सतना, मैहर, रतलाम, इन्दौर एवं नागदा में सतत् वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र की स्थापना करायी गयी है। इसके साथ ही 4 शहरों में वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु 9 डिस्प्ले बोर्ड की भी स्थापना करायी गई है। इन वायु गुणवत्ता केन्द्रों द्वारा 24 घण्टे वायु गुणवत्ता की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड व बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही 05 शहरों (भोपाल, जबलपुर, कटनी, इन्दौर एवं ग्वालियर) में सतत् वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र की स्थापना करायी जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

नर्मदा नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास

नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु बोर्ड द्वारा सार्थक कार्यवाही की गई है। नर्मदा नदी के कैचमेंट में स्थापित 11 मुख्य जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सक्षम दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है तथा इनमें सभी उद्योगों में "शून्य निःस्त्राव" की स्थिति है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत होशंगाबाद में कार्यरत मेसर्स सिक्यूरिटी पेपर मिल, जिसका पूर्व में 16 हजार कि.ली./दिन उपचारित जल नर्मदा नदी में निस्सारित होता था, उसकी मात्रा लगभग 2500 कि.ली./दिन हो गई है तथा इस उपचारित निःस्त्राव को रिसायकिलंग/वृक्षारोपण में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी की सहायक नदी गौर व परियट के किनारे स्थापित डेयरी उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की गई है।

अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नर्मदा नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग 50 बिन्दुओं पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2018 में कराई गयी जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के परिणामों

के अनुसार नदी जल गुणवत्ता भारतीय मानक—2296 के अनुसार 'ए' तथा 'बी' श्रेणी में है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी की जलगुणवत्ता मापन हेतु ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम कार्यरत् है एवं नदी जल गुणवत्ता को बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया तथा ए.क्यू.आई. को बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है। इन शहरों में ध्वनि प्रदूषण तथा वाहनों का प्रदूषण मापन का कार्य किया गया है।

मूर्ति विसर्जन के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा—निर्देशों का पालन हेतु नगरीय निकायों के माध्यम से नर्मदा नदी के तटों पर पृथक मूर्ति विसर्जन कुण्डों की स्थापना कराई गई है।

जन—जागरूकता कार्यक्रम

बोर्ड के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अमरकंटक, डिणडौरी, मण्डला, जबलपुर, बरमानघाट, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, धरमपुरी अलीराजपुर आदि प्रमुख स्थानों एवं स्नान घाटों पर जन—जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली, नुककड़ नाटक, वॉलपेंटिंग, पेम्पलेट वितरण, घाटों की सफाई, सेमीनार, वर्कशॉप, परिचर्चा का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। दिसम्बर 2018 तक बोर्ड द्वारा प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से कुल 91 कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें संगोष्ठियां व रैलियां शामिल हैं। इसमें स्थानीय नागरिकों, सामाजिक—धार्मिक संस्थाओं, शासकीय—अशासकीय संस्थाओं, व्यवसायी वर्ग आदि सभी को इस नर्मदा नदी प्रदूषण शमन अभियान से जोड़ा गया।



नर्मदा जयंती 2018 के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, धार द्वारा जन—जागृति कार्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय निकाय के अधिकारियों, औद्योगिक संस्थानों, साधु संतो तथा आम जनता के साथ बैठकें आयोजित कर जन-जागरूकता कार्यक्रम व्यापक स्तर पर कराया गया तथा नर्मदा नदी के आस-पास स्थित शहरों में पॉलीथीन जप्त करने का कार्य भी किया गया।

विभागीय समीक्षा

मा. मंत्रीजी, श्री सज्जनसिंह वर्मा, पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2018 को पर्यावरण विभाग की समीक्षा म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय में की गई। समीक्षा में प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं अध्यक्ष म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अनुपम राजन, कार्यपालन संचालक, एप्को श्री जितेन्द्र सिंह राजे, श्री ए.ए.मिश्रा, सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उप सचिव, डॉ. कैलाश बुन्देला एवं बोर्ड के समस्त वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा पर्यावरण विभाग तथा म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों को पावर पाईट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से बताया गया। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की ओर से कार्यपालन संचालक द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई।



दिनांक 29 दिसम्बर 2018 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक

पर्यावरणीय उन्नति संबंधी प्रशस्ति

इंडिया टुडे विशिष्ट अंक दिसम्बर 2018 में देश के सभी राज्यों की सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश को पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक सुधाररत राज्य Most Improved Environmental State घोषित किया गया है। रिपोर्ट में उद्योगों से शून्य निस्त्राव, नदी की जल गुणवत्ता में सुधार, पॉलीथीन पर प्रतिबंध के संबंध में की गई कार्यवाही, प्लास्टिक अपशिष्ट को-प्रोसेसिंग, उद्योगों में वायु प्रदूषण रोकने हेतु बैग फिल्टरों की स्थापना इत्यादि कार्यों को सराहा गया है।

सम्मति/प्राधिकार एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्णतः ऑन–लाईन बनाना

आलौच्य वर्ष में बोर्ड में जल एवं वायु सम्मति तथा खतरनाक अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार संबंधी ऑन लाईन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुये जीव चिकित्सा अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई–वेस्ट नियम के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुमति/ प्राधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया ऑन लाईन की गई ।

नदियों की जल गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना

प्रदेश की 76 नदियों के 252 बिन्दुओं के मॉनीटरिंग कार्यक्रम को पुनरीक्षित किया गया, जिसमें नदियों एवं उनके ऐसे भाग जिनमें बहाव नहीं पाया गया उनके स्थान पर नई नदी एवं स्थल चिह्नित करते हुये इस वर्ष 89 नदियों के 254 बिन्दुओं पर जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्य कराया गया ।

प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यवाही करना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 22 river stretch को polluted घोषित किया गया है। बोर्ड द्वारा Priority I एवं priority II में आने वाली 4 नदियों खान (इन्दौर से उज्जैन) क्षिप्रा (त्रिवेणी घाट से उज्जैन शहर की बाहरी सीमा) चम्बल (नागदा से ताल डेम) बेतवा (मण्डीदीप से विदिशा) तक के भाग के rejuvenation हेतु action plan बनाये जाकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदित कराया गया ।

औद्योगिक इकाईयों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्यवाही

बुरहानपुर में लघु श्रेणी अन्तर्गत स्थापित 22 टेक्सटाईल उद्योगों की विमनियों से निकलने वाले काले ध्रुँ एवं के नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं इन्दौर शहर की 17 रोलिंग मिल में बैग फिल्टर की स्थापना कराई गई ।

प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही

जल/वायु/पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली 63 इकाईयों के विरुद्ध न्यायालयीन वाद दायर कराये गये ।

नॉन अटेनमेंट सिटी हेतु कार्ययोजना तैयार की जाना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नॉन अटेनमेंट सिटी में शामिल प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, देवास एवं सागर शहरों के एक्शन प्लान तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गये ।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किये गये प्रयास

प्रदेश के सभी कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई। 24 मई 2017 को सम्पूर्ण प्रदेश में पोलिथिन कैरी बैग पर प्रतिबंध उपरांत वर्ष 2017–18 में छापामार में 27.23 मिट्रिक टन पोलिथिन कैरी बैग की जप्ती हुई। इस कार्यवाही को नगरीय निकायों के सहयोग से और सघन किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष 18–19 में 51.55 मिट्रिक टन पोलिथिन जप्त हुई एवं 42.21 लाख की पेनल्टी अधिरोपित हुई। वर्ष 2018–19 में सीमेंट किलन में 18283 मेट्रिक टन अमानक पोलिथिन अपशिष्ट का सहदहन कराया गया । पूरे राज्य हेतु प्लास्टिक बेस्ट कलेक्शन एवं सेगरीगेशन संबंधी एक्शन प्लान बनाकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कराया गया ।

फलाई ऐश प्रबंधन

वर्ष 2017–18 तक प्रदेश में 97 लाख मेट्रिक टन फलाई ऐश का उपयोग होता था। बोर्ड द्वारा नियमित समीक्षा के फलस्वरूप इस वर्ष 23 लाख मेट्रिक टन फलाई ऐश का उपयोग बढ़कर कुल फलाई ऐश उपयोग 120 लाख मेट्रिक टन हो गया।

फलाई ऐश के अनुपयोगी खदान में भराव हेतु खदानों का चिन्हीकरण करते हुये, 7 खदानों को फलाई ऐश भराव की अनुमति दी गई, वर्तमान में एन.सी.एल. सिंगरौली की गोरमी खदान में फलाई ऐश भराव कार्य चालू कराया गया। इसके साथ ही फलाई ऐश के लो–लाइंग एरिया में फिलिंग की अनुमति दी जाकर फलाई ऐश के उपयोग में बढ़ोत्तरी हेतु प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं।

खतरनाक अपशिष्ठ अपवहन ट्रेकिंग व्यवस्था लागू करना

हेजार्डस वेस्ट के सुरक्षित निष्पादन हेतु “हेजार्डस वेस्ट ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर” बनाकर लागू कराया गया।

बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला के एनएबीएल प्रमाणीकरण में नये पैरामीटर को जोड़ना

मुख्यालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला में इस वर्ष पीएम 2.5 पीएम 10 एसओ 2 एवं एनओएक्स के विश्लेषण हेतु एनएबीएल अनुप्रमाणन प्राप्त किया गया।

जिला मुख्यालय में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन

प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में वायु गुणवत्ता मापन हेतु पीएम 2.5, एवं पीएम 10, उपकरण उपलब्ध कराये गये एवं हर जिले में पीएम 10, पीएम 2.5, एसओ2 एवं एनओएक्स की मॉनीटरिंग कार्य प्रारम्भ किया गया।

जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही

जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के दायरे से कई वर्षों तक बाहर रहे शासकीय चिकित्सालयों को प्राधिकार के दायरे में लाते हुये आलौच्य वर्ष में 1065 प्राधिकार प्रदान कराये गये। जीव चिकित्सा अपशिष्ठों का संग्रहण कर प्रदेश में स्थापित 12 उपचार व्यवस्थाओं तक परिवहन करने वाले सभी 820 वाहनों में जीपीएस उपकरणों की स्थापना कराई जाकर ट्रेकिंग व्यवस्था लागू कराई गई है।

रेल्वे साइडिंग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

प्रदेश में स्थित ऐसी रेल्वे साइडिंग, जहां से कोयले का लदान होता है, वहां से आस-पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या परिलक्षित होती है। इन रेल्वे साइडिंग को पर्यावरणीय नियमों के दायरे में लाकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ करायी गयी है।

2. राज्य बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा—4 (2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जाता है। संचालक मंडल में 17 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 17 सदस्यीय संचालक मंडल में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, स्थानीय निकायों के पांच प्रतिनिधि, कृषि, मछली पालन एवं उद्योग की श्रेणी से तीन अशासकीय सदस्य तथा राज्य शासन के स्वामित्व/नियंत्रण द्वारा संचालित किये जाने वाले निगमों या कम्पनियों के दो प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट—1 में तथा संगठनात्मक संरचना एवं कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट—2 में प्रस्तुत है।

3. बोर्ड की बैठकें

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा— 8 के अनुसार विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की 03 बैठकें आयोजित की गईः :

बोर्ड की बैठकें

क्रमांक	बैठक की संख्या	तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	147 वीं	14 / 05 / 2018	भोपाल	08
2.	148 वीं	04 / 10 / 2018	भोपाल	08
3.	149 वीं	20 / 03 / 2019	भोपाल	06

बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को संक्षिप्त विवरण

- पर्यावरण अधिनियमों के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी किये जाने वाले सम्मति/प्राधिकार शुल्क पुर्णनिर्धारित किया गया।
- बोर्ड की क्रय मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया।
- प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- बोर्ड के सेवा भर्ती विनियमों में संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी किये जाने वाले सम्मति/प्राधिकार हेतु शुल्क संशोधित किया गया।
- पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अशासकीय संगठन एवं व्यक्तियों को पुरुस्कृत करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु मध्यप्रदेश शासन के समान 62 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान पर स्वीकृति प्रदान की गई।
- विभिन्न न्यायालयों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु अधिवक्ता को पेनल में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

4. जल एवं वायु गुणवत्ता के लिए प्रबोधन तंत्र

4.1 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

नदियाँ प्रदेश में सतही जल का प्रमुख स्रोत हैं तथा प्रदेश सिंचाई, पीने के पानी एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए नदियों के जल पर निर्भर है। भूमि के अतिरिक्त जल का निकास, घरेलू एवं औद्योगिक दूषित जल का प्राकृतिक प्रवाह नदियों की ओर होने के कारण जल प्रदूषण की संभावना होती है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य उददेश्य प्रदेश की जल गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना एवं उसकी गुणवत्ता को बनाये रखना है।


अतः बोर्ड द्वारा प्रदेश की प्रमुख नदियों, झीलों/तालाबों एवं भू-जल की मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। यह कार्य मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय, भोपाल में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। जल स्रोतों की निगरानी हेतु बोर्ड द्वारा वार्षिक मॉनिटरिंग पैकेज तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मॉनिटरिंग व विश्लेषण कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

मध्यप्रदेश में प्रमुख रूप से निम्नलिखित पाँच रिवर बेसिन आते हैं :-

क्रमांक	बेसिन का नाम	प्रमुख नदियों के नाम
1	गंगा बेसिन	टोन्स, सोन, चम्बल, सिंध, जमुनी, बेतवा, धसान तथा केन
2	नर्मदा बेसिन	नर्मदा, बंजर, तवा, कोलार, हिरन, सुखता तथा गोई
3	गोदावरी बेसिन	कन्हान, पेंच तथा बेनगंगा नदी
4	ताप्ती बेसिन	ताप्ती नदी
5	माही बेसिन	माही एवं अनास नदी

प्रदेश की प्रमुख नदियों के प्रवाह क्षेत्र (रिवर बेसिन) तथा नदियों को नक्शा क्रमांक -1 में दर्शाया गया है।

MAIN RIVER BASINS OF MADHYA PRADESH




4.2 प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी

प्राकृतिक जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच हेतु प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलों, बॉधों, तालाबों, नालों एवं भू-जल स्रोतों से जल नमूने एकत्रित कर नमूने विश्लेषित किये जाते हैं।

वर्ष 2018–19 में जल गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत 85 प्रमुख सहायक नदियों, 94 झीलों/बॉधों/तालाबों, 121 नालों एवं 503 भू-जल स्रोतों की जल गुणवत्ता मापन को सम्मिलित किया गया है।

बोर्ड द्वारा जल गुणवत्ता सूचकांक (Water Quality Index) को बोर्ड की वेबसाइट (www.mppcb.nic.in) पर जन सामान्य हेतु प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे प्रतिमाह अपडेट किया जाता है।




केन्द्र प्रवर्तित योजनायें : (वर्ष 2018–19)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों के जल गुणवत्ता आंकलन हेतु योजनायें प्रायोजित की जाती हैं। यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, जल गुणवत्ता संबंधित ऑकड़ों की विश्वसनीयता विस्तार तथा प्रदूषणकारी पदार्थों का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

4.3 विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्त्रोतों के जल गुणवत्ता आंकलन हेतु योजनायें प्रायोजित की जाती है। यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, जल गुणवत्ता संबंधित ऑकड़ों की विश्वसनीयता विस्तार तथा प्रदूषणकारी पदार्थों का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :—


4.4 भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से मीनार्स परियोजना प्रारम्भ की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय प्रबोधन पद्धति परियोजना के अंतर्गत राज्य के 183 सेम्प्लिंग बिन्दुओं से जल नमूने एकत्रित कर वर्ष 2018– 2019 के दौरान कुल 1658 नमूने विश्लेषित किये गये। परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑन लाइन प्रेषित

किये गये, साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सॉफ्टवेयर/केलकूलेटर का उपयोग करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है, कि जल गुणवत्ता संतोषजनक है अथवा असंतोषजनक। सामान्य जनता को जल गुणवत्ता से अवगत कराने हेतु प्रतिमाह जल गुणवत्ता सूचकांक (WQI) की जानकारी बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है तथा डाटा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयवार प्राकृतिक जल स्त्रोतों के 188 सेम्प्लिंग बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है :—



वर्ष 2018– 19 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सह-प्रायोजित कार्यक्रम के कुल 188 स्थलों की जिलावार सूची :—

जिला	क्र.	कोड क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल
भोपाल	1	1373	बड़ा तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, कमला पार्क, भोपाल
	2	2137	बड़ा तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, याट वलब, भोपाल
	3	2138	बड़ा तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, करबला, भोपाल
	4	2139	बड़ा तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, बैरागढ़, भोपाल
	5	1374	छोटा तालाब, कालीघाट, स्पिल आउटलेट, भोपाल
	6	2136	शाहपुरा लेक, स्पिल आउटलेट के पास, भोपाल
	7	1613	कोलार डेम, जल प्रदाय केन्द्र, भोपाल
	8	2140	केरवा डेम, जल प्रदाय केन्द्र, भोपाल
	9	1616	नल—कूप गोविन्दपुरा क्षेत्र, भोपाल
	10	3333	नल—कूप बांसखेड़ी, पर्यावरण परिसर के पास, भोपाल
	11	2153	नलकूप इब्राहीम गंज, बस स्टेण्ड के पास, भोपाल
विदिशा	12	1614	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, विदिशा
	13	2124	बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट, विदिशा
	14	2125	बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम बेस नदी मिलने के बाद, विदिशा
रायसेन	15	2119	बेतवा नदी, नयापुरा डाउन स्ट्रीम, औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप
	16	2121	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास, भोजपुर
	17	2122	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, रायसेन
	18	2120	कलियासोत नदी, मण्डीदीप रोड ब्रिज के पास, मण्डीदीप
	19	1617	नल—कूप औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप
होशंगाबाद	20	44	नर्मदा नदी, 50 मी. डाउन स्ट्रीम, सेठानीघाट, होशंगाबाद
	21	1235	नर्मदा नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम एस.पी.एम. नाला मिलने के बाद,
	22	1234	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम शाहगंज गेस्ट हाउस के पास
	23	2123	नर्मदा नदी, कोरी घाट, होशंगाबाद
बैतूल	24	1466	ताप्ती नदी, अमरावती रोड, ग्राम—खेड़ी
	25	2127	देनवा नदी, सारणी रोड ब्रिज, सारणी
	26	3334	नल कूल बस स्टेण्ड के पास, बैतूल
सीहोर	27	2141	जमुनिया तालाब, जल प्रदाय केन्द्र, सीहोर
इंदौर	28	2132	बिलावली तालाब, इंदौर
	29	2133	सिरपुर तालाब, इंदौर
	30	2131	यशवंत सागर, इंदौर
	31	3302	पिपलिया पाला तालाब, इंदौर

	32	1367	खान नदी, कवीटखेड़ी, इंदौर
	33	2110	खान नदी, शक्कर खेड़ी, इंदौर
	34	2111	खान नदी, सांवेर इंदौर
	35	3296	चौरल नदी, चौरल डेम, इंदौर
	36	3308	चम्बल नदी, जनापावा उदगम स्थल, इंदौर
	37	2150	ट्रेचिंग ग्राउण्ड देव गुराड़िया रोड, इंदौर
	38	2151	ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ऋषभ मसाला उद्योग परिसर के पास
	39	2152	ट्रेचिंग ग्राउण्ड में लखानी फुटवेयर परिसर
	40	3340	नलकूप ट्रेचिंग ग्राउण्ड के पास, रिंग रोड
	41	3339	नलकूप मांगलिया औद्योगिक क्षेत्र के पास
बड़वानी	42	1239	नर्मदा नदी, बड़वानी
बुरहानपुर	43	9	ताप्ती नदी, नेपानगर नवाथा पम्पिंग स्टेशन
	44	2115	ताप्ती नदी, नेपानगर, 100 मी. डाउन स्ट्रीम
	45	10	ताप्ती नदी, पीपलघाट, बुरहानपुर
	46	1250	ताप्ती नदी, हथनूर
	47	1897	नलकूप जैनावाद ताप्ती नदी के पास, पम्पिंग स्टेशन,
खण्डवा	48	1236	छोटा तवा नदी, हरसूद
	49	2134	नागचून तालाब, खण्डवा
	50	1430	नर्मदा नदी, ऑकारेश्वर, खण्डवा
	51	2113	नर्मदा नदी, पुनासा डेम के पास
खरगोन	52	45	नर्मदा नदी, मण्डलेश्वर
	53	1431	नर्मदा नदी, महेश्वर
	54	2112	नर्मदा नदी, मोरटक्का ब्रिज, बड़वाह
	55	2114	कुन्दा नदी, खरगोन
	56	52	हमीद खान ट्यूबवेल, अमरावती रोड, बुरहानपुर
धार	57	1233	माही नदी, बदनावर
	58	3849	सीतापट तालाब, धार
	59	3848	अनस नदी, रोड ब्रिज के पास
	60	3847	नर्मदा नदी धरमपुरी
	61	3850	बागदून तालाब, पीथमपुर
	62	3341	नलकूप सेक्टर 3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर
	63	3342	नलकूप सेक्टर 2, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर

उज्जैन	64	1365	चम्बल नदी, अपस्ट्रीम, नागदा
	65	1366	चम्बल नदी 1 कि.मी. डाउन स्ट्रीम, नागदा
	66	1418	चम्बल नदी, गांधीसागर
	67	3309	चम्बल नदी, ताल
	68	3310	चम्बलनदी, बड़नगर
	69	1369	क्षिप्रा नदी, रामघाट, उज्जैन
	70	1370	क्षिप्रा नदी, 1 कि.मी. डाउन स्ट्रीम, त्रिवेणी संगम, उज्जैन
	71	1468	क्षिप्रा नदी, सिद्धवट, उज्जैन
	72	3315	क्षिप्रा नदी, गौघाट, उज्जैन
	73	3316	क्षिप्रा नदी, महिदपुर, उज्जैन
	74	2106	नर्मदा नदी, नेमावर
	75	3298	पौण्ड वॉटर लखोड़ा, उज्जैन
	76	2104	मलेनी नदी, जावरा
	77	3318	माही नदी, रानीसिंह
	78	2145	नलकूप मेहतावास
	79	2146	नलकूप भगतपुरी, नागदा
	80	2149	नलकूप कलवर्ट के पास, ए.बी. रोड, मकरी
मंदसौर	81	2102	शिवना नदी, रामघाट, मंदसौर
शाजापुर	82	2105	चिलार नदी, शाजापुर
	83	3319	नेवज नदी, शुजालपुर
रतलाम	84	2103	जामर नदी, धौलावाद, रतलाम
	85	2148	नलकूप दोसीगांव, रतलाम
देवास	86	3297	मीठा तालाब, देवास
	87	3317	क्षिप्रा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, देवास
	88	2147	नलकूप परताल नगर, देवास
	89	3332	नलकूप औद्योगिक क्षेत्र, देवास
ग्वालियर	90	3338	हैण्ड पम्प, जिनावली रायरु, ग्वालियर
	91	1608	सिन्ध नदी, नियर रोड ब्रिज, डबरा, ग्वालियर
भिण्ड	92	1607	गोहद डेम बेसली नदी, गोहद के पीछे
	93	1609	चम्बल नदी, धौलपुर
	94	1618	भू-जल, पश्चिम इण्डस्ट्रियल एरिया, मालनपुर
	95	1619	भू-जल, पूर्व इण्डस्ट्रियल एरिया, मालनपुर,

मुरैना	96	1433	संख नदी, तिघरा रिजर्वायर नरोजाबाद रोड ब्रिज, मुरैना
गुना	97	1432	पार्वती नदी, ग्राम-धरनावदा के पास,
	98	2109	पार्वती नदी, नीमखेड़ी, गुना
	99	3306	चौपन नदी, अपस्ट्रीम, एन.एफ.एल. नाला में मिलने से पहले, विजयपुर
	100	3307	चौपन नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम एन.एफ.एल. नाला मिलने के बाद, विजयपुर
राजगढ़	101	1615	पार्वती नदी, इनटेक वेल प्वाइंट के पास, पीलूखेड़ी,
	102	2126	पार्वती नदी 100 मी. डाउन स्ट्रीम विन्ध्याचल नाला मिलने के बाद, पीलूखेड़ी
	103	2142	कालीसिन्ध नदी, सारंगपुर
	104	2154	नल कूप प्राथमिक स्कूल के पास, पीलूखेड़ी
	105	3320	नेवज नदी, अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र के पास, राजगढ़
शिवपुरी	106	2130	माधव लेक, शिवपुरी
जबलपुर	107	2099	नर्मदा नदी, लालपुर, जबलपुर
	108	3323	नर्मदा नदी, तिलवाराधाट, जबलपुर
	109	3324	नर्मदा नदी, पंचवटी घाट, बावनगंगा नदी में मिलने से पूर्व , जबलपुर
	110	3325	नर्मदा नदी, सरस्वती घाट, बावन गंगा नदी में मिलने बाद, जबलपुर
	111	2100	गौर नदी, भोगद्वार, वॉटर सप्लाई इनटेक, जबलपुर
	112	2128	खण्डारी रिजर्व वायर, के पास जल प्रदाय केन्द्र, जबलपुर
	113	2129	परियट टैंक, जल प्रदाय केन्द्र के पास, जबलपुर
	114	3828	हिरन नदी, एन.एच.-7 रोड ब्रिज सिहोरा के पास, जबलपुर
	115	3300	रानी तालाब, जबलपुर
	116	3830	गोकलपुर तालाब, जबलपुर
	117	3299	हनुमानताल, जबलपुर
	118	2143	नलकूप कथौदा, जबलपुर
	119	3335	नल कूप औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर
	120	3827	भू-जल ग्राम- इमलिया, जबलपुर
	121	2144	नलकूप मर्डी ग्राम, जबलपुर
सिवनी	122	3330	बैनगंगा नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, सिवनी छपारा
	123	3331	बैनगंगा नदी, मोती एवं चमरिया नाला मिलने के बाद, छपारा रोड ब्रिज के पास, सिवनी
	124	3831	डल सागर, तालाब सिवनी
	125	3337	नलकूप औद्योगिक क्षेत्र, वारापत्थर सिवनी
	126	3826	भू-जल बस स्टैण्ड के पास, सिवनी
बालाधाट	127	1213	बैनगंगा नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम, जगपुरधाट, बालाधाट

	128	3301	मोती तालाब, बालाघाट
	129	3305	बंजर नदी जल प्रदाय केन्द्र, मलांजखण्ड, बालाघाट
	130	3823	भू-जल बस स्टैण्ड के पास, बालाघाट
	131	3824	भू-जल ग्राम— भीमजोरी, मलांजखण्ड, बालाघाट
नरसिंहपुर	132	1240	नर्मदा नदी, बरमानघाट, नरसिंहपुर
	133	3829	हिरन नदी, एन.एच.-12 रोड ब्रिज, ग्राम—बिक्रमपुर, जिला— नरसिंहपुर
	134	3822	भू-जल बस स्टैण्ड के पास, नरसिंहपुर
मण्डला	135	3322	नर्मदा नदी, शमशानघाट के पास, मण्डला
	136	1241	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास, मण्डला
	137	3825	भू-जल बस स्टैण्ड के पास, मण्डला
छिंदवाड़ा	138	1214	पेंच नदी, छिंदवाड़ा
	139	3312	कन्हान नदी, बोरगाँव में मिलने के बाद, छिंदवाड़ा
	140	3336	नलकूप औद्योगिक क्षेत्र, छिंदवाड़ा
	141	3845	कन्हर गाँव स्टाप डेम जल प्रदाय केन्द्र, छिंदवाड़ा
सतना	142	1372	मंदाकिनी नदी, रामघाट चित्रकूट, सतना
	143	1144	टोन्स नदी, माधवगढ़, बरगीघाट
	144	3328	टोन्स नदी, माधवगढ़, पी.एच.ई.ली. जल प्रदाय केन्द्र के पास, सतना
कटनी	145	2101	कटनी नदी, नगर निगम, जल प्रदाय केन्द्र के पास, कटनी
	146	3326	सिमरार नदी, ए.सी.सी. जल प्रदाय केन्द्र के पास, कटनी
रीवा	147	2116	बीहर नदी, डाउन स्ट्रीम फारेस्ट ऑफिस के पास, रीवा
	148	2117	बिछिया नदी, रीवा
	149	3343	नल कूप औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, चुरहट
	150	2135	गोविन्दगढ़ लेक, गोविन्दगढ़ रीवा
	151	3303	रानी तालाब, रीवा
	152	3313	करियारी नदी, अप स्ट्रीम, रीवा
	153	3314	करियारी नदी, डाउन स्ट्रीम, रीवा
	154	1143	टोन्स नदी, चाकघाट
	155	3853	टोन्स नदी, बसीमन मामा मंदिर, पुरवा फाल के पास, सिमरिया, रीवा
33 सीधी	156	3329	सोन नदी, चुरहट, जिला—सीधी
	157	3851	सोन नदी, भंवरसेन, रोड ब्रिज बनस नदी मिलने के बाद, सीधी
	158	3852	बाणसागर केनाल, बघवार टोल प्लाजा के पास, सीधी
	159	3854	नलकूप वॉटर, एम.पी.एच. सिटी, सीधी

ठीकमगढ़	160	3311	जामुनी नदी, बारीघाट, अपस्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, ठीकमगढ़
	161	3832	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम रोड ब्रिज के पास, ओरछा, ठीकमगढ़
सागर	162	3833	राजघाट बांध वॉटर सप्लाई जल प्रदाय केन्द्र, सागर
	163	2107	बेतवा नदी, अप स्ट्रीम महुटाघाट, आगासोद
	164	2108	बेतवा नदी, जे.पी. थर्मल पॉवर, बीना
अनूपपुर	165	1142	सोन नदी, चचाई, ए.टी.पी.एस. पम्पिंग स्टेशन के पास, अनूपपुर
	166	1610	सोन नदी, अमरकंटक उद्गम स्थल अनूपपुर
	167	1242	नर्मदा नदी अमरकंटक उद्गम स्थल अनूपपुर
	168	2118	नर्मदा नदी, अमरकंटक कपिलधारा के पास, अनूपपुर
	169	3345	नलकूप औद्योगिक क्षेत्र, अनूपपुर
शहडोल	170	1371	सोन नदी, अमलाई ओ.पी.एम. पम्पिंग स्टेशन के पास, शहडोल
	171	3327	सोन नदी, भटूराघाट 500 मी. डाउन स्ट्रीम ओ.पी.एम. शहडोल
	172	1612	सोन नदी, बाणसागर रीवा रोड ब्रिज के पास, शहडोल
	173	3846	सोन नदी जरवाही के पास रोड ब्रिज, शहडोल
	174	3344	नलकूप वॉटर सेम्पल औद्योगिक क्षेत्र, नरसरहा
उमरिया	175	1611	जोहिला नदी, नरौजाबाद पाली रोड के पास, ब्रिज, उमरिया
डिण्डौरी	176	3321	नर्मदा नदी, डिण्डौरी अप स्ट्रीम इनटेक प्वाइंट, डिण्डौरी
सिंगरौली	177	3835	गोपद नदी, निगारी सराई
	178	3834	सोन नदी, चितरंगी रोड ब्रिज के पास, चितवाल
	179	3836	कंचन डेम, इमलिया नार्थ कोल माइन्स के पास, ग्राम-मझोली
	180	3304	रिहन्द रिजर्वायर, सिंगरौली
	181	3837	भू-जल प्रायमरी स्कूल के पास, धोबीघाट, सिंगरौली
	182	3838	भू-जल एन.सी.एल. झिंगुरधा, क्यू.एस.एच.एफ.-176 प्रोजेक्ट सिंगरौली
	183	3840	भू-जल सब्बी मण्डी के पास, एन.सी.एल. जयन्त,
	184	3841	भू-जल सर्वेश्वर राजा कालोनी, जयन्त, सिंगरौली
	185	3842	भू-जल सब स्टेशन सेक्टर-बी के पास, दूधिचुआ, एन.सी.एल. प्रोजेक्ट, सिंगरौली
	186	3843	भू-जल विवेकानन्द प्रतिमा के पास, निगाही, सिंगरौली
	187	3844	भू-जल कामर्शियल आटो मोबाइल, भारत पेट्रोल पम्प के पास, विद्या नगर, सिंगरौली
	188	3839	भू-जल शिव मंदिर के पास, अमलोरी एन.सी.एल. प्रोजेक्ट, सिंगरौली

4.5 नदियों के जल की गुणवत्ता

राज्य शासन से प्राप्त अनुदान तथा के.प्र.नि.बोर्ड के सह-प्रायोजित कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) के तहत प्राकृतिक जल स्त्रोतों से वर्ष 2018–19 में कुल 5914 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया। इसमें कुल 2894 नमूने नदियों, 792 नमूने तालाबो, 807 नमूने नालों तथा 1422 नमूने भू-जल स्त्रोतों के हैं।

प्रदेश की प्रमुख नदियों के जल के विश्लेषण परिणामों के आधार पर जल गुणवत्ता का वर्गीकरण सतही जल के लिये निर्धारित मानक आई. एस 2296 –1992 तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक अनुसार किया गया, जो इस प्रकार है :—

नदियों की जल गुणवत्ता का वर्गीकरण (आई.एस.2296 –1992 अनुसार) वर्ष 2018–19				
क्र.	नदी	क्र	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	अनास	1	अनास नदी, रोड ब्रिज, झाबुआ +	ए
2	अजनाल (हरदा)	2	अजनाल नदी, अपस्ट्रीम, हरदा	ए
		3	अजनाल नदी, डाउन स्ट्रीम खंडवा रोड ब्रिज, हरदा	ए
3	अंगरेड	4	अंगरेड नदी, सागौर, पीथमपुर	बी
4	असन	5	असन नदी, रोड ब्रिज के पास	ए
5	बेतवा	6	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम मण्डीदीप रायसेन	सी
		7	बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम मण्डीदीप नयापुरा, रायसेन +	सी
		8	बेतवा नदी, सतलापुर ग्रोथ सेन्टर के पास, रायसेन	सी
		9	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास भोजपुर, रायसेन	सी
		10	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, रायसेन +	सी
		11	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास पगनेश्वर, रायसेन	ए
		12	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज, विदिशा	बी
		13	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, विदिशा +	बी
		14	बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट के पास, विदिशा +	सी
		15	बेतवा नदी, बेस नदी मिलने के बाद, विदिशा +	सी
		16	बेतवा नदी, मेहुटा घाट, आगासौद, बीना +	ए
		17	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम, जल प्रदाय केन्द्र, जे.पी थर्मल पावर, बीना +	ए
		18	बेतवा नदी, राजगढ़ डेम, जल प्रदाय केन्द्र के पास	ए
		19	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास ओरछा, टीकमगढ़ +	ए
6	बेस	20	बेस नदी, मे मिलने के पहले रोड ब्रिज, विदिशा	बी
7	बेबस	21	बेबस नदी, अपस्ट्रीम सागर रोड ब्रिज, के पास	ए
8	बिछिया	22	बिछिया नदी, रोड ब्रिज, के पास गोविन्दगढ़ रोड, रीवा +	बी
9	बेसली	23	बेसली नदी, गोहद डेम, भिण्ड +	बी

10	बंजर	24	बंजर नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, मलाजखण्ड +	ए
		25	बंजर नदी, शमशानघाट नर्मदा नदी में मिलने के पहले, मण्डला	ए
		26	बंजर नदी, रायपुर रोड ब्रिज, के पास मण्डला	बी
11	बीहर	27	बीहर नदी, डाउन स्ट्रीम फारेस्ट आफिस के पास, रीवा +	ए
		28	बीहर नदी, कुठुलिया जल प्रदाय केन्द्र के पास, रीवा	ए
		29	बीहर नदी, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, रीवा	बी
12	बावनगंगा	30	बावनगंगा नदी, नर्मदा नदी मिलने के पहले, बालाघाट	ए
13	बोरार	31	बोरार नदी, बडवानी के पास, इन्दौर.	बी
14	चिलार	32	चिलार नदी, सनकखेड़ा, शाजापुर	बी
15	चौपन	33	चौपन नदी, अपस्ट्रीम एन.एफ.एल. नाला मिलने के पहले,	ए
			विजयपुर गुना+	
16	चकरार	35	चंदन घाट के पास, डिण्डौरी	ए
17	चंबल	36	चंबल नदी, जनापावा उद्गम स्थल, इन्दौर. +	ए
		37	चंबल नदी, घाटाबिल्लौद, धार.	बी
		38	चंबल नदी, तमालपुर, इन्दौर.	बी
		39	चंबल नदी, धूरेरी ब्रिज के पास, उज्जैन	ए
		40	चंबल नदी, पिपलोदा डेम, उज्जैन	बी
		41	चंबल नदी, अपस्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, इन्सपेक्शन बंगला विरलाग्राम +	बी
		42	चंबल नदी, 100 मीटर डाउनस्ट्रीम इण्डस्ट्रियल नाला, जूना नागदा +	ई
		43	चंबल नदी, 1 किलो मीटर डाउनस्ट्रीम, जूना नागदा.	ई
		44	चंबल नदी, 3 कि.मी. डाउन स्ट्रीम के गीदघर, उज्जैन	ई
		45	चंबल नदी, 9 कि.मी. डाउन स्ट्रीम इटलावदा उज्जैन	ई
		46	चंबल नदी, 16 कि.मी. डाउन स्ट्रीम राजगढ़, उज्जैन	
		47	चंबल नदी, ताल रोड ब्रिज के पास, उज्जैन +	डी
		48	चंबल नदी, गांधी सागर डेम, नीमच +	बी
		49	चंबल नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम गांधी सागर, नीमच अर्त्तराज्य सीमा	बी
		50	चंबल नदी, उसठघाट पटना रोड के पास,	ए
		51	चंबल नदी, इटावा रोड ब्रिज के पास, जिला—भिण्ड	ए
		52	चंबल नदी, पाली रोड ब्रिज, श्योपुर	ए
		53	चंबल नदी, रोड ब्रिज के पास, फूफ जिला—भिण्ड	ए

		54	चंबल नदी, धौलपुर रोड ब्रिज के पास, मुरैना अन्तर्राज्य सीमा +	ए
18	छोटा तबा	55	छोटा तबा ,नर्मदा नदी में मिलने के पहले हरसूद, खण्डवा +	ए
19	छोटी कालीसिन्ध	56	छोटी कालीसिन्ध, ए.बी. रोड गांव बिलावली, देवास	बी
		57	छोटी कालीसिन्ध, मेंडकी डकार, देवास	बी
20	चौरल	58	चौरल नदी,डेम के पास, इंदौर +	ए
21	चामला	59	चामला नदी, जल प्रदाय केन्द्र, बड़नगर, उज्जैन +	बी
22	देनवा	60	देनवा नदी, रोड ब्रिज के पास, पचमढ़ी, होशंगाबाद	डी
		61	सारणी रोड ब्रिज के पास, वैतूल +	बी
23	धसान	62	धसान नदी, अप स्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज, किशनपुरा, सागर	ए
		63	धसान नदी, डाउन स्ट्रीम, किशनपुरा, सागर	ए
		64	धसान नदी,अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, छतरपुर	ए
		65	धसान नदी, अप स्ट्रीम ,सैलाव नाला मिलने के बाद, नौगांव, छतरपुर	ए
24	देव	66	देव नदी, बड़वानी के पास, इंदौर.	ए
25	गौर	67	गौर नदी, भोगद्वार जल प्रदाय केन्द्र, जबलपुर +	ए
		68	गौर नदी, मंडला रोड ब्रिज, जबलपुर +	डी
26	गंभीर	70	गंभीर नदी, कलारिया मज, इंदौर	बी
27	गोई	71	गोई नदी, सेंधवा, बड़वानी +	ए
28	गुनौर	72	गुनौर नदी, नहारिया माइन्स वॉटर मिलने के बाद, छिंदवाड़ा	बी
29	गोपद	73	गोपद नदी, बरई, सीधी	ए
		74	गोपद नदी, निगरी सिंगरोली, नदी पर डेम +	ए
30	हिरन	75	हिरन नदी,अप स्ट्रीम परियट नदी मिलने से पहले	ए
		76	हिरन नदी,डाउन स्ट्रीम परियट नदी गनियारी गांव में मिलने के बाद	बी
		77	हिरन नदी, सिहोरा जबलपुर रोड ब्रिज के पास, जबलपुर	ए
		78	हिरन नदी, कंटगी रोड ब्रिज के पास, जबलपुर	बी
		79	हिरन नदी,पाटन रोड ब्रिज के पास, जबलपुर	बी
		80	हिरन नदी,एन.एच.-12 बिक्रमपुर गांव रोड ब्रिज के पास, नरसिंहपुर +	ए
		81	हिरन नदी,एन.एच.-7 सिहोरा रोड ब्रिज के पास, जबलपुर +	ए
31	हथनी	82	हथनी नदी,जल प्रदाय केन्द्र के पास, ककराना, अलीराजपुर, धार	बी
32	जामर	83	जामर नदी, धौलाबड़ डेम, रतलाम +	ए
33	जोहिला	84	जोहिला नदी,नौरोजाबाद रोड ब्रिज के पास, उमरिया +	ए

34	जमुनी	85	जमुनी नदी, अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, बरईया घाट, टीकमगढ़ +	ए
35	कटनी	86	कटनी नदी, अप स्ट्रीम नगर निगम, जल प्रदाय केन्द्र के पास, कटनी +	बी
		87	कटनी नदी, डाउन स्ट्रीम मेन घाट रोड ब्रिज, कटनी	बी
36	करियारी	88	करियारी नदी, डाउन स्ट्रीम मे. जे.पी. सीमेन्ट, रीवा +	ए
		89	करियारी नदी, अपस्ट्रीम मे. जे.पी. सीमेन्ट रीवा +	ए
37	कन्हान	90	कन्हान नदी, बोरगांव सेन्टर नाला मिलने के पहले, छिंदवाड़ा +	बी
		91	कन्हान नदी, बोरगांव ग्रोथ सेन्टर नाला मिलने के बाद, छिंदवाड़ा	ए
		92	कन्हान नदी, नन्दन कोल वॉशरीज, इन्प्लूएन्ट नाला मिलने के बाद, दमुआ	बी
38	खान	93	खान नदी, सनवर +	ई
		94	खान नदी, रामवासा	डी
		95	खान नदी, कवीटखेड़ी इंदौर +	ई
		96	खान नदी, शक्कर खेड़ी, इंदौर +	श्व
39	क्षिप्रा	97	क्षिप्रा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, देवास +	बी
		98	क्षिप्रा नदी, हवनखेड़ी नगदमान नाला, देवास	बी
		99	क्षिप्रा नदी, मराठी गांव मेंडकी व देवास नाला मिलने पर, देवास	बी
		100	क्षिप्रा नदी, इंदौर रोड ब्रिज के पास, उज्जैन	डी
		101	क्षिप्रा नदी, गौघाट उज्जैन,	डी
		102	क्षिप्रा नदी, सिद्धवट घाट, उज्जैन +	डी
		103	क्षिप्रा नदी, रामघाट, उज्जैन +	डी
		104	क्षिप्रा नदी, 1 कि.मी. डाउन स्ट्रीम त्रिवेणी संगम, उज्जैन	डी
		105	क्षिप्रा नदी, मंगलनाथ, उज्जैन	डी
40	खुज	106	क्षिप्रा नदी, जावरा रोड ब्रिज महिदपुर उज्जैन +	सी
		107	खुज नदी धार के पास,	बी
41	कुरैल	108	कुरैल नदी, रेल्वे ब्रिज के पास, बंग रोड, रतलाम	ए
42	केन	109	केन नदी, रेल्वे ब्रिज के पास, पन्ना	ए
43	कोपरा	110	कोपरा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, खाजाखेड़ी, दमोह	ए
44	कलिया सोत	111	कलियासोत नदी, रोड ब्रिज के पास, मैण्डीदीप, रायसेन +	सी
45	काली सिन्ध	112	कालीसिन्ध नदी सारंगपुर रोड ब्रिज के पास, राजगढ़ +	ए
46	कुन्दा	113	कुन्दा नदी, खरगोन +	बी
47	केवई	114	केवई नदी, नगर पालिका कोतमा जल प्रदाय केन्द्र के पास, अनूपपुर	ए

48	काचन	115	काचन नदी, बैड्न रोड ब्रिज के पास, सिंगरौली	सी
49	क्वारी नदी	116	रेल्वे ब्रिज के पास, मुरैना	बी
50	मान	117	मानपुर के पास, इंदौर	बी
51	मंदाकिनी	118	मंदाकिनी नदी, उदगम स्थल सति अनसुईया, चित्रकूट	ए
		119	मंदाकिनी नदी, रामधाट चित्रकूट +	सी
		120	मंदाकिनी नदी, स्फटिक शिला, चित्रकूट	बी
		121	मंदाकिनी नदी, आरोग्य धाम, चित्रकूट	बी
		122	मंदाकिनी नदी, जानकी कुण्ड, चित्रकूट	बी
		123	मंदाकिनी नदी, प्रमोद वैन, चित्रकूट	बी
		124	मंदाकिनी नदी, राधव प्रयाग धाट, चित्रकूट	बी
52	मालेनी	125	मालेनी नदी, जावरा डेम, रतलाम +	सी
53	माही	126	माही नदी, रानीसिंह गाँव, रतलाम	बी
		127	माही नदी, बदनावर धार +	ए
		128	माही नदी, फारेस्ट गेस्ट हाउस राजापुर, रतलाम	ए
54	महानदी	129	महानदी बरही रोड ब्रिज के पास, कटनी	बी
55	महेश्वरी	130	महेश्वर के पास, इंदौर	बी
56	मुरना	131	मुरना नदी, रेडियो स्टेशन के पहले, शहडोल	बी
57	मैयर	132	मैयर नदी, रोड ब्रिज तुसाखण्ड, सिंगरौली	बी
58	माचना	133	माचना नदी, अप स्ट्रीम बैतूल	सी
		134	माचना नदी अमरावती रोड ब्रिज के पास, बैतूल	सी
59	निवज	135	निवज नदी, जल प्रदाय केन्द्र के पास, शुजालपुर +	बी
		136	निवज नदी, अप स्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज के पास, राजगढ़ +	ए
		137	निवज नदी, डाउन स्ट्रीम सर्किट हाउस के पास, राजगढ़	बी
		138	निवज नदी, अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, राजगढ़	ए
60	नर्मदा	139	नर्मदा नदी, अमरकंटक उदगम स्थल अनूपपुर (रामधाट) +	ए
		140	नर्मदा नदी, पुष्कर डेम, अमरकंटक, अनूपपुर	ए
		141	नर्मदा नदी, कपिलधारा अमरकंटक, अनूपपुर +	ए
		142	नर्मदा नदी, चंदन धाट रोड ब्रिज के पास	ए
		143	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम इनटेक वेल प्लाइंट के पास, डिण्डौरी	ए
		144	नर्मदा नदी, डाउन स्ट्रीम वॉटर सप्लाई रोड ब्रिज के पास, डिण्डौरी +	ए

		145	नर्मदा नदी, शमशानघाट के पास, मण्डला +	ए
		146	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास, रफता घाट, मण्डला +	ए
		147	नर्मदा नदी भैरब मंदिर के पास, सहस्रधारा, मण्डला	ए
		148	नर्मदा नदी रोड ब्रिज (डाऊन स्ट्रीम बरगी डेम,) जबलपुर	ए
		149	नर्मदा नदी, जमतरा, रेल्वे ब्रिज के पास, जबलपुर	ए
		150	नर्मदा नदी, लालपुर वॉटर सप्लाई इनटेक प्वाइंट के पास, जबलपुर +	ए
		151	नर्मदा नदी, तिलवाराघाट, जबलपुर +	ए
		152	नर्मदा नदी, पंचवटीघाट, अपस्ट्रीम बेनगंगा नदी मिलने के पहले,	ए
			जबलपुर +	
		153	नर्मदा नदी, सरस्वती घाट, डाऊन स्ट्रीम बेनगंगा नदी मिलने के बाद,	ए
			जबलपुर+	
		154	नर्मदा नदी रोड ब्रिज के पास, झांसीघाट, जबलपुर	ए
		155	नर्मदा नदी एन.एच. 44 रोड ब्रिज के पास, बरमानघाट, नरसिंहपुर	ए
		156	नर्मदा नदी, बरमानघाट 100 मी. डाऊन स्ट्रीम मेन घाट, नरसिंहपुर +	ए
		157	नर्मदा नदी, नर्मदा नदी एन.एच. 44 रोड ब्रिज ग्राम—झिकोली के पास,	ए
			नरसिंहपुर	
		158	नर्मदा नदी, साड़िया घाट जल प्रदाय केन्द्र, पिपरिया	सी
		159	नर्मदा नदी अप स्ट्रीम ऑफ जेत ग्राम	बी
		160	नर्मदा नदी डाऊन स्ट्रीम ऑफ जेत ग्राम	सी
		161	नर्मदा नदी, शाहगंज गेस्ट हाउस अप स्ट्रीम, होशंगाबाद +	बी
		162	नर्मदा नदी अपस्ट्रीम तवा नदी मिलने से पूर्व जहाँपुर, बांद्राभान	बी
		163	नर्मदा नदी डाऊन स्ट्रीम तवा नदी मिलने के पश्चात् रामनगर, बांद्राभान	सी
		164	नर्मदा नदी बुदनी घाट, बुदनी	बी
		165	नर्मदा नदी, कोरीघाट, होशंगाबाद +	बी
		166	नर्मदा नदी, 50 मी. सेठानीघाट, होशंगाबाद +	बी
		167	नर्मदा नदी, 100 मी. डाऊनस्ट्रीम एस.पी.एम. नाला मिलने के बाद,	बी
			होशंगाबाद+	
		168	नर्मदा नदी डाऊन स्ट्रीम ऑफ टेक्सटाईल स्पूनिट होलीपुरा ग्राम—	बी
			बुदनी, सीहोर	
		169	नर्मदा नदी जामर नदी से मिलने से पहले, नेमावर	ए

		170	नर्मदा नदी, नेमावर जल प्रदाय केन्द्र उज्जैन +	ए
		171	नर्मदा नदी 500 डाउन स्ट्रीम, जैन मंदिर, नेमावर	ए
		172	हनुवंतिया (इंदिरा सागर रिजर्ववॉयर) जिला—खण्डवा	ए
		173	नर्मदा नदी, नर्मदा —क्षिप्रा संगम, उज्जैन, इंदौर	ए
		174	नर्मदा नदी, पुनासा डेम के पास इंदौर, खण्डवा +	ए
		175	नर्मदा नदी, ओकारेश्वर अप स्ट्रीम, खण्डवा +	ए
		176	नर्मदा नदी, ओकारेश्वर डाउन स्ट्रीम, खण्डवा +	ए
		177	नर्मदा नदी, मोरटक्का ब्रिज के पास, बड़वाह, खरगोन +	ए
		178	नर्मदा नदी, धारेश्वर, खरगोन	ए
		179	अप स्ट्रीम जलौद पम्पिंग स्टेशन, मण्डलेश्वर, खरगोन +	ए
		180	मण्डलेश्वर, डाउन स्ट्रीम, खरगोन +	ए
		181	महेश्वर, खरगोन +	ए
		182	नर्मदा नदी, सहस्रधारा (जालकोटी)	ए
		183	नर्मदा नदी, खलघाट, खरगोन +	ए
		184	धरमपुरी (घरेलू दूषित जल मिलने के पहले), धार +	ए
61	नेवार	190	नेवार नदी, रोड ब्रिज पीरबाबा के पास, कटनी	बी
62	पार्वती	191	पार्वती नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, सीहोर	बी
		192	पार्वती नदी, अप स्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र के पास, पीलूखेड़ी, राजगढ़ +	ए
		193	पार्वती नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम विध्याचल नाला मिलने	बी
			के बाद पीलूखेड़ी, राजगढ़. +	
		194	पार्वती नदी, नीमखेड़ी, गुना +	बी
63	पेंच	195	पार्वती नदी, म.प्र. और राजस्थान रोड ब्रिज. धरनावदा +	बी
		196	पेंच नदी, संगोरी रोड ब्रिज के पास, छिंदवाड़ा +	ए
64	परियट	197	पेंच नदी, कारीकट गांव चौरई के पास, छिंदवाड़ा	बी
		198	परियट नदी, गनियारी गांव, हिरन नदी मिलने से पहले, जबलपुर	सी
		199	परियट नदी, इमलिया रोड ब्रिज के पास, जबलपुर	डी
65	रेहन्द	200	परियट नदी, मातामार गांव के पास, खमरिया नाला मिलने के बाद	बी
		201	रेहन्द नदी रोड ब्रिज के पास, सिंगरौली	बी
		202	रेहन्द डेम बिलयारी के पास, सिंगरौली +	ए
66	सटक	203	सटक नदी खरगोन के पास, इंदौर	बी

67	सिमरार	204	सिमरार नदी, अप स्ट्रीम ए.सी.सी. जल प्रदाय केन्द्र, कटनी +	बी
68	सोन	205	सिमरार नदी, डाउन स्ट्रीम सरखती स्कूल के पीछे, कटनी	बी
		206	सोन नदी, उद्गम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर +	ए
		207	सोन नदी, भटूराधाट 200 मी. डाउनस्ट्रीम, नाला मिलने के बाद अमलाई+	ए
		208	सोन नदी, जरवाही रोड ब्रिज के पास, शहडोल +	ए
		209	सोन नदी, दियापीपर रोड ब्रिज के पास, शहडोल	ए
		210	सोन नदी, देवलेंड बनसागर डेम के पास, शहडोल +	ए
		211	सोन नदी, अप स्ट्रीम एम.पी.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन, चचाई +	ए
		212	सोन नदी, डाउन स्ट्रीम, ओ.पी.एम अमलाई, अनूपपुर +	ए
		213	सोन नदी, चितवाल गांव के पास, रोड ब्रिज, सिंगरौली +	ए
		214	सोन नदी, भंवरसेन, रोड ब्रिज बनस नदी मिलने के बाद, सीधी	ए
		215	सोन नदी, बनसागर केनाल, बंगवार गांव के पास, टोल प्लाजा, सीधी +	ए
		216	सोन नदी, चुरहट जिला— सीधी +	ए
		217	सोन नदी, कारीपुर गांव, अन्तर्राज्यीय सीमा	ए
69	शककर	218	शककर नदी, करेली रोड ब्रिज के पास, गाडरवारा	ए
70	शेर	219	शेर नदी, रोड ब्रिज के पास, नरसिंहपुर	ए
71	शिवना	220	शिवना नदी, पशुपतिनाथ मंदिर के पास, मंदसौर	डी
72	सिन्ध	221	शिवना नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, रामधाट, मंदसौर +	बी
		222	सिन्ध नदी, रोड ब्रिज के पास, डबरा, ग्वालियर +	ए
		223	सिन्ध नदी, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, गांव—पगारा, गुना	ए
73	शंख	224	शंख नदी, टिगरा रिजर्ववायर, ग्वालियर +	बी
74	सोनार	225	सोनार नदी, जल प्रदाय केन्द्र, गढ़कोटा, सागर	ए
		226	सोनार नदी, रोड ब्रिज के पास, पॉथ रेहली, सागर	ए
75	सुखद	227	सुखद नदी, अलीराजपुर	बी
76	सीवन	228	सीवन नदी, अप स्ट्रीम रोड ब्रिज के पास, सीहोर	बी
		229	सीवन नदी, डाउन स्ट्रीम रोड ब्रिज के पास, सीहोर	बी
77	सर्फा	230	सर्फा नदी, रोड ब्रिज के पास, शहडोल	ए
78	सीप	231	सीप नदी, अप स्ट्रीम श्योपुर, ग्वालियर	बी
79	टोन्स /	232	सीप नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम दूषित नाला मिलने पर, श्योपुर	बी
		233	टोन्स नदी, पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन के पास, माधवगढ़, +	बी

	तमस	234	टोन्स नदी, बरधिया घाट के पास, माधवगढ़, सतना +	बी
		235	टोन्स नदी, पटेरा रोड, रीवा	ए
		236	टोन्स नदी, चिला थन्डर जिला रीवा	ए
		237	टोन्स नदी, बसावन मामा मंदिर, पुरवा फाल के पास, सिमरिया, रीवा +	ए
		238	टोन्स नदी, चाकधाट पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन रीवा +	ए
80	ताप्ती	239	टोन्स नदी, एम. पी. यू. पी. सीमा पर अन्तर्राज्यीय सीमा	ए
		240	ताप्ती नदी, खेड़ा अमरावती रोड ब्रिज के पास, बैतूल +	बी
		241	ताप्ती नदी, 100 मी.डाउन स्ट्रीम पंडार नाला मिलने के बाद, नेपानगर +	बी
		242	ताप्ती नदी, नवाथा पम्पिंग स्टेशन के पास, नेपानगर +	ए
		243	ताप्ती नदी, हथनूर, बुरहानपुर. +	बी
		244	ताप्ती नदी, पीपलघाट, बुरहानपुर. +	बी
81	तामिया	245	तामिया नदी, सारनी रोड ब्रिज के पास, दामुआ	बी
82	टिमरन	246	टिमरन नदी, हरदा	ए
83	उमरार	247	उमरार नदी, अप स्ट्रीम नगर पालिका पम्पिंग स्टेशन के पास, उमरिया.	ए
		248	उमरार नदी, डाउन स्ट्रीम शहर का नाला मिलने से पहले, उमरिया	बी
84	उदी भगनि	249	उदी भगनि नदी निसारपुर के पास इंदौर	ए
85	वैनगंगा	250	वैनगंगा नदी, छपारा, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, सिवनी. +	ए
		251	वैनगंगा नदी, छपारा रोड ब्रिज के पास मोती और चमरिया नाला	ए
			मिलने से पहले, सिवनी +	
		252	वैनगंगा नदी, लखनवाड़ा नहाने वाले घाट के पास, सिवनी	ए

नोट:- राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम के सम्पर्कित बिन्दु

राष्ट्रीय हरित अधिकरण नयी दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 673/2018 में पारित आदेश 19.09.18, 20. 12.18 एवं 08.04.19 अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश की 22 नदियों के प्रदूषित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। जिसमें प्राथमिकता 01 एवं 02 की नदियाँ (चम्बल, खान, क्षिप्रा एवं बेतवा) के एक्शन प्लान राज्य स्तर पर गठित नदी पुनः उद्धार समिति (आर.आर.सी.) से अनुमोदित एक्शन प्लान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को भेजे गये। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टास्क टीम द्वारा उक्त एक्शन को अनुमोदित किया गया है। एक्शन प्लान पर कार्यवाही की जा रही है। एक्शन प्लान की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाकर मॉनिटरिंग की जा रही है।

चिन्हित 21 नदियों के प्रदूषित क्षेत्र

क्र.	नदियाँ	प्रदूषित क्षेत्र
1	चंबल नदी	चंबल नदी, 1 मीटर डाउनस्ट्रीम, जूना नागदा
		चंबल नदी, ताल रोड
2	खान नदी	खान नदी, कवीटखेड़ी इंदौर
		खान नदी, शक्कर खेड़ी, इंदौर
3	क्षिप्रा नदी	क्षिप्रा नदी, सिद्धवट घाट, उज्जैन
		क्षिप्रा नदी, 1 कि.मी. डाउन स्ट्रीम त्रिवेणी संगम, उज्जैन
4	बेतवा	बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम मण्डीदीप नयापुरा, रायसेन
		बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट के पास, विदिशा
5	सोन	सोन नदी, भट्टराघाट 200 मी. डाउनस्ट्रीम, नाला मिलने के बाद अमलाई, अनूपपुर
6	ताप्ती	ताप्ती नदी, 100 मी.डाउन स्ट्रीम पंढार नाला मिलने के बाद, नेपानगर
		ताप्ती नदी, पीपलघाट, बुरहानपुर
7	गोहद	गोहद डेम
8	चामला	चामला नदी, बड़नगर
9	चौपन नदी	चौपन नदी विजयपुर
10	कलियासोत	कलियासोत नदी, मण्डीदीप, रायसेन
11	कहान	जिला छिंदवाड़ा में
12	विछिया	विछिया नदी, रीवा +
13	कटनी नदी	कटनी नदी, कटनी
14	कुन्दा	कलियासोत खरगोन
15	मलेनी	जावरा
16	मंदाकिनी	मंदाकिनी नदी, रामघाट चित्रकूट
17	नेवज	शुजालपुर
18	पार्वती नदी	पार्वती नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम विन्ध्याचल नाला मिलने के बाद पीलूखेड़ी, राजगढ़.
19	सिमरार	कटनी पर
20	टोन्स	टोन्स नदी, चाकधाट, रीवा
21	वैनगंगा नदी	छपारा रोड ब्रिज के पास मोती और चमरिया नाला मिलने से पहले, सिवनी

4.6 बेसिन अनुसार प्रमुख नदियों की आई.एस. 2296—1992 के आधार पर जल गुणवत्ता

नर्मदा बेसिन :—


नर्मदा नदी :— नर्मदा बेसिन की प्रमुख नदी नर्मदा है, जो अनूपपुर जिले के अमरकंठ शहर से उद्गम हो कर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई जिला धार के बड़वानी नगर से गुजरात राज्य में प्रवाहित होते हुए खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। नदी की कुल 1312 कि.मी. की लम्बाई में से 1077 कि.मी. मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। नर्मदा बेसिन के अंतर्गत नर्मदा, बंजर, हिरन, कोलार, सुक्ता, तवा, शेर, एवं गोई इत्यादि नदियाँ हैं। नर्मदा नदी के प्रमुख डेम बरगी, जबलपुर एवं इंदिरा सागर हैं।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी अनूपपुर, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नेमावर, बड़वाह, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर, बड़वानी, धार, एवं अलीराजपुर शहरों से वर्ष 2018–19 में 50 बिन्दुओं से जल नमूने एकत्रित कर जल गुणवत्ता की जाँच की गई।

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	नर्मदा नदी, अमरकंटक उद्गम स्थल अनूपपुर (रामधाट) +	ए
2.	नर्मदा नदी, पुष्पकर डेम, अमरकंटक, अनूपपुर	ए
3.	नर्मदा नदी, कपिलधारा अमरकंटक, अनूपपुर +	ए
4.	नर्मदा नदी, चंदन घाट रोड ब्रिज के पास	ए
5.	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम इनटेक वेल प्वाइंट के पास, डिण्डौरी	ए
6.	नर्मदा नदी, डाऊन स्ट्रीम वॉटर सप्लाई रोड ब्रिज के पास, डिण्डौरी +	ए
7.	नर्मदा नदी, शमशानघाट के पास, मण्डला +	ए
8.	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास, रफता घाट, मण्डला +	ए
9.	नर्मदा नदी, भैरब मंदिर के पास, सहस्रधारा, मण्डला	ए
10.	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज (डाऊन स्ट्रीम बरगी डेम,) जबलपुर	ए
11.	नर्मदा नदी, जमतरा, रेल्वे ब्रिज के पास, जबलपुर	ए
12.	नर्मदा नदी, लालपुर वॉटर सप्लाई इनटेक प्वाइंट के पास, जबलपुर +	ए
13.	नर्मदा नदी, तिलवाराघाट, जबलपुर +	ए
14.	नर्मदा नदी, पंचवटीघाट, अपस्ट्रीम बेनगंगा नदी मिलने के पहले, जबलपुर +	ए
15.	नर्मदा नदी, सरस्वती घाट, डाऊन स्ट्रीम बेनगंगा नदी मिलने के बाद, जबलपुर +	ए
16.	नर्मदा नदी, रोड ब्रिज के पास, झांसीघाट, जबलपुर	ए
17.	नर्मदा नदी, एन.एच. 44 रोड ब्रिज के पास, बरमानघाट, नरसिंहपुर	ए
18.	नर्मदा नदी, बरमानघाट 100 मी. डाऊन स्ट्रीम मेन घाट, नरसिंहपुर +	ए
19.	नर्मदा नदी, नर्मदा नदी एन.एच. 44 रोड ब्रिज ग्राम—झिकोली के पास, नरसिंहपुर	ए
20.	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम ऑफ जेत ग्राम, सीहोर	बी
21.	नर्मदा नदी, शाहगंज गेस्ट हाउस अप स्ट्रीम, होशंगाबाद +	बी
22.	नर्मदा नदी, अपस्ट्रीम तवा नदी मिलने से पूर्व जहाँपुर, बांद्राभान	बी
23.	नर्मदा नदी, बुदनी घाट, बुदनी	बी
24.	नर्मदा नदी, कोरीघाट, होशंगाबाद +	बी
25.	नर्मदा नदी, 50 मी. सेठानीघाट, होशंगाबाद +	बी
26.	नर्मदा नदी, 100 मी. डाऊनस्ट्रीम एस.पी.एम. नाला मिलने के बाद, होशंगाबाद +	बी
27.	नर्मदा नदी, डाऊन स्ट्रीम ऑफ टेक्सटाईल यूनिट होलीपुरा ग्राम—बुदनी, सीहोर	बी
28.	नर्मदा नदी, जामर नदी से मिलने से पहले, नेमावर	ए
29.	नर्मदा नदी, नेमावर जल प्रदाय केन्द्र उज्जैन +	ए

30.	नर्मदा नदी, 500 डाउन स्ट्रीम, जैन मंदिर, नेमावर	ए
31.	नर्मदा नदी, हनुवंतिया (इंदिरा सागर रिजर्ववॉयर) जिला—खण्डवा	ए
32.	नर्मदा नदी, नर्मदा –क्षिप्रा संगम, उज्जैन, इंदौर	ए
33.	नर्मदा नदी, पुनासा डेम के पास इंदौर, खण्डवा +	ए
34.	नर्मदा नदी, ओकारेश्वर अप स्ट्रीम, खण्डवा +	ए
35.	नर्मदा नदी, ओकारेश्वर डाउन स्ट्रीम, खण्डवा +	ए
36.	नर्मदा नदी, मोरटक्का ब्रिज के पास, बड़वाह, खरगोन +	ए
37.	नर्मदा नदी, धारेश्वर, खरगोन	ए
38.	नर्मदा नदी, अप स्ट्रीम जलौद पम्पिंग स्टेशन, मण्डलेश्वर, खरगोन +	ए
39.	नर्मदा नदी, मण्डलेश्वर, डाउन स्ट्रीम, खरगोन +	ए
40.	नर्मदा नदी, महेश्वर, खरगोन +	ए
41.	नर्मदा नदी, सहस्रधारा (जालकोठी)	ए
42.	नर्मदा नदी, खलघाट, खरगोन +	ए
43.	नर्मदा नदी, धरमपुरी (घरेलू दूषित जल मिलने के पहले), धार +	ए
44.	नर्मदा नदी, धरमपुरी (घरेलू दूषित जल मिलने के बाद), धार +	ए
45.	नर्मदा नदी, सिमलदा अपस्ट्रीम, बड़वानी, धार	ए
46.	नर्मदा नदी, राजधाट बड़वानी +	ए
47.	नर्मदा नदी, कोटेश्वरधाट घार	ए
48.	नर्मदा नदी, ककराना अतंराज्यीय सीमा अलीराजपुर	ए
49.	नर्मदा नदी, अमरकंटक उद्गम स्थल अनूपपुर (रामघाट) +	ए
50.	नर्मदा नदी, पुष्कर डेम, अमरकंटक, अनूपपुर	ए

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता “ए” व “बी” श्रेणी की पाई गई जो नक्शा क्रमांक—2 पर दर्शित हैं ।



गंगा बेसिन

गंगा बेसिन में प्रदेश की बेतवा, चंबल, सोन, टोन्स, इत्यादि नदियाँ आती हैं।


बेतवा नदी :— गंगा बेसिन के अंतर्गत यमुना सब बेसिन में आने वाली बेतवा नदी का उदगम कुमरा (झिरी) गांव, जिला, रायसेन में है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकल कर लगभग 590 कि.मी. उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ बीना, धसान, केने एवं यामिनी तथा प्रमुख डेम – राजगढ़ हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बेतवा नदी की जल गुणवत्ता जांचने हेतु प्रदेश के रायसेन, विदिशा, बीना तथा टीकमगढ़ जिलों में निम्नलिखित कुल 14 स्थलों से नदी के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है:—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम मण्डीदीप रायसेन	सी
2.	बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम मण्डीदीप नयापुरा, रायसेन +	सी
3.	बेतवा नदी, सतलापुर ग्रोथ सेंटर के पास, रायसेन	सी
4.	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास भोजपुर, रायसेन	सी
5.	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, रायसेन +	सी
6.	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास पगनेश्वर, रायसेन	ए
7.	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज, विदिशा	बी
8.	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, विदिशा +	बी
9.	बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट के पास, विदिशा +	सी
10.	बेतवा नदी, बेस नदी मिलने के बाद, विदिशा +	सी
11.	बेतवा नदी, महुटा घाट, आगासौद, बीना +	ए

12.	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम, जल प्रदाय केन्द्र, जे.पी थर्मल पावर, बीना +	ए
13.	बेतवा नदी, राजगढ़ डेम, जल प्रदाय केन्द्र के पास	ए
14.	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास ओरछा, टीकमगढ़ +	ए

2018–19 बेतवा नदी की जल गुणवत्ता “ए”, “बी” एवं “सी” श्रेणी की पाई गई है। जो नक्शा क्रमांक–3 पर दर्शित हैं।




चम्बल नदी:— यह गंगा बेसिन के अंतर्गत एक मुख्य नदी है जो ग्राम जनापावा, मऊ शहर के उत्तर उद्गम हो कर प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर शहरों से बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। पुनः मध्यप्रदेश के मुरैना एवं भिण्ड जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 346 कि.मी. है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ क्षिप्रा, कालीसिन्ध, छोटी कालीसिन्ध शिवना, सीप, पार्वती, अनास नदी, चामला एवं गंभीर हैं। इस नदी पर निर्मित प्रमुख डेम गांधीसागर हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता जांचने हेतु प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, मुरैना एवं भिण्ड जिलों से निम्नलिखित कुल 19 स्थलों से नदी के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है।

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	चम्बल नदी, जनापावा उद्गम स्थल, इंदौर.	ए
2	चम्बल नदी, घाटाबिल्लौद, धार.	बी
3	चम्बल नदी, तमालपुर, इंदौर.	बी

4	चंबल नदी, धूरेरी ब्रिज के पास, उज्जैन	ए
5	चंबल नदी, पिपलोदा डेम, उज्जैन	बी
6	चंबल नदी, अपस्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, इंसपेक्शन बंगला बिरलाग्राम +	बी
7	चंबल नदी, 100 मीटर डाउनस्ट्रीम इण्डस्ट्रियल नाला, जूना नागदा +	ई
8	चंबल नदी, 1 किलो मीटर डाउनस्ट्रीम, जूना नागदा.	ई
9	चंबल नदी, 3 कि.मी. डाउन स्ट्रीम के गीदघर, उज्जैन	ई
10	चंबल नदी, 9 कि.मी. डाउन स्ट्रीम इटलावदा उज्जैन	ई
11	चंबल नदी, 16 कि.मी. डाउन स्ट्रीम राजगढ़, उज्जैन	सूखी
12	चंबल नदी, ताल रोड ब्रिज के पास, उज्जैन +	डी
13	चंबल नदी, गांधी सागर डेम, नीमच +	बी
14	चंबल नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम गांधी सागर, नीमच अन्तराज्य सीमा	बी
15	चंबल नदी, उसठघाट पटना रोड के पास,	ए
16	चंबल नदी, इटावा रोड ब्रिज के पास, जिला—भिण्ड	ए
17	चंबल नदी, पाली रोड ब्रिज, श्योपुर	ए
18	चंबल नदी, रोड ब्रिज के पास, फूफ जिला—भिण्ड	ए
19	चंबल नदी, धौलपुर रोड ब्रिज के पास, मुरैना — अन्तराज्य सीमा+	ए

वर्ष 2018–19 में चम्बल नदी की जल गुणवत्ता “ए” “बी” “सी” “डी” एवं “ई” श्रेणी की पाई गई है। नागदा औद्योगिक क्षेत्र के पास जल की गुणवत्ता “ई” श्रेणी की पाई गई है चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता को नक्शा क्रमांक—4 में दर्शाया गया है।




सोन नदी :- गंगा बेसिन के अंतर्गत सोन सब बेसिन का कुल क्षेत्रफल 28,880 वर्गकिलो मीटर है। सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकटंक से निकलकर मध्य प्रदेश के उत्तर—पश्चिम की ओर से

प्रवाहित होती है। यह नदी शहडोल, चचाई, सिंगरौली तथा सीधी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए मध्यप्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित कारीपुर गांव से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर बिहार राज्य के पटना शहर के पश्चिम में गंगा नदी में सीधे मिलती है। सोन नदी की कुल लम्बाई 784 कि.मी. है। मध्य प्रदेश में यह 470 कि.मी. बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जोहिला, गोपद, कन्हान, बनास एवं रेहन्द इत्यादि हैं तथा प्रमुख डेम बाणसागर हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली एवं सीधी शहरों से वर्ष 2018–19 में सोन नदी के निम्नलिखित कुल 12 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है।

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	सोन नदी, उद्गम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर +	ए
2.	सोन नदी, डाउन स्ट्रीम, ओ.पी.एम अमलाई, अनूपपुर +	ए
3.	सोन नदी, भट्टराघाट 200 मी. डाउनस्ट्रीम, नाला मिलने के बाद अमलाई, अनूपपुर+	ए
4.	सोन नदी, जरवाही रोड ब्रिज के पास, शहडोल +	ए
5.	सोन नदी, दियापीपर रोड ब्रिज के पास, शहडोल	ए
6.	सोन नदी, देवलेड बनसागर डेम के पास, शहडोल +	ए
7.	सोन नदी, अप स्ट्रीम एम.पी.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन, चचाई +	ए
8.	सोन नदी, चितवाल गांव के पास, रोड ब्रिज, सिंगरौली +	ए
9.	सोन नदी, भंवरसेन, रोड ब्रिज बनस नदी मिलने के बाद, सीधी	ए
10.	सोन नदी, बनसांगर केनाल, बंगवार गांव के पास, टोल प्लाजा, सीधी +	ए
11.	सोन नदी, चुरहट जिला— सीधी +	ए
12.	सोन नदी, कारीपुर गांव, अन्तर्राज्यीय सीमा	ए

सोन नदी की जल गुणवत्ता “ए” श्रेणी की पाई गई है तथा अन्तर्राज्यीय सीमा (उत्तर प्रदेश) पर भी जल गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है जो नक्शा क्रमांक –5 अनुसार है।




टोन्स/तमस नदी:— गंगा बेसिन के अंतर्गत टोन्स नदी मध्यप्रदेश के सतना जिले के कैमोर में स्थित मैहर के समीप तमशाकुण्ड जलाशय से निकलकर उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी इलाहबाद के समीप उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। यह नदी 246 किलोमीटर मध्यप्रदेश में तथा 67 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी पर मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मध्य 07 किलोमीटर की अन्तर्राज्यीय सीमा स्थित है।

वर्ष 2018–19 में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतना तथा रीवा जिलों से टोन्स नदी के निम्नलिखित कुल 07 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया है :—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	टोन्स नदी, पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन के पास, माधवगढ़, +	बी
2.	टोन्स नदी, बरधिया घाट के पास, माधवगढ़, सतना +	बी
3.	टोन्स नदी, पटेरा रोड, रीवा	ए
4.	टोन्स नदी, चिला थन्डर जिला रीवा	ए
5.	टोन्स नदी, बसीमन मामा मंदिर, पुरवा फाल के पास, सिमरिया, रीवा +	ए
6.	टोन्स नदी, चाकधाट पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन रीवा +	ए
7.	टोन्स नदी, अन्तर्राज्यीय सीमा पर	ए


टोन्स नदी की जल गुणवत्ता कुछ बिन्दुओं पर “ए” तथा कुछ बिन्दुओं पर “बी” श्रेणी की पाई गई है। मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय सीमा पर नदी के जल की गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है एवम जल के गुणवत्ता श्रेणी को नक्शा क्रमांक –6 में दर्शाया गया है।



केन नदी :- केन नदी कैमूर पहाड़ी जिला सागर के दक्षिण से निकलकर मध्यप्रदेश के दमोह, पन्ना इत्यादि क्षेत्रों से होती हुई बाँदा, उत्तरप्रदेश में चिल्ला नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। इसकी सहायक नदियां सोनार, वीरमा, बाना, पाटर इत्यादि हैं।

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1	केन नदी, रेल्वे ब्रिज के पास, पन्ना	ए

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2018–19 में केन नदी के निम्नलिखित 01 स्थल से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया हैं। नदी के जल की गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है एवं नदी की जल गुणवत्ता श्रेणी को नक्शा क्रमांक –7 में दर्शाया गया है।



गोदावरी बेसिन :—

गोदावरी बेसिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। बेसिन के कुल भाग का मात्र 10 प्रतिशत मध्यप्रदेश में स्थित है। इस बेसिन के अंतर्गत प्रदेश की कन्हान, पेंच तथा बेनगंगा नदी जिला छिंदवाड़ा, सिवनी तथा बालाघाट में आती है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त तीनों नदियों के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है।

कन्हान नदी :— वर्ष 2018–19 में कन्हान नदी के निम्नलिखित 03 स्थलों से जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है :—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	कन्हान नदी, बोरगांव सेन्टर नाला मिलने के पहले, छिंदवाड़ा +	बी
2.	कन्हान नदी, बोरगांव ग्रोथ सेन्टर नाला मिलने के बाद, छिंदवाड़ा	ए
3.	कन्हान नदी, नन्दन कोल वॉशरीज, इन्फलूएन्ट नाला मिलने के बाद, दमुआ	बी


पेंच नदी :— वर्ष 2018–19 में पेंच नदी के निम्नलिखित 02 स्थलों से जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है :—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	पेंच नदी, संगोरी रोड ब्रिज के पास, छिंदवाड़ा +	ए
2.	पेंच नदी, कारीकट गांव चौरई के पास, छिंदवाड़ा	बी

वैनगंगा नदी :— वर्ष 2018–19 में वैनगंगा नदी के निम्नलिखित 05 स्थलों से जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है :—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	वैनगंगा नदी, छपारा, जल प्रदाय केन्द्र, के पास, सिवनी. +	ए
2.	वैनगंगा नदी, छपारा रोड ब्रिज के पास मोती और चमरिया नाला मिलने से पहले, सिवनी +	ए
3.	वैनगंगा नदी, लखनवाड़ा नहाने वाले घाट के पास, सिवनी	ए
4.	वैनगंगा नदी, केवलारी सिंचाई पम्पिंग स्टेशन के पास	ए
5.	वैनगंगा नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम, जगपुर घाट, बालाघाट +	ए

वर्ष 2018–19 में कन्हान, पेंच तथा बेनगंगा नदी के जल की गुणवत्ता “ए” एवं “बी” श्रेणी की है। नदियों की जल गुणवत्ता श्रेणी को नक्शा क्रमांक –8 में दर्शाया गया है।



ताप्ती बेसिन :- ताप्ती बेसिन के अंतर्गत मुख्य नदी ताप्ती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां अरुणावती, गोमती, पूर्णा, गिरना आदि हैं। ताप्ती नदी के तट पर मध्यप्रदेश के मुलताई, नेपानगर, बैतूल एवं बुरहानपुर शहर स्थित हैं तथा प्रमुख डेम हथनूर एवं उकई (महाराष्ट्र) हैं।


ताप्ती नदी :-

ताप्ती बेसिन के अंतर्गत ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुलताई शहर में होता है। ताप्ती मुलताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात में सूरत के मैदान को पार करते हुए अरब सागर में समाहित होती है। यह नदी भी नर्मदा एवं माही नदी की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्यप्रदेश में यह कुल 332 किलोमीटर बहती है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुलताई, नेपानगर एवं बुरहानपुर शहरों से वर्ष 2018–19 में ताप्ती नदी के निम्नलिखित 05 स्थलों से जल नमूना एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है:—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	ताप्ती नदी, खेडा अमरावती रोड ब्रिज के पास, बैतूल +	बी
2.	ताप्ती नदी, 100 मी.डाउन स्ट्रीम पंडार नाला मिलने के बाद, नेपानगर +	बी
3.	ताप्ती नदी, नवाथा पम्पिंग स्टेशन के पास, नेपानगर +	ए
4.	ताप्ती नदी, हथनूर, बुरहानपुर. +	बी
5.	ताप्ती नदी, पीपलघाट, बुरहानपुर. +	बी

वर्ष 2018–19 में ताप्ती नदी की जल गुणवत्ता “ए” तथा “बी” श्रेणी की पाई गई है एवम् जल गुणवत्ता को नक्शा क्रमांक –9 में दर्शाया गया है।




माही बेसिन :- माही बेसिन की प्रमुख नदी माही है। मध्य प्रदेश में इसकी मुख्य सहायक नदी अनास हैं।

माही नदी :- माही नदी पश्चिमी भारत की एक मुख्य नदी है। इसका उद्गम मध्यप्रदेश के धार जिले के समीप मिन्डा ग्राम की विध्याचल पर्वत से हुआ है। यह धार, झाबुआ तथा रतलाम जिले के राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इसकी कुल लम्बाई 472 कि.मी. है। माही नदी पर बजाज सागर एवं कडाणा बांध राजस्थान राज्य में बनाये गये हैं। यह खम्बात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में मिलती है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धार एवं रतलाम शहरों से वर्ष 2018–19 में माही नदी के निम्नलिखित 03 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है:—

क्र.	नमूना एकत्रित करने का स्थल	श्रेणी
1.	माही नदी, बदनावर धार +	ए
2.	माही नदी, रानीसिंह गाँव, रतलाम	बी
3.	माही नदी, फारेस्ट गेस्ट हाउस राजापुर, रतलाम	ए

वर्ष 2018–19 में माही नदी की जल गुणवत्ता “ए” तथा “बी” श्रेणी की पाई गई है। माही बेसिन नक्शा क्रमांक–10 में दर्शाया गया है।



भारतीय मानक आई.एस.2296-1992 के आधार पर सतही जल गुणवत्ता का विवरण	
श्रेणी	उपयोग
ए	पेयजल स्त्रोत रोगाणुरहित गैर-पारम्परिक उपचार के बिना।
बी	बाह्य स्नान योग्य (आउट डोर बाथिंग)।
सी	पेयजल रोगाणुरहित पारम्परिक उपचार के साथ।
डी	वन्य जीवन एवं मत्स पालन हेतु।
ई	सिचाई, औद्योगिक प्रशीतलन या नियंत्रित दूषित अपवहन।

4.7 मूर्ति विसर्जन

प्राकृतिक जल स्त्रोतों में धार्मिक कार्यक्रमों / उत्सव के समय प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक, सीमेंट, रसायनयुक्त रंगों/आयल रंगों, कले इत्यादि से निर्मित प्रतिमाओं के विसर्जन करने से जलीय वनस्पतियाँ, जीव-जन्तुओं के अलावा मनुष्यों की सेहत पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना होती हैं। अतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष 2005 से निरन्तर मूर्ति विसर्जन के समय मॉनिटरिंग व जन-जागरूकता इत्यादि संबंधी कार्य निम्नानुसार संपादित किये जा रहे हैं :—

- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों के साथ बैठक कर मूर्ति विसर्जन के दिशा-निर्देशों के पालनार्थ एक समन्वय समिति गठित कर विसर्जन स्थल चिन्हित करने, पूजन सामग्री (पुष्प वस्त्र सजावट की सामग्री) को अलग कर अपवहन की व्यवस्था तथा मूर्ति विसर्जन के 48 घंटे के अन्दर बची हुई सामग्री के अपवहन आदि के कार्य सुनिश्चित किये।
- प्रदेश स्तर पर कार्यशालायें आयोजित कर प्लास्टर आफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी की छोटे आकार की प्रतिमाएँ बनाने का लोगों को प्रशिक्षण दिया गया।



क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मूर्ति विसर्जन पर कार्यशाला का आयोजन

3. जन-जागृति हेतु पम्पलेट एवं पोस्टर से प्रचार-प्रसार किया गया। प्रदेश व्यापी दैनिक समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित कर आम जनता से मिटटी/कागज/सुपारी आदि से बनी प्रतिमाओं का उपयोग करने तथा प्रतिमाओं में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल न करने की अपील की गई।
4. स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्राकृतिक जल स्रोत की मुख्य धारा के स्थान पर अस्थाई 'प्रतिमा विसर्जन कुण्डों' का निर्माण कर कुण्डों में मूर्ति विसर्जन हेतु जनता को प्रेरित किया गया।



विसर्जन के पश्चात अस्थाई कुण्डखेड़ी घाट, बडवाह



प्रतिमा विसर्जन स्थल सरदारपुर, धार

वर्ष 2018 में गणेश उत्सव पश्चात् प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रदेश के विभिन्न विसर्जन स्थलों/ अस्थाई कुण्ड के जल नमूनों को एकत्रित कर जल गुणवत्ता का आंकलन किया गया।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल निकाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त संख्या में सेम्पलिंग स्थल निर्धारित कर, विसर्जन स्थल का तीन चरणों में अर्थात् विसर्जन पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए भौतिक-रासायनिक पैरामीटरों जैसे पी.एच., घुलित आक्सीजन, जैव-आक्सीजन मांग, विशिष्ट चालकता, गंदलापन, कुल घुलित ठोस और धातु जैसे क्रोमियम, लैड, जिंक एवं कॉपर का विश्लेषण किया गया।

वर्ष 2018 में गणेश उत्सव पश्चात् प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रदेश के विभिन्न विसर्जन स्थलों/ अस्थाई कुण्ड के जल नमूना एकत्रित कर जल गुणवत्ता का आंकलन किया गया।

औद्योगिक दूषित जल की निगरानी :-

उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया एवं घरेलू कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न जल दूषित होता है। दूषित जल के उपचार/शोधन हेतु बोर्ड द्वारा उद्योगों को निर्देश दिये जाते हैं। दूषित जल उपचार संयंत्रों में उपचारित जल की गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उद्योगों से निस्सारित दूषित जल के नमूने बोर्ड अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से एकत्रित कराकर उनकी गुणवत्ता का नियमित आंकलन करता है। वर्ष 2018–19 में विभिन्न उद्योगों से कुल 2217 दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।


4.8 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शहरीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु प्रायोजित योजना का विवरण निम्नानुसार है :—

1. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 15 प्रमुख शहरों में 39 स्थानों पर क्षेत्रवार आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सप्ताह में दो बार 24 घण्टे परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शहरवार परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या निम्नानुसार है :—




मध्यप्रदेश के मुख्य शहरों की वायु गुणवत्ता का विवरण

वर्ष 2018–19 में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग के विश्लेषित प्रचालक— सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड्स, रेस्पायरेबल सर्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर (पी.एम.–10), पी.एम.–2.5, ओजोन, अमोनिया, लैड, निकल, आर्सेनिक, एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के वार्षिक औसत परिणामों के आधार पर शहरवार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना की गई।

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक, अधिसूचना, 18 नवम्बर, 2009 में उल्लेखित पैरामीटर सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड्स, रेस्पायरेबल सर्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर (पी.एम.–10), पी.एम.–2.5, ओजोन, अमोनिया, लैड, निकल, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, बैंजो–ए–पायरिन एवं बैंजीन पैरामीटर का परीक्षण किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित उपरोक्त पैरामीटर की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत विश्लेषित किये गये प्रचालकों की संख्या



प्रतिदिन परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग परिणाम क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त कर सामान्य जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) निम्न अनुसार कलर कोड के साथ बोर्ड की बेवसाईट पर प्रदर्शित की जाती है।


वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI):-

वायु सूचकांक	श्रेणी	रंग कोड
401–500	अति प्रदूषित	रुद्धि
301–400	बहुत खराब	खराब
201–300	खराब	खराब
101–200	मध्यम	मध्यम
51–100	संतोषजनक	संतोषजनक
0–50	अच्छा	अच्छा

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों पर प्रदेश के नॉन अटेनमेन्ट शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर एवं सागर में जिला संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर परिवेशीय वायु गुणवत्ता सामान्य करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

मध्यप्रदेश में स्थित समस्त 39 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों को नक्शा क्रमांक-11 में दर्शाया गया है।

Ambient Air Quality of NAMP Stations of Madhya Pradesh



राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शहरवार परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग स्टेशन

शहर क्र.	शहर	स्टेशन क्र.	स्थल
1	उज्जैन	1	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. उज्जैन
		2	जिला औद्योगिक कार्यालय, उज्जैन
		3	महाकाल मंदिर , उज्जैन
		4	नगर निगम कार्यालय, उज्जैन
2	नागदा	5	केमिकल डिविजन, लेबर क्लब, नागदा
		6	ग्रेसिम गेस्ट हाऊस, नागदा
		7	ग्रेसिम कल्याण केन्द्र, नागदा
3	देवास	8	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. देवास
		9	गजरा गेयर लि. देवास
		10	ई.आई.डी. लि. देवास
4	भोपाल	11	मृगनयनी, हमीदिया रोड, भोपाल
		12	गोविंदपुरा, औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल
		13	पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेठा कालोनी, भोपाल
		14	कोलार थाना, कोलार रोड, भोपाल
		15	सिविल हॉस्पिटल, बैरागढ़
		16	यूनिवर्सिटी, होशंगाबाद रोड, भोपाल
5	मंडीदीप	17	ए.के.झी.एन.मंडीदीप, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप
6	इन्दौर	18	सावेर रोड, इन्दौर
		19	कोठारी मार्केट, एम. जी. रोड, इन्दौर
		20	विजय नगर, इन्दौर
7	पीथमपुर	21	विकास भवन, सेक्टर-2 पीथमपुर
		22	आर.सी.सी. सेक्टर- 3 पीथमपुर
8	ग्वालियर	23	महाराज वाडा, ग्वालियर
		24	दीनदयाल नगर, ग्वालियर
9	जबलपुर	25	विजय नगर, जबलपुर
		26	उदयपुर ब्रेवरिज रीघाई, औद्योगिक क्षेत्र
10	छिंदवाड़ा	27	मुल्लाजी पेट्रोल पम्प के सामने, परासिया रोड, छिंदवाड़ा

		28	जबलपुर दुर्घ संघ, छिंदवाड़ा
11	सागर	29	दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड, सागर
		30	न्यू कालोनी तिली रोड, सागर
12	सतना	31	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. मैहर बाइपास सतना
		32	वैष्णो पल्लोर मिल, सतना
13	सिंगरौली	33	एन.टी.पी.सी. विध्यनगर
		34	जयंत टाउन शिप, सिंगरौली
		35	बैठन औद्योगिक क्षेत्र
14	शहडोल	36	न्यू बिल्डिंग क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. शहडोल
		37	ट्रैफिक पुलिस ऑफिस, शहडोल
15	कटनी	38	केलडरी वर्क इण्डिया रिफायनरी, कटनी
		39	एच.आई.जी. – 4 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी

प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रयास एवं सुझाव

परिवेशीय वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से समय—समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जन—जागृति कार्यक्रम आयोजित कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए निम्नानुसार सुझाव दिए जाते हैं :—

1. डीजल चलित वाहनों की संख्या में कमी लायी जाये।
2. पुराने वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाये।
3. घरेलू कचरे को जलाये जाने पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
4. भवन निर्माण स्थानों पर स्कीन (टीन/प्लास्टिक के पर्द) की व्यवस्था हो।
5. किसानों को नरवाई नहीं जलाने की समझाइश दी जाये।
6. सड़कों के किनारे लॉन (धास) एवं पेड़ पौधों या पेवमेंट ब्लॉक लगाने जैसी व्यवस्था से भी धूल कणों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन की निगरानी

उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में हानिकारक गैसों एवं धूल के कणों का उत्सर्जन सम्भावित होता है, जो चिमनियों से या सीधे ही वायु मण्डल में निस्सारित होते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर आदि वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की जाती है। उद्योगों से उत्पादन गतिविधियों के फलस्वरूप सम्भावित वायु प्रदूषण पर सतत् निगरानी रखने हेतु म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से होने वाली वायु उत्सर्जन की निगरानी हेतु वायु मॉनिटरिंग करता है। वर्ष 2018–19 में चिमनियों के कुल 557नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम

औद्योगिक / नगरीय ठोस अपशिष्ट अपवहन स्थलों/शहरीय के आस- पास के वातावरण में वायु प्रदूषण की सम्भावना रहती है। अतः वर्ष 2018–19 में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों /नगरीय ठोस अपशिष्ट अपवहन स्थलों एवं 52 जिलों में परिवेशीय वायु मापन कार्य में कुल 8054 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये ।


जिलेवार परिवेशीय वायु मापन के प्रचालक—सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, PM_{10} (रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर) एवं $PM_{2.5}$ का मापन कर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना की गई। जिलेवार परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रतिमाह अपलोड की जाती है।



4.9 प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु की स्थिति

भोपाल शहर :— केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहप्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल शहर के 06 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु मापन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। औसत रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर (पी.एम.-10) के परिणाम अनुसार सर्वाधिक परिणाम वाणिज्यिक क्षेत्र, हमीदिया रोड एवं कोलार रोड तथा न्यूनतम परिणाम पर्यावरण परिसर, रहवासी क्षेत्र के परिलक्षित हुए हैं। सामान्यतः गैसीयस प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2018–19 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार भोपाल शहर के 01 परिवेशीय वायु मापन केन्द्र का सूचकांक संतोषजनक एवं 05 केन्द्र मध्यम श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र. 12 में दर्शाया गया है।




इंदौर शहर

इंदौर शहर में कुल 03 स्थानों (कोठारी मार्केट, वाणिज्यिक क्षेत्र, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र तथा विजयनगर, रहवासी क्षेत्र) पर नियमित रूप से पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों को

संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 के विश्लेषित प्रचालकों के परिणाम सामान्यतः निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार इंदौर शहर के समस्त 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक की श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र.13 में दर्शाया गया है।



उज्जैन शहर

उज्जैन शहर के 04 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर परिवेशीय वायु मापन कार्य किया जाता है। वर्ष 2018–19 में विश्लेषित प्रचालकों के परिणाम सामान्यतः निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार उज्जैन शहर के सभी 04 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 14 में दर्शाया गया है।



नागदा शहर

वर्ष 2017–18 में उज्जैन जिले के नागदा औद्योगिक क्षेत्र में 03 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। परिवेशीय वायु मापन के समस्त विश्लेषित प्रचालकों का औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार नागदा औद्योगिक क्षेत्र के समस्त 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषप्रजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 15 में दर्शाया गया है।



देवास शहर

देवास शहर के 03 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का अंकलन किया किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार देवास शहर के सभी 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 16 में दर्शाया गया है।



ग्वालियर शहर

ग्वालियर शहर के 02 स्थानों महाराजवाड़ा तथा दीनदयाल नगर में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र स्थापित है। 05 अतिरिक्त स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की गई। शीघ्र ही इन स्थानों पर वायु मापन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार ग्वालियर शहर के दोनों परिवेशीय वायु मापन केन्द्र, दीनदयाल नगर तथा महाराजवाड़ा का सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 17 में दर्शाया गया है।



सतना शहर

वर्ष 2018–19 में सतना शहर में संचालित 02 स्थानों (क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवासीय क्षेत्र तथा वैष्णव फ्लोर मिल, औद्योगिक क्षेत्र) पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र पर वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार सतना शहर के क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवासीय क्षेत्र के परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जबकि दूसरा केन्द्र वैश्वनव फ्लोर मिल, औद्योगिक क्षेत्र का सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 18 में दर्शाया गया है।



जबलपुर शहर

जबलपुर शहर के 02 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र स्थापित है। वर्ष 2018–19 में विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार जबलपुर शहर का एक राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्र, विजयनगर, आवासीय क्षेत्र का सूचकांक संतोषजनक है। जबकि दूसरा केन्द्र, उदयपुरा रिछाई, औद्योगिक क्षेत्र का वायु सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 19 में दर्शाया गया है।



छिंदवाड़ा शहर

छिंदवाड़ा शहर के 02 स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन किया जाता है। वर्ष 2018–19 में विश्लेषित प्रचालकों का वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाया गया है।


जबलपुर दुग्ध संघ तथा मुल्लाजी पेट्रोल पम्प स्थित वायु मॉनिटरिंग स्टेशनों के परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार वर्ष 2018–19 में दोनों स्थानों पर सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 20 में दर्शाया गया है।



कटनी शहर

वर्ष 2018–19 में कटनी शहर के 02 स्थानों एसीई. रिफेक्ट्रीज तथा हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कटनी में संचालित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार कटनी शहर के दोनों राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 21 में दर्शाया गया है।



सागर शहर

सागर शहर में 02 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र संचालित है। वर्ष 2018–19 में विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार सागर शहर के दोनों राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 22 में दर्शाया गया है।



सिंगरौली शहर

वर्ष 2018–19 में क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली में 03 स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार एक स्टेशन, एन.टी.पी. सी. विन्ध्यनगर का वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी तथा शेष दो स्टेशन जयन्त तथा बैढ़न का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र. 23 में दर्शाया गया है।



शहडोल क्षेत्र

वर्ष 2018–19 में शहडोल क्षेत्र में स्थित 02 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का आंकलन किया गया। वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।


वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार न्यू एम.पी.पी. सी.बी. ऑफिस क्षेत्र के परिवेशीय मापन केन्द्र का सूचकांक संतोषजनक है। जबकि ट्रेफिक ऑफिस शहडोल का सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 24 में दर्शाया गया है।



पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र

वर्ष 2018–19 में धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 02 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का आंकलन किया गया। वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2018–19 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के दोनों परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नवशा क्र. 25 में दर्शाया गया है।





मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र

वर्ष 2018–19 में रायसेन जिले के मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र के 01 स्थान पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2018–19 का औसत वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र परिवेशीय मापन केन्द्र का सूचकांक मध्यम श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 26 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2018–19 में मध्यप्रदेश के 52 जिलों पर की गई परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक ; |फट्ट नक्शा क्रमांक—27 में दर्शाया गया है।






4.10 वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण




वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यों का विवरण :-

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को प्रति वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की जॉच हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2018–19 में वाहनों के उत्सर्जन की जॉच हेतु निर्धारित लक्ष्य 15600 वाहनों का था। जिसके विरुद्ध भोपाल, उज्जैन, इन्दौर, देवास, ग्वालियर, सागर, गुना, जबलपुर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सतना, शहडोल, रीवा एवं कटनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2018–19 में कुल 19342 वाहनों के उत्सर्जन की जॉच की गई।



जॉच किये गये कुल वाहनों में से 635 वाहन अर्थात् 3.28 प्रतिशत निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग को प्रेषित की गई।

क्षेत्रीय कार्यालयवार मानक से अधिक उत्सर्जन करते वाहनों का प्रतिशत



सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं की गई सिफारिशें

उपरोक्त नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है। बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को समय-समय पर सुझाव दिये जाते हैं एवं जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के प्रयास किये जाते हैं। सम्बन्धित विभाग को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं :—

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल वाहनों की नियमित जॉच।
2. ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों तथा वाहनों द्वारा उपयोग किये जा रहे, ईंधन की नियमित जॉच।
3. अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना।
4. शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जॉच किया जाना।
5. वाहनों की जॉच के समय, वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, समझाईश दी जानी चाहिए।
6. पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेच्यूरल गैस) का उपयोग किया जाना।

वाहन उत्सर्जन मापन (वर्ष 2018–2019)

क्र.	शहर	वार्षिक लक्ष्य (वाहनों संख्या)	उत्सर्जन जॉच किये गये वाहनों की संख्या		
			उत्सर्जन जॉच किये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या का प्रतिशत
1	भोपाल	1200	1507	06	0.39
2	उज्जैन	1200	1211	02	0.16
3	गुना	600	1212	24	1.98
4	इंदौर	1200	1270	184	14.48
5	धार	600	650	0	0
6	सागर	1200	1212	24	1.98
7	ग्वालियर	1200	1808	225	12.44

8	जबलपुर	1200	1816	39	2.14
9	छिन्दवाड़ा	600	600	0	0
10	रीवा	1200	1800	0	0
11	सतना	1200	1219	77	6.31
12	शहडोल	1200	1362	54	3.96
13	सिन्नरौली	1200	400	0	0
14	कटनी	600	900	0	0
15	देवास	600	1500	8	0.53
16	पीथमपुर	600	875	0	0
	कुल योग	15600	19342	635	3.28

4.11 ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण

बोर्ड द्वारा ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण व मापन संबंधी कार्य वाणिज्यिक, आवासीय, शांत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। वर्ष 2018–19 में कुल 8928 काउन्ट्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध कुल 22057 काउन्ट्स का ध्वनि स्तर मापन किया गया, जिसमें से 3544 काउन्ट्स अर्थात् 16.06 प्रतिशत काउन्ट्स निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। जिसका प्रमुख कारण वाहनों का अत्याधिक आवागमन एवं प्रेशर हार्न का उपयोग, वाणिज्य गतिविधियाँ, वैवाहिक तथा धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर/अत्यधिक तेज ध्वनि वाले संगीत प्रणाली का उपयोग करना, जनरेटर सेट का उपयोग एवं दीपावली और अन्य त्यौहारों के दौरान अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग करना है। ध्वनि स्तर मापन रिपोर्ट की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय कार्यालयवार ध्वनि उत्सर्जन मापन

क्र.	शहर	वार्षिक लक्ष्य (काउन्ट्स)	ध्वनि स्तर मापन		
			कुल ध्वनि स्तर मापन की संख्या	मानक से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन की संख्या	मानक से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत
1	भोपाल	576	1152	191	16.57
2	उज्जैन	576	2544	0	0
3	गुना	576	2574	424	16.66
4	इंदौर	576	755	184	24.37
5	धार	576	302	82	27.15
6	सागर	576	1344	189	14.06
7	चालियर	576	2550	698	27.37
8	जबलपुर	576	1152	217	18.83
9	छिन्दवाड़ा	576	226	0	0
10	रीवा	576	1782	414	23.23
11	सतना	576	1728	407	23.55
12	शहडोल	576	1362	54	3.96
13	सिंगराँली	576	288	0	0
14	कटनी	576	1197	44	3.67
15	देवास	576	2739	640	23.36
16	पीथमपुर	288	362	0	0
	कुल योग	8928	22057	3544	16.06


क्षेत्रीय कार्यालयों में किये गये शोर प्रदूषण सर्वेक्षण का विवरण

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रतिमाह ध्वनि स्तर मापन कार्य निर्धारित पैकेज अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यक्रमों जैसे गणेश/दुर्गा उत्सव एवं दीपावली पर्व के समय ध्वनि प्रदूषण की संभावना होती है। अतः उपरोक्त धार्मिक कार्यक्रमों पर भी ध्वनि स्तर मापन कार्य किया जाता है।

वर्ष 2018–19 में बोर्ड द्वारा किये गये ध्वनि स्तर मापन का विवरण इस प्रकार हैं :—



क्षेत्रीय कार्यालयवार मानक से अधिक ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत



माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के परिपालन हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम के तहत समाचार पत्र, दूरदर्शन व आकाशवाणी पर परिचर्चा आयोजित की जाती है। वर्ष 2018–19 में कुल 05 परिचर्चाएँ की गईं।

5. पर्यावरणीय समस्याएँ और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति

बोर्ड द्वारा राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया जाता है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों तथा ध्वनि प्रदूषण की भी जाँच की जाती है। प्रदेश में स्थापित सभी उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्त्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के लिये निर्देश दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है।

5.1 राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	वृहद्, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदानें
1	कुल जल प्रदूषणकारी उद्योग	16728
2(अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं।	16728
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वर्ष के दौरान, स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों में उन्नयन/सुधार/निर्माण कार्य किया गया है।	256



मे. नवीन फलोरिंग, देवास द्वारा स्थापित मल्टीप्ल इफेक्ट इव्होपोरेटर

5.2 राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदानें
1	कुल वायु प्रदूषणकारी उद्योग	16864
2(अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये हैं ।	16864
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वर्ष के दौरान, स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उन्नयन/सुधार/ निर्माण कार्य किया गया है।	552

प्रदेश में स्थापित कार्यरत उद्योगों की कुल संख्या 17134 हैं, जिसमें वृहद श्रेणी के 596 मध्यम श्रेणी के 1381 तथा लघु श्रेणी के 15157 उद्योग शामिल हैं । उद्योगों की श्रेणी वर्गीकरण के अनुसार संख्या लाल श्रेणी में – 11691, नारंगी श्रेणी में – 2670 एवं हरी श्रेणी में – 2773 हैं ।



5.3 उद्योगों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मति :

बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन के पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषणकारी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सम्मति को दो चरणों में विभक्त किया गया है। नये उद्योगों एवं पूर्व से कार्यरत ऐसे उद्योग जिनके द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है को उनकी स्थापना के पूर्व स्थापना सम्मति जारी की जाती है जिसमें उद्योगों को उत्पन्न होने वाले निस्त्राव एवं उत्सर्जन हेतु मानक का निर्धारण कर उक्त मानकों तक उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

वर्ष 2018–19 में कुल 2954 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑनलाईन स्थापना सम्मतियाँ जारी की गई हैं। जिन उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनको सशर्त उत्पादन सम्मति प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 में कुल 8117 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑन लाईन उत्पादन सम्मतियाँ तथा सम्मति नवीनीकरण जारी किये गये हैं।

वर्ष 2018–19 में मुख्यालय द्वारा वृहद/मध्यम एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लघु श्रेणी के उद्योगों को जारी स्थापना सम्मति, उत्पादन सम्मति तथा सम्मति नवीनीकरण का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थापना सम्मति की संख्या	उत्पादन सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण की संख्या	योग
1	भोपाल	457	1023	1480
2	इन्दौर	353	922	1275
3	धार	153	372	525
4	उज्जैन	261	597	858
5	गुना	169	316	485
6	ग्वालियर	256	611	867
7	सागर	360	942	1302
8	सतना	66	203	269
9	रीवा	163	358	521
10	कटनी	87	316	403
11	शहडोल	130	445	575
12	सिंगराँगी	62	222	284
13	जबलपुर	226	986	1212
14	छिंदवाड़ा	53	247	300
15	देवास	85	307	392
16	पीथमपुर	64	218	282
17	एसईज़ड़ पीथमपुर	09	32	41
महायोग		2954	8117	11071

5.4 उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण :

बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं के संचालन एवं की जा रही कार्यवाही के आंकलन हेतु उक्त सम्मतियों का नवीनीकरण किया जाता है। सामान्यतः हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 15 वर्ष तक, नारंगी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 10 वर्ष तक एवं लाल श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 05 वर्ष तक एक साथ किये जाने का भी प्रावधान है।

5.5 पर्यावरण प्रभाव अध्ययन :

उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के ऑकलन हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन

प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं, जिनकी प्रति बोर्ड में जमा कराई जाती है। विचाराधीन वर्ष में जिन उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन बोर्ड में प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी कुल संख्या 71 है विवरण परिशिष्ट ‘तीन’ अनुसार है।

5.6 वृक्षारोपण

पर्यावरण उन्नयन की दृष्टि से उद्योग परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने संबंधी शर्त का समावेश किया जाता है। वर्ष 2018–19 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षारोपण निम्नांकित उद्योगों द्वारा किया गया:—

1.	मेसर्स ट्रायडेन्ट लिमिटेड, बुधनी, जिला सीहोर
2.	मेसर्स एन.टी.पी.सी., सेलदा, खरगोन
3.	मेसर्स श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर स्टेशन, ग्राम-दोंगलिया, खण्डवा
4.	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेन्ट प्लांट नौवस्ता रीवा
5.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
6.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. जोहिला एरिया, जिला अनूपपुर

5.7 पर्यावरण विवरण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उद्योग संचालन में गतवर्ष में उपयोग किये गये संसाधनों जैसे— कच्चे पदार्थों की खपत, जल खपत, प्रति यूनिट उत्पादन विवरण, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर उद्योग स्वयं अपना संचालन का पुनरावलोकन कर सकता है कि, गतवर्ष प्रति यूनिट उत्पादन के लिये विभिन्न संसाधनों की कितनी खपत हुई है। इस आधार पर उद्योग स्वप्रेरणा से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। उक्त हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण विवरण निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाते हैं।

5.8 जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन

नई—नई वैज्ञानिक खोज एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत उन्नयन होता रहता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से वर्ष 2018–19 में जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थानों की संख्या 256 है, सूची परिशिष्ट “चार” अनुसार है।

5.9 वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन :

नई—नई वैज्ञानिक खोज एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत उन्नयन होता रहता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से वर्ष 2018–19 में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित उपकरणों के उन्नयन संबंधी कार्यवाही की गई है, की संख्या 552 है। सूची परिशिष्ट “पाँच” अनुसार है।

5.10 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था :

17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी परिशिष्ट 'छः' अनुसार है।

5.11 परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन :

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 अप्रैल, 2016 से लागू हैं। प्रदेश में अभी तक 2713 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये हैं। इन नियमों के तहत् परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्टों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के कुछ एक उद्योगों ने स्वयं के परिसर में भर्मक तथा कोटिव एस.एल.एफ. लगाकर अपशिष्टों के अपवहन की व्यवस्था की है।

मध्यप्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज व डिस्पोजल फैसेलिटी (सीटीएसडीएफ) का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा मेसर्स एम.पी. वेर्स्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर के मार्फत किया गया है। यह फैसेलिटी पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट क्रमांक 104, सेक्टर-2, पीथमपुर, जिला-धार में स्थापित है। इस डिस्पोजल साईट पर निम्न सुविधाओं का विकास किया गया है

- अपशिष्टों के भण्डारण हेतु व्यवस्था।
- अपशिष्टों के सॉलिडीफिकेशन / स्टेबलाईजेशन हेतु व्यवस्था।
- सिक्योर्ड लेण्डफिल सेल।
- लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवॉपोरेशन पोंड।
- अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यों हेतु प्रयोगशाला।
- अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग प्लेटफार्म इत्यादि।
- इंसिनरेटर।

इस सुविधा ने नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया अब मार्च 2019 तक लगभग निम्नानुसार खतरनाक अपशिष्ट का अपवहन किया जा चुका है :—

क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	डायरेक्ट लेण्डफिल	67,446.29 मैट्रिक टन
2	ठंसीनरेबल	30,018.80 मैट्रिक टन
3	लेण्डफिल आफ्टर ट्रीटमेंट	2,06,986.46 मैट्रिक टन

उक्त फैसेलिटी का समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के तहत् प्राधिकार प्राप्त उद्योगों की क्षेत्रवार संख्या

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कुल उद्योगों की संख्या
1	भोपाल	462
2	इन्दौर	574
3	धार	51
4	उज्जैन	106
5	गुना	83
6	ग्वालियर	307
7	सागर	39
8	सतना	57
9	रीवा	100
10	कटनी	30
11	शहडोल	122
12	सिंगराँली	55
13	जबलपुर	277
14	छिंदवाड़ा	56
15	देवास	115
16	पीथमपुर	249
17	एसईजेड पीथमपुर	29
महायोग		2713

5.12 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, दिनांक 20 जुलाई 1998 से प्रभावशील हैं एवं 28 मार्च 2016 को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा इसमे संशोधन कर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नोटिफाईड किए गए एवं पुनः 16 मार्च 2018 को संशोधित नियम अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों में चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान संबंधी प्रावधान है। वर्ष 2018–2019 तक राज्य मे कुल 6879 चिकित्सा संस्थान चिह्नित किये गये, जिसमे से 3564 शैय्यायुक्त चिकित्सा संस्थान तथा 3315 शैय्यारहित अन्य चिकित्सा संस्थान, ब्लड बैंक, पैथालॉजी इत्यादि चिह्नित किये गये हैं। नियमों के प्रावधान अनुसार सभी क्लीनिक, ब्लड बैंक, कैम्प एवं अन्य चिकित्सीय संस्थानों, जहाँ जीव चिकित्सा अपशिष्ट, उपचार के दौरान उत्पन्न होते हैं, उन्हे भी नियम की परिधि मे सम्मिलित किया गया है तथा उन्हे भी बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। तदानुसार मध्यप्रदेश मे वर्ष 2018–2019 में 4907 चिकित्सा संस्थानों को प्राधिकार के दायरे मे लाया जा चुका है।



जीव चिकित्सा अपशिष्ट पर कार्यशाला क्षे.का.सागर दिनांक 19 फरवरी 2019

केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित उपरोक्त नियमों के परिपालनार्थ तथा साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा बाबत प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार प्रदेश में अस्पतालों द्वारा पृथक—पृथक उपचार व्यवस्था निर्मित किये जाने के स्थान पर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं की स्थापना हुई है। वर्तमान में प्रदेश में साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधायें, केप्टिव सुविधायें तथा प्रदेश के बाहर स्थित साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधायें उपयोगित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधा द्वारा आसपास के क्षेत्रों में स्थित जैव चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का डोर टू डोर कलेक्शन करने के उपरान्त संयत्र में लाकर वैज्ञानिक पद्धति से निपटान किया जाता है। इस कार्य हेतु सुविधा संचालक द्वारा चिकित्सा संस्थानों से शुल्क प्राप्त किया जाता है। निजी अथवा केप्टिव सुविधा एक ही अस्पताल/अस्पताल समूह से उत्पन्न होने वाले कचरे को निपटाता है जबकि ऐसे क्षेत्र जो अन्य प्रदेशों की सीमा से लगते हैं, वहाँ अन्य प्रदेश में निकटस्थ कोई साझा निपटान सुविधा होने की स्थिती में उसका उपयोग कर अपशिष्ट का निपटान करते हैं। सभी प्रकार के अपशिष्ट निपटान सुविधाओं की सूची संलग्न तालिका अनुसार है :

प्रदेश में स्थापित साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधा

क्र०	स्थान	संचालक संस्था का नाम
1.	ग्वालियर	मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा स्थापित एवं संचालित।
2.	जबलपुर	मेसर्स एलिट इंजीनियर्स द्वारा स्थापित एवं संचालित।
3.	इन्दौर	मेसर्स हॉस्पिन इंसीनरेटर प्रा.लि. द्वारा स्थापित एवं संचालित।
4.	भोपाल	मेसर्स भोपाल इंसीनरेटर लि. द्वारा स्थापित एवं संचालित।
5.	सागर	मेसर्स बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा स्थापित एवं मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा संचालित।
6.	सतना	मेसर्स इण्डो वाटर मैनेजमेंट एवं पाल्यूशन कन्ट्रोल कार्पोरेशन, सतना, द्वारा स्थापित एवं संचालित।

7.	सिवनी	मेसर्स कृपा वेस्टेज सिवनी द्वारा स्थापित एवं संचालित।
8.	रतलाम	मेसर्स बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रतलाम द्वारा स्थापित एवं संचालित।
9.	सीहोर	मेसर्स इन्वायरमेण्टल प्रोटेक्शन कार्पोरेशन, सीहोर द्वारा स्थापित एवं संचालित।
10.	उमरिया	मेसर्स एम.पी. बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ग्राम इटौर जिला उमरिया द्वारा स्थापित एवं संचालित।
11	चंदेरी जिला अशोक नगर	मेसर्स जे.के. मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा स्थापित एवं संचालित।

प्रदेश मे स्थापित निजी (केप्टिव) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधायें

क्र०	स्थान	संचालक संस्था का नाम
1.	रीवा	मेसर्स संजय गांधी मेडिकल कॉलेज, रीवा द्वारा स्थापित एवं संचालित।
2.	भोपाल	मेसर्स पीपुल्स मेडिकल कॉलेज, भोपाल द्वारा स्थापित एवं संचालित।

प्रदेश के बाहर स्थापित साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधायें (केवल जैव चिकित्सा अपशिष्ट परिवहन हेतु)

क्र०	स्थान	संचालक संस्था का नाम
1.	शक्तिनगर (उत्तर प्रदेश)	मेसर्स लेबको इन्स्ट्रूमेन्ट लखनऊ द्वारा संचालित।
2.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	मेसर्स जे.आर.आर. वेस्ट मैनेजमेंट, प्रा.लि. आगरा द्वारा संचालित।

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों द्वारा लगभग पाँच हजार चार सौ टन वार्षिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनरेट हो रहा है, जिसमे से लगभग चार हजार नौ सौ टन प्रति वर्ष जैव चिकित्सा अपशिष्टों का डिस्पोजल उपरोक्त साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के द्वारा किया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं सेमिनार

चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सको, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, गुना, रीवा, छिन्दवाड़ा, सतना, सागर, शहडोल, जबलपुर, देवास सिंगरोली, कटनी, पीथमपुर (म.प्र.) शहरों में सेमीनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत् शासन स्तर पर राज्य स्तरीय कमेटी एवं जिलों मे जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

5.13 बैटरी प्रबंधन एवं हथालन नियम

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6,8 एवं 25 के तहत बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001, दिनांक 16 मई 2001 से प्रभावशील है। इनमे दिनांक 04 मई 2010 को यथासंशोधन

किया गया है। यह नियम बैटरी व्यवसाय के सभी मेन्यूफैक्चर, प्रोसेसिंग, सेल्स, पर्चेस एवं बैटरी या उसके कंपोनेन्ट के उपयोग में सम्मिलित समस्त मेन्यूफैक्चर, इंपोर्टर, री-कंडीशनर, असेम्बलर, डीलर, रीसाईक्लर्स, आक्शनर, कन्ज्यूमर एवं बल्क कन्ज्यूमर पर लागू होता है। नियम-4 में मेन्यूफैक्चरर, इंपोर्टर, असेम्बलर एवं री-कंडीशनर के उत्तरदायित्व, नियम-7 में डीलर के उत्तरदायित्व, नियम-8 में रीसाईक्लर को उत्तरदायित्व, नियम-10 में कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर के उत्तरदायित्व एवं नियम-11 में आक्शनर के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। बैटरी डीलर्स को नियम-7 छप्पँद्ध, के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीयन कराना एवं अधिवार्षिकी रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। लेड एसिड बैटरी के इम्पोर्टर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अण्डरटेकिंग देना एवं अर्धवार्षिकी रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करना अनिवार्य है। रिसाईक्लर को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पंजीयन कराना एवं वार्षिकी रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है। नियमानुसार समस्त मैन्यूफैक्चरर, इम्पोर्टर, असेम्बलर, री-कंडीशनर, डीलर, रीसाईक्लर, कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर, आक्शनर का निर्धारित प्रपत्रों में रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है। वर्ष 2018-19 की स्थिति में मध्यप्रदेश में मैन्यूफैक्चरर-07, असेम्बलर-16, इम्पोर्टर-10, बल्क कन्ज्यूमर -81, आक्शनर-06, रीसाईक्लर-46 कार्यरत हैं।

5.14 ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 2010 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2011 प्रकाशित किये गये थे जिन्हें वर्ष 2016 में संशोधित करते हुये ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 दिनांक 01 अक्टूबर 2016 प्रकाशित किये गये हैं जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रानिक्स अपशिष्ट का पर्यावरण प्रिय तकनीक से अपवहन किया जाना है। प्रत्येक ई-वेस्ट जनरेटर को ई-वेस्ट केवल केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत डिस्मेन्टलर्स/रिसाईक्लर्स के माध्यम से ही निष्पादित किया जाना है।

ई-वेस्ट के अंतर्गत अनुपयोगी इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर्स, लेपटॉप, टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन, एम.पी.3 प्लेयर्स, सी.एफ.एल. आदि को नियमों में अनुसूची-1 में शामिल किया गया है। ई-अपशिष्टों को उपयुक्त व पर्यावरण प्रिय पद्धति से निष्पादित किया जाना आवश्यक है अन्यथा यह पर्यावरण में घरेलू कचरे के साथ मिलकर भूमि एवं जल को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।



ई-वेस्ट पर कार्यशाला क्षे.का. कटनी 28 मार्च 2019

नियम-16 के शेड्यूल-1 में विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक्स उपकरण के पार्ट्स, स्पेयर्स एवं कन्जूमेबल के साथ ही सी.एफ.एल./बल्ब्स को भी सम्मिलित किया गया है। नियमों में ई-वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से प्रदेश में ई-वेस्ट इन्वेंटराइजेशन के कार्य के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मैन्यूफैक्चरर्स व रिफरबिशर्स को प्राधिकार तथा ई-अपशिष्ट को प्रॉसेस करने वाले डिस्मेंटलर्स एवं रिसाईक्लर्स को प्राधिकार दिया जाना शामिल है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इन नियमों में दिनांक 22 मार्च 2018 को आंशिक संशोधन किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से प्रोड्यूसर, मैनुफैक्चरर, इंपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, रिफरबिशर्स, डिस्मेंटलर एवं रिसाईक्लर आदि के दायित्वों में संशोधन किये गये हैं।

प्रदेश में अभी तक 01 मैन्यूफैक्चरर्स, 01 डिस्मेंटलर्स, 01 रिफरबिशर, 01 रिसाईक्लर्स एवं रिसाईक्लर के 09 कलेक्शन सेंटर स्थापित होकर कार्यरत हैं। इन संस्थाओं द्वारा वर्ष 2018–19 में 534.43 मी.टन ई-वेस्ट का निष्पादन हुआ है।

नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु रेडियो जिंगल्स प्रसारित किये जाते हैं तथा प्रदेश में विगत वर्ष भोपाल, इन्दौर, शहडोल, रीवा व पीथमपुर में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

ई-वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड की वेब-साईट <http://www.mppcb.nic.in/ewasteng.htm> पर उपलब्ध है।

5.15 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगरीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 बनाये गये थे। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 को अधिक्रांत करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाये गये हैं, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर क्रमशः दिनांक 29 मार्च 2016 तथा 8 अप्रैल 2016 से लागू हो गये हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

ये नियम प्रत्येक शहरीय स्थानीय निकाय, जनगणना आयुक्त द्वारा घोषित जनगणना नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, वायुयान बेस, बन्दरगाह और हारबर, रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के संगठनों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और प्रत्येक घरेलू सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित्रों पर लागू होंगे। अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कचरा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल आदि का निपटान कराना संबंधित नगरीय निकाय का उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा हेतु भूमि के आंवटन के लिये जिला कलेक्टर का उत्तरदायित्व निहित है।



ठोस अपशिष्ट पर कार्यशाला क्ष.का. कटनी 30 मार्च 2019

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्ट्रोत मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर उपायुक्त, राज्य और संघ क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विभाग के प्रभारी सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, स्थानीय निकायों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायत तथा शहरी समूहों के पृथक-पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू हैं, जो किसी सिविल ढांचे के निर्माण, पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप बिल्डिंग मटेरियल, मलबा और रोड़ी वाले अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। इनके पालन की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय की होगी तथा राज्य सरकार का संबंधित विभाग भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन बाबत् नीति दस्तावेज तैयार करेगा।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, सेवा प्रदाता और उनके संविदाकरों, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, भारतीय मानक व्यूरों ओर भारतीय रोड़ कांग्रेस, केन्द्रीय सरकार के पृथक—पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से निरंतर समन्वय रखा जा रहा है तथा इन अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रभावी कार्यवाही हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।



इन नियमों में अलग-अलग संस्थानों के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित हैं :

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण के लिये उत्तरदायी होगा। 20 टन प्रतिदिन से अधिक अथवा 300 टन प्रतिमाह से अधिक निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्थान/सेवा प्रदाता अपशिष्टों के उचित प्रबंधन की एक कार्ययोजना तैयार कर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करेगा तथा अपशिष्टों के निपटान के लिये अधिसूचित सुसंगत संदाय का भुगतान करेगा। संदाय की दर का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों के कर्तव्य :-

ऐसे संस्थान जो नगर में जल, सीवेज प्रबंधन, बिजली, टेलीफोन, सड़कें, जल निकास आदि सेवायें प्रदान करते हैं और अपने कार्यकलापों के दौरान विध्वंश अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं उन्हें छः माह के भीतर ऐसे अपशिष्टों के उचित प्रबंधन/चक्रीकरण/पुर्नउपयोग हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना है। सेवा प्रदाता ऐसे सभी अपशिष्टों को हटायेंगे एवं कार्यस्थल आवश्यकतानुसार प्रत्येक दिन साफ करेंगे।

स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य

संनिर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना, अपशिष्टों के प्रबंधन के पश्चात् अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करना, परिसंकटमय, विषैले या नाभिकीय अपशिष्ट से संदूषित अपशिष्टों का सुरक्षित निस्सारण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन, अपशिष्ट प्रबंधन योजना का परीक्षण एवं मंजूरी, अपशिष्टों के उत्पादन संबंधी डाटाबेस तैयार करना, विशेषज्ञों से परामर्श कर प्रसंस्करण सुविधा और सर्वोत्तम संभावित रीति से पुर्नचक्रण हेतु योजना बनाना, अपशिष्टों के भण्डारण, प्रसंस्करण, पुर्नचक्रण, पुर्नउपयोग इत्यादि गतिविधियों प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञ संस्थानों और सिविल सोसाईटीज के माध्यम से शिक्षा एवं संचार की दीर्घकालिक प्रणाली तैयार कर प्रचार-प्रसार करना सम्मिलित है ताकि विध्वंश अपशिष्टों से बनी सामग्री के प्रयोग हेतु पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सके।

राज्य बोर्ड के कर्तव्य

नियमों के पालन की स्थानीय निकायों के साथ मॉनिटरिंग, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा हेतु प्राधिकार देना एवं 31 जुलाई तक वार्षिक प्रतिवेदन/आंकड़े एकत्र कर राज्य सरकार द्वारा नियत नोडल अधिकरण तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करना है। उक्त अधिनियमों के तहत नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार लेना है तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वयन कराने की मॉनिटरिंग करना तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर भेजना है।

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की वर्तमान स्थिति –

प्रदेश में 16 नगर पालिका निगम, 362 नगर पालिका परिषद/नगर परिषद सहित कुल 378 नगरीय निकाय एवं 05 छावनी परिषद हैं। 378 नगर पालिका निगम/ नगर पालिका परिषद/नगर परिषद की कुल जन संख्या 2,03,90,746 है, जिससे 8000 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसमें से 7500 मैट्रिक टन/दिन का संग्रहण हो रहा है। कुल संग्रहित ठोस अपशिष्ट में से 5000 मैट्रिक टन/दिन अपशिष्ट, कम्पोस्ट बनाने में तथा 400 मैट्रिक टन/दिन, वेस्ट से ऊर्जा

उत्पादन एवं 700 मैट्रिक टन मटेरियल रिकवरी हेतु उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेसिंग प्लांट 11.5 मेगावाट क्षमता का स्थापित है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में विभाजित किया जाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित योजना बनायी गयी है, जिसमें 6 स्थानों पर कचरे से ऊर्जा (वेस्ट टू एनर्जी) तथा 20 स्थानों पर कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किये जाने की योजना है। जबलपुर, उज्जैन व कटनी में प्लांट कार्यरत है तथा भोपाल, सागर, इन्दौर, ग्वालियर व रीवा में प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रदेश के सभी निकायों में आर्गेनिक, इनर्ट प्लास्टिक अपशिष्ट आदि के प्रभावी एकत्रीकरण, परिवहन एवं उपचार पद्धति की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। प्रदेश के 364 निकायों में घरों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था संचालित की जा रही है। 249 नगरीय निकायों में घरों से निकलने वाले कचरे को उसके स्त्रोत पर ही पृथक्कीकृत करने की प्रक्रिया अपनाई है। नगरीय क्षेत्र में कुल 1,48,716 घरों में कम्पोस्टिंग का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के 33 डम्प साईट का चयन कर पुरानी डम्प साईट पर उपस्थित कचरे का बायो-रेमेडियेशन प्रक्रिया अंतर्गत बायो-माईनिंग कार्य किया जा रहा है। जिसमें से 10 डम्प साईट में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

145 निकायों में कम्पोस्टिंग सुविधा को जियो टेग किया जा चुका है। सभी 378 निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट से मटेरियल रिकवरी का कार्य किया जा रहा है तथा 112 नगरीय निकायों में स्थायी मटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना की जा चुकी है।

प्रदेश में निर्माण एवं विधंश अपशिष्ट नियम 2016 की वर्तमान स्थिति –

नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा 100 टन प्रतिदिन क्षमता का निर्माण एवं विधंश अपशिष्टों के प्रोसेसिंग हेतु संयंत्र/सुविधा स्थापित की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 378 नगरीय निकायों में से 284 में अपशिष्टों के एकत्रीकरण हेतु व्यवस्थायें प्रांगभ की गई हैं।

बोर्ड द्वारा नियमों के पालन हेतु प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यवाही की गयी

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनजागरूकता तथा प्रचार प्रसार हेतु बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वर्कशॉप/इन्टरेक्शन मीट आयोजित की गयी हैं, जिसमें प्रदेश के सभी 52 जिले शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त समर्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिपेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई अधिकारी से चर्चा कर समझाईश दी गयी। प्रदेश में व्यापक जनजागृति हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा भी निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन कराने हेतु स्यम-समय पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आदेश/मार्गदर्शन संबंधित निकायों को भेजे गये तथा नियमों के पालन बाबत पत्र/निर्देश समझाईश जारी की गयी है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण विभाग द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ निरंतर समन्वय रखा जाता रहा है एवं नियमों के क्रियान्वयन की समय—समय पर समीक्षा की जाती है।

5.16 घरेलू दूषित जल (सीवेज) प्रबंधन

मध्य प्रदेश में लगभग 6000 एमएलडी घरेलू दूषित जल (सीवेज) उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 2170 एमएलडी सीवेज नगरीय निकायों से उत्पन्न होता है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 4 शहरों में 433 एमएलडी क्षमता के 14 एसटीपी कार्यरत है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार उपरोक्त एसटीपी के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों में 184.05 एमएलडी क्षमता के 5 एसटीपी कार्यरत है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 33 शहरों में 1054 एमएलडी सीवेज उपचार हेतु 72 एसटीपी निर्माणाधीन है तथा प्रदेश के 9 शहरों में उत्पन्न होने वाले 103 एमएलडी सीवेज के उपचार हेतु 23 एसटीपी के प्रस्ताव तैयार किये गये है तथा उनकी निविदा प्रक्रिया जारी हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 03 शहरों में लगभग 68 एमएलडी क्षमता के एसटीपी स्थापित है परन्तु सीवेज लाईन के अभाव में कार्यरत नहीं है। इस प्रकार, वर्तमान में सीवेज उपचार की कुल क्षमता 617.05 एमएलडी है। जो कि नगरीय निकायों से उत्पन्न हो रहे सीवेज का कुल 28 प्रतिशत है। समस्त एसटीपी क्रियाशील होने की दशा में प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता 1842 एमएलडी हो जायेगी, जो कि नगरीय निकायों से उत्पन्न हो रहे सीवेज का लगभग 85 प्रतिशत होगा।

विभिन्न उद्योगों, माइन्स, कॉलोनी, मॉल्स, होटल्स, मैरिज गार्डन्स, अस्पतालों आदि द्वारा 154 एसटीपी बनाये गये हैं, जिनकी क्षमता लगभग 64 एमएलडी है। इसी प्रकार ग्रामों में भी सीवेज का निस्सारण सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट्स के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में घरेलू दूषित जल (सीवेज) के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन हेतु प्रत्येक नगर व ग्राम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उपचारित सीवेज का उपयोग वृक्षारोपण/सिंचाई इत्यादि में होकर शुद्ध जल संरक्षित किया जा सके।

5.17 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

1. पॉलिथीन की थैलियों/पन्नियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

- मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु 22 मई, 2017 को संशोधन अध्यादेश 2017 लाया गया है। उपरोक्त अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/2015/18-5 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर दिनांक 24/05/2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
- प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण एवं उपयोग को हतोत्साहित करने की दृष्टि से प्रदेश में संचालित सभी 21 कैरी बैग निर्माण इकाईयों को वर्ष 2017-18 के दौरान बन्द किया

जा चुका है। आम—जनता में जन—जागृति हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान 94 जन—जागृति के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

3. प्रदेश की नगरीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर 941 औचक निरीक्षण/छापामार/कैरी बैग जप्ती की कार्यवाहियों प्रदेश भर में की गई हैं। कार्यवाही के दौरान नगरीय निकायों द्वारा उल्लंघनकर्ताओं से लगभग 51.62 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैरी बैग जप्त करते हुए रु. 43.78 लाख जुर्माना लगाया गया है।
4. प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर लागू किये गये प्रतिबंध के संबंध में आम—जनता की सूचना हेतु दिनांक 20/07/2018 को समाचार पत्रों में जानकारी प्रकाशित की गई।
5. प्रतिबंध के संबंध में जन—जन तक जानकारी पहुँचाने की दृष्टि से इस संबंध में दिनांक 25/05/2018 से दिनांक 08/06/2018 तक (कुल 15 दिनों के लिये) विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रेडियो जिंगल प्रसारित किये गये।

2. सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरे का सह—दहन

1. प्रदेश के सभी 13 सीमेंट उद्योगों द्वारा किल्न में प्लास्टिक कचरे के सह—दहन हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त कर ली गई है, जिसके अनुसार प्रदेश में प्लास्टिक सह—दहन हेतु कुल 1,13,610 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता उपलब्ध है।
2. प्लास्टिक कचरे का सीमेंट किलन में सह—दहन करने के संबंध में दिनांक 11/06/2018 को सीमेंट उद्योगों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष के दौरान 20,960 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने हेतु उद्योगों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सीमेंट उद्योगों द्वारा वर्ष 2018—19 के दौरान लगभग 18,283 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग करते हुए लगभग 36,000 मीट्रिक टन कोयले की बचत की गई है।
3. सीमेंट उद्योगों द्वारा वर्ष 2008—09 से वर्तमान तक लगभग 65,945 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सहदहन किया जा चुका है।
4. प्लास्टिक कचरा सह—दहन के संबंध में दिनांक 29/03/2019 को पुनः सीमेंट उद्योगों के साथ समीक्षा कर वर्ष 2019—20 में 22,710 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा सह—दहन करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग

प्रदेश की ग्रामीण सड़कों में बिटूमिन के साथ प्लास्टिक कचरे का वर्ष 2014—15 से उपयोग प्रारंभ किया गया था। सड़क निर्माण में 3.75 मीटर चौड़ी सड़क में 4.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर तथा 3.0 मीटर चौड़ी सड़क में 3.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा मध्य प्रदेश मार्ग सम्पर्कता योजना द्वारा वर्ष 2018—19 के दौरान 1222.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया गया है।

5.18 फ्लाई ऐश प्रबंधन

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) उपधारा (2) के खण्ड (अ) तथा धारा 5 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर 1999 को फ्लाई ऐश अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। इस फ्लाई ऐश अधिसूचना दिनांक 14/09/1999 को क्रमशः 27/08/2003, 2007, 03/11/2009 तथा 25/01/2018 में संशोधित किया गया है। उक्त अधिसूचना का उद्देश्य बहुमूल्य मृदा को बचाना तथा थर्मल पावर इकाईयों से उत्पन्न राखड़ का ईंट निर्माण सहित विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना है। ईंटों के विनिर्माण के लिये ऊपरी मृदा के उत्खनन तथा निर्माण सामग्री के विनिर्माण में फ्लाईऐश के उपयोग का संवर्धन करने तथा बिना फ्लाई ऐश / फ्लाई ऐश आधारित निर्माण सामग्रियों के उपयोग को लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से एक सौ कि.मी. के विनिर्दिष्ट अर्धव्यास के भीतर संनिर्माण कार्यों में निर्बाधित करने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसे अधिसूचना दिनांक 27/01/2016 द्वारा 300 किलोमीटर किया गया है।

तापीय विद्युत संयंत्र जहाँ कोयला अथवा लिग्नाईट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उनमें जनित कोयला या लिग्नाईट की राख (ऐश) तापीय विद्युत संयंत्रों में स्थापित किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.), बैग फिल्टर, बॉयलर के पेंदी में एकत्र होती है जिसका निष्पादन एक राष्ट्र व्यापी समस्या है। इस फ्लाई ऐश का उपयोग सुनिश्चित कर ही इसके निपटान की समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

ईंटों, टाईलों, इत्यादि के विनिर्माण के लिये तथा अन्य संकर्म के लिये, जिसमें ऊपरी मृदा का उपयोग किया जाता है, उस ऊपरी मृदा के उत्खनन को निर्बाधित करने की आवश्यकता है तथा यहाँ मृदा के स्थान पर फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मृदा के संरक्षण के अंतिम लक्ष्य को अभिप्राप्त करने के लिए तथा फ्लाई ऐश के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम से कम करने तथा फ्लाई ऐश, जिसे एक त्याज्य कचरा समझा जाता है, उसे एक संसाधन के रूप में उपयोग करने एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सूखी फ्लाई ऐश का एक अन्य उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी हो रहा है तथा बाजार में उपलब्ध अधिकांश सीमेंटों में निर्धारित मात्रा में फ्लाई ऐश मिश्रित की जाती है।

27 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गयी अधिसूचना में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

- कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से 100 कि.मी. की परिधि के भीतर सड़क संनिर्माण परियोजनाओं या ऐश आधारित उत्पादों के संनिर्माण के लिये या कृषि संबंधित क्रियाकलापों में मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग के लिए ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा वहन की जाएगी और 100 कि.मी. की परिधि से परे 300 कि.मी. की परिधि के भीतर परिवहन की लागत को उपभोक्ता और कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच समान रूप से अंश भाजित की जाएगी।
- तापीय विद्युत संयंत्र के 300 कि.मी. की त्रिज्या में किसी भी निचली भूमि के भरण में केवल फ्लाई ऐश का ही उपयोग किया जाना चाहिये। संयंत्र के 50 कि.मी. के दायरे में खुली खदानों के ओवरबर्डन में 25: फ्लाई ऐश मिश्रित की जाना चाहिए तथा भूमिगत खदानों की सुरंगों में स्टोइंग हेतु 25: फ्लाई ऐश का उपयोग होना चाहिए।

- कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के 300 कि.मी. की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों, सड़कों, बांधों और तटबंधों के संनिर्माण सहित सरकार के स्थाई निर्माण कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की सम्पूर्ण लागत को तापीय विद्युत संयंत्र वहन करेगा।
- सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपबंधों का अनुपालन करने की समयावधि 31 दिसम्बर, 2017 है। कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, उनके द्वारा उत्पादित फ्लाईऐश के 100: उपयोग की व्यवस्था तथा उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन 31 दिसम्बर, 2017 से पूर्व करेंगे।
- फ्लाई ऐश के पुनर्जपयोग के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे फ्लाई ऐश के पुनर्जपयोग के लिये विशेष प्रयास करें। फ्लाई ऐश का जिन विधाओं में उपयोग किया जाना है वे जिन विभागों को इसमें हिस्सेदारी दी गई है, उसके अनुसार प्रदेश के ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न फ्लाई ऐश का थर्मल पावर प्लांट द्वारा स्वयं के निर्माण कार्यों में, कोयला खदानों में, शासन के सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, सड़क निर्माण विभाग, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण संघ, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इत्यादि के द्वारा उपयोग किया जाना प्रारंभ किया गया है। अधिसूचना में उपयोग को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :—

क्र.	भवन निर्माण सामग्री अथवा उत्पाद	फ्लाईऐश के वजन के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत
1	फ्लाईऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, टाईल्स इत्यादि फ्लाईऐश, चूना, जिप्सम, रेत, पत्थर का चूरा (क्ले के बगैर) आदि द्वारा निर्मित	सामग्री के इनपुट का कुल 50:
2	पेविंग ब्लॉक, पेविंग टाइल्स, चैकर टाइल्स, मोजाइक टाइल्स, रूफिंग शीट, प्री-कास्ट एलीमेंट्स इत्यादि	Usage of PPC (IS-1489,Part-1) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (IS-269/8112/12269) content
3	सीमेंट	कुल कच्चे माल का 15:
4	क्ले आधारित भवन सामग्री ईट, टाईल्स ब्लॉक इत्यादि	कुल कच्चे माल का 25:
5	कांकीट मोर्टर, प्लास्टर इत्यादि	Usage of PPC (IS-1489,Part-1) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (IS-269/8112/12269) content

उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-19-64 / 2011 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 05 / 07 / 2011 के माध्यम से निम्नलिखित सदस्यों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है :—

1	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
3	सचिव, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
4	सचिव, खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
5	आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	सदस्य
6	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	संयोजक

मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा समय—समय पर बैठक आयोजित कर फलाई ऐश के उपयोग संबंधी कार्यवाही की समीक्षा कर संभावित कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2018–19 में समिति की बैठक दिनांक 25/02/2019 को की गई। नियमित समीक्षा के फलस्वरूप फलाई ऐश के उपयोग बढ़ाने हेतु थर्मल पावर इकाईयों द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप विचाराधीन वर्ष की तुलना में फलाईऐश के उपयोग में वृद्धि हुई है। बोर्ड के मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फलाई ऐश उपयोगकर्ताओं तथा थर्मल पावर इकाई प्रबंधन के साथ बैठक कर समन्वय किया जाता है, इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुये हैं।

वर्ष 2018–19 में प्रमुख ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न फलाई ऐश की उपयोग की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	ताप विद्युत संयंत्र	विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	फलाई ऐश उत्पादन (मैट्रिक टन)	फलाई ऐश उपयोग की मात्रा (मैट्रिक टन)	फलाई ऐश उपयोग (%)
1	एन.टी.पी.सी. लि., विंध्याचल सुपर थर्मल पावर, सिंगरौली	4760	8324181	2673727	32-12 %
2	सासन पावर, सिद्धिखुर्द, सिंगरौली	3960	5027733	1491694	29-67%
3	संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट,	4x (210)+ (500) (1340)	2020334	1453863	71-96%
4	सतपुड़ा थर्मल पावर, सारणी, बैतूल	1330	2305916	701584	30.43 %
5	जे.पी. पावर लि., निगरी, सिंगरौली	2x660 (1320)	1520000	1151000	75.75 %
6	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला खण्डवा	2520	2155466-828	262474-663	12.17 %
7	एम.बी.पावर.,जिला अनूपपुर	2x600 (1200)	1577875-3	1635958	103.81 %
8	झाबुआ पावर लि., सिवनी	1x600 (600)	711365	499686	70.24 %
9	एस्सार पावर एम.पी. लि., जिला सिंगरौली	2x600 (1200)	562851	484986	86.42 %
10	जे.पी. बीना थर्मल पावर प्लांट, बीना, जिला सागर	2x250 (500)	536132-5	536132-5	100 %
11	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चचाई, जिला अनूपपुर	210	247702-4	164533-26	66.42 %
12	बी.एल.ए. पावर लि., निवारी, जिला नरसिंहपुर	2 x 45 (90)	28346	28346	99.50 %
13	हिणडालको इण्डस्ट्रीज़ लि., महान एल्युमिनियम, बरगवां, जिला सिंगरौली (कैप्टिव ताप विद्युत गृह)	6x150 (900)	1265112	917942	72.55 %
कुल		19930	26283015-028	12001926-42	45.66 %

प्रदेश में स्थापित कैप्टिव थर्मल पावर इकाईयों में फलाई ऐश उपयोग की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है तथा लगभग शतप्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग हो जाता है।

5.19 खदानों में पर्यावरण प्रबंधन

प्रदेश में संचालित होने वाली खदानों को खनन प्रक्रिया संचालित करने एवं इससे होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु खदान प्रक्रिया को जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों अनुसार जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करने का प्रावधान है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार खदान प्रक्रिया हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् खदान प्रबंधन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना सम्मति एवं उत्पादन सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। “ईज ऑफ डुइंग बिजनेस” के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा रेत खदानों को स्थापना सम्मति की परिधि से मुक्त रखा गया है एवं उत्पादन सम्मति प्रदान करने का प्रावधान है।



Automatic water spraying at crusher of CHP



70 kl water sprinkler for mine haul road



Clarifier of ETP



Benching of OB dump

खदानों को पर्यावरण स्वीकृति तथा सम्मति प्राप्त करने के उपरांत जिला खनिज कार्यालय से खनिज उत्खनन एवं परिवहन हेतु पिट पास प्राप्त करने होते हैं, जो निश्चित मात्रा के लिये जारी होते हैं। खदान लीज आवंटन एवं खदान संचालन के दौरान खनन किये गये खनिज की मात्रा का विवरण

जिला खनिज कार्यालय द्वारा रखा जाता है। खदानों को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्था करने की शर्त के साथ सम्मति प्रदान की जाती है, जिसमें जल प्रदूषण के अन्तर्गत वर्षा जल के साथ मिट्टी/ मिनरल्स के बहाव को रोकने हेतु ओवर वर्डन डम्प प्रबंधन, गारलेण्ड ड्रेन तथा सिलटेशन पौण्ड निर्माण, गेवियन वॉल एवं वृक्षारोपण मुख्य हैं।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत धूल कण उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़क पक्कीकरण, कन्वेयर बेल्ट द्वारा मिनरल परिवहन, ट्रांसफर पाइंट पर वायु प्रदूषण उपकरणों के अन्तर्गत बैग फिल्टर आदि स्थापित किये जाते हैं। खनन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व टॉप स्वाईल (ऊपरी सतह) को चिन्हित स्थान पर संग्रहित कर रखने का प्रावधान किया जाता है एवं टॉप स्वाईल (ऊपरी सतह) का उपयोग माझ्जन क्लोजर उपरांत ग्रीन कवर बनाने हेतु किये जाने का प्रावधान है। खदानों में सामान्यतः बड़ी चट्टानों को तोड़ने हेतु ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे कम्पन एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है। इसके नियंत्रण हेतु डिले डिटोनेटर का उपयोग करने का प्रावधान किया जाता है साथ ही ब्लास्टिंग को कार्य दिवस के समय करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

प्रदेश में कोयला खदाने मुख्यतः सिंगरौली, शहडोल, छिन्दवाड़ा एवं बैतूल क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें कोयले का खनन भूमिगत प्रक्रिया एवं ओपन कास्ट प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। प्रदेश में लगभग 90 कोयला खदाने स्थापित हैं। जिसमें कोल इंडिया की खदानों के साथ में निजी क्षेत्र की खदाने भी शामिल हैं। सिंगरौली क्षेत्र में नार्दन कोल फील्ड्स की खदाने स्थापित हैं जो उत्पादन क्षमता में प्रदेश में अग्रणीय हैं। कोयला खदानों में कोल परिवहन से होने वाले फ्युजिटिक्स उत्सर्जन नियंत्रण हेतु सतत वाटर स्प्रिंकिलंग, फॉगर्स, वॉटरगन के साथ पक्का सड़क मार्ग व्यवस्था एवं स्वीपिंग मशीनों आदि व्यवस्था करने की शर्त दी जाती है। खुली खदानों के पिट में दुर्घटना की रोकथाम हेतु लीज क्षेत्र के चारों ओर फेन्सिंग का प्रावधान भी किया जाता है। बोर्ड के सतत प्रयासों एवं निगरानी से खदानों में पर्यावरण प्रबंधन के अन्तर्गत दूषित जल उपचार व्यवस्था के अन्तर्गत ई.टी.पी., एस.टी.पी. तथा पी.टी.जेड केमरा इन्स्टॉलेशन एवं ओवर वर्डन डम्प प्रबंधन के अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है। बोर्ड के सतत प्रयासों एवं निगरानी से खदानों में पर्यावरण प्रबंधन के अन्तर्गत दूषित जल उपचार व्यवस्था के अन्तर्गत ई.टी.पी., एस.टी.पी. तथा पी.टी.जेड केमरा इन्स्टॉलेशन एवं ओवर वर्डन डम्प प्रबंधन के अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है।

6. पर्यावरणीय अनुसंधान

पर्यावरण के क्षेत्र में सतत रूप से अनुसंधान का बहुत महत्व है। उद्योगों के निस्त्रावों एवं उत्सर्जनों पर नियंत्रण तथा उपचार हेतु नई—नई प्रणालियाँ विकसित होती जा रहीं हैं। इन प्रणालियों की प्रदेश की जल, वायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपादेयता परखकर उसे प्रचलित करने के उद्देश्य से मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अनुसंधान केन्द्र कार्यरत है। विचाराधीन वर्ष में केन्द्रीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया —

1 मध्य प्रदेश के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग


औद्योगिक प्रदूषण ने पिछले दो शताब्दियों से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिसकी वैश्विक स्तर पर वृद्धि जारी है। दिन प्रति दिन उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों से पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव, प्रदूषकों की जहरीली प्रति के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण निगरानी कर यह जानना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता स्वास्थ्य अनुकूल है या नहीं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कर पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति का आकलन करना है। केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय घटकों (वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि) में होने वाले प्रदूषण के आकलन हेतु मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को 20 खंडों में विभाजित किया गया जिसमें इस अध्ययन के लिए 13 ब्लॉक चुने गए। इस अध्ययन के दौरान मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण मध्यम पाया गया। वर्ष 2017–18 से 2018–19 के अध्ययन की तुलना में अध्ययन किए गए पर्यावरणीय घटकों की सान्द्रता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है।



2 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के क्लोरीनयुक्त पेय जल में ट्रॉय हैलो मीथेन्स की उपस्थिति का अध्ययन।

ट्रॉय हैलो मीथेन्स (टी एच एम एस) चार रसायनों (ट्रॉयक्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोक्लोरोमीथेन, ब्रोमोडाईक्लोरोमीथेन, ट्रॉयक्लोरोमीथेन) का एक समूह है जो पीने के पानी में कीटाणुशोधन हेतु क्लोरीन या अन्य डिसइंफेक्टेंट की अभिक्रिया के सह उत्पाद होते हैं। क्लोरिनीकरण जल में स्वाभाविक रूप से होने वाले जैविक और अकार्बनिक पदार्थों के साथ माइक्रोबियल दूषित पदार्थों को नियंत्रित करते हैं। परन्तु इस अभिक्रिया के सह उत्पाद ट्रॉय हैलो मीथेन्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भोपाल के क्लोरीनयुक्त पेयजल में ट्रॉय हैलो मीथेन्स की उपस्थिति का आकलन करना है। केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इंदौर के दो जल निस्पंदन संयंत्रों एवं शहर के आस-पास नगर निगम के पंद्रह यूजर एन्ड को ट्रॉय हैलो मीथेन्स की मॉनिटरिंग के लिए चुना गया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि, अपरिष्कृत जल में ट्रॉय ट्रॉय हैलो मीथेन्स अनुपस्थित पाए गए परन्तु उपचारित जल में ट्रॉय हैलो मीथेन्स की सान्द्रता आई एस 10500–2012 द्वारा निर्धारित मानक सीमा में पाए गए।

इंदौर शहर के क्लोरीनयुक्त पेय जल में ट्रॉय हैलो मीथेन्स की मॉनिटरिंग
 Central Laboratory



चित्र: इन्टेक पॉइंट इंद्रा सागर फिल्ट्रेशन प्लांट इंदौर



चित्र: फिल्टर बेड इंद्रा सागर फिल्ट्रेशन प्लांट इंदौर




चित्र: इन्टेक वेल नर्मदा फिल्ट्रेशन प्लांट जलोदय



चित्र: सम्पन्नर्मदा ट्रीटमेंट प्लांट वारू पॉइंट इंदौर



चित्र: नर्मदा फिल्ट्रेशन प्लांट महू



चित्र: ओवरहैउ टैक, बी एस एफ कॉलेजी, इंदौर

3 जैव चिकित्सीय निःस्त्राव की विषाक्तता का अध्ययन

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट जल अत्यधिक विषाक्त और संक्रामक है उपचार के बिना पर्यावरण में निर्वहन बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। विभिन्न चिकित्सालयों के निःस्त्राव में जटिल गैर-बायोडिग्रेडेबल और विषैले कार्बनिक यौगिक प्रदूषक हो सकते हैं जो कि पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा हैं। बढ़ते हुए उच्च प्रदूषण को देखते हुए हॉस्पिटल्स की वजह से विभिन्न प्रकार के विषाक्त दुर्दम्य कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति एवं दक्षता का मूल्यांकन करने में विषाक्तता अध्ययन महत्वपूर्ण है अतः केंद्रीय प्रयोगशाला मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस अध्ययन के लिए भोपाल शहर के चौदह चिकित्सालयों का चयन किया गया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि, जैव परख परीक्षण के विशेष संदर्भ में चौदह चिकित्सालयों से निकलने वाले उपचारित जल तीव्र घातक विषाक्तता से मुक्त पाया गया।




(4) मध्यप्रदेश की बेतवा नदी की बायोमॉनिटरिंग

बायो-मॉनिटरिंग, परिवर्तनशील जैविकों की प्रस्तावना हेतु जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक व क्रियात्मक बिन्दुओं के परीक्षण के लिये है।

फिजियो-केमिकल तकनीक को परिपूर्ण करने हेतु बायो-मॉनिटरिंग का उपयोग किफायती रूप से किया जा सकता है। बायो-मॉनिटरिंग की सहायता से जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर कई कारणों से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। इन कारणों के अंतर्गत निम्न बिन्दु हैं। गैर मानसूनी समय में जल की अनुपलब्धता।

- ❖ गैर मानसूनी समय में जल की अनुपलब्धता।
- ❖ कम ऑक्सीजन की परिस्थिति तथा यूट्रोफिकेशन।
- ❖ अधिक फीकल कॉलीफार्म की मात्रा।
- ❖ भारी धातुओं की उपस्थिति।
- ❖ संवेदनशील प्रजातियों का निष्कासन।

दिन रात धारा के प्रवाह में बह रहे जलीय जीव प्रदूषण के संपर्क में आते हैं। परिणामस्वरूप जीवों का स्वारथ्य उस पानी की गुणवत्ता को भी बताता है जिसमें वे रहते हैं। यदि जल का प्रदूषण एक क्रिटिकल कन्सन्ट्रेशन तक पहुँच गया तो कुछ जीव मर जायेंगे, कुछ स्थानांतरण कर लेंगे व कुछ रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इस प्रकार वे जीव प्रदूषित क्षेत्र से ओझल हो जायेंगे। वर्ष 2017–2018 एवं 2018–19 में केंद्रीय प्रयोगशाला मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में पूरे बेतवा नदी खंड को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर कुल बारह स्थलों पर बायो-मॉनिटरिंग कार्य किया गया। बॉयोमॉनिटरिंग के अध्ययन में बेतवा नदी के जल का औसत जैविक जल गुणवत्ता मानदंड क्लास बी से सी के अंतर्गत पाया गया।



मान्यता:-

केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना राजपत्र अधिसूचना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 16 (3) के तहत् दिनांक 08/02/2008 को की गई है। स्थापना के उपरांत प्रयोगशाला ने निम्नलिखित मान्यताओं को प्राप्त किया है-

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् 2007 से पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त।
- आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अंतर्गत जल और अपशिष्ट जल के लिये 2011 से (एन.ए.बी.एल.) (डी.एस.टी., भारत सरकार) से मान्यता प्राप्त।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकलन श्रृंखला 18001:2007 के तहत् 2013 से प्रमाणित

केन्द्रीय प्रयोगशाला सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयोगशालाओं में वह एक प्रयोगशाला है, जिसे एन.ए.बी.एल.-आई.एस.ओ./ आई.ई.ई.सी. 17025:2005, ओसास 18001: 2007 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् मान्यता प्राप्त है।

सुविधाएः – केन्द्रीय प्रयोगशाला में विभिन्न पर्यावरणीय घटकों की निगरानी के लिये अत्यधिक कुशल वैज्ञानिकों एवं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला है।

- जल / दूषित जल
- परिवेशीय वायु
- स्त्रोत उत्सर्जन
- मिट्टी / ठोस अपशिष्ट
- ध्वनि स्तर
- जीवाणुतत्व
- जैव निगरानी
- टॉक्सिसीटी
- वाहनों की निगरानी

नमूने और परीक्षण विशेषज्ञता

जल / जल अपशिष्ट	मृदा / मृदा अपशिष्ट	परिवेशीय वायु	स्त्रोत उत्सर्जन प्रयोगशाला
रंग गंध पी.एच.वैल्यू टर्बिडिटी ठोस घुलनशील अमोनिया बोरॉन कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड फास्फोरस जैविक ऑक्सीजन	अमोनिया बाय कार्बोनेट बोरॉन कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट केटायन एक्सचेंज केपेसिटी क्लोराइड रंग विद्युत चालकता विनिमेय सोडियम प्रतिशत विनिमेय	सल्फर डाय-ऑक्साइड नाइट्रोजन डाय ऑक्साइड पर्टिकुलेट मैटर (पी.एम. 10) पर्टिकुलेट मैटर (पी.एम.2. 5) ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनिया बैंजीन धातुएँ	पर्टिकुलेट मेटर हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड धातुयें कीटनाशक पॉलीन्यूक्लिर ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन

मांग (बी.ओ.डी)	सोडियम	कीटनाशक
रासायनिक ऑक्सीजन	भारी धातुरें	पॉलिन्यूकिलयर एरोमेटिक
मांग (सी.ओ.डी.)	मैग्नीशियम	हाइड्रोकार्बन
पौटेशियम	नाइट्रोट्रेट	
सोडियम	नाइट्रोइट	
कैल्शियम	उपस्थित नाइट्रोजन	
ठोस (कुल	आर्गनिक कार्बन /	
घुलनशील, निलंबित,	मेटर	
वाष्पशील, अवाष्पशील)	कीटनाशक	
मुक्त क्लोरिन अवशेष	पी.एच.	
मैग्नेशियम	फास्फोरस	
नाइट्रेट	फास्फेट	
फिनॉलिक यौगिक	पौटेशियम	
सल्फेट	मृदा विक्षालन में एस.	
सल्फाइड	ए.आर.	
कठोरता (कुल, कैल्शिय	सोडियम	
म, मैग्नेशियम)	मृदा आर्द्रता	
कुल जेलडाल	सल्फेट	
नाइट्रोजन	सल्फर	
तेल एवं ग्रीस	फ्लैश बिन्दु /	
हैक्जावेलेंट कोमियम	प्रज्वलनता	
धातुरें	विषाक्तता का मापन	
कीटनाशक	ऊष्मीय मान	
पॉली न्यूकिलयर	(कैलोरीफिक वैल्यू)	
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन		
द्रायहेलोमीथेन		
ई-कोलाई		
कुल कोलिफार्म		
बैक्टीरिया		
बायो एसे.परीक्षण		

उपलब्ध उपकरण सुविधा

उपकरण	उपयोगिता
टॉमिक एब्जार्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	वायु/जल/मृदा/ठोस अपशिष्ठ
बी.ओ.डी. इनक्यूबेटर	विश्लेषण उपकरण
बॉम्ब कैलोरीमीटर	
बी.टी.एक्स.एनालाइजर	
सी.एच.एन.एस.एनालाइजर	
सी.ओ.डी.डायजेस्टर	
कन्डक्टीविटी मीटर	
डी.ओ.मीटर	
डीप फ्रीजर	
इलेक्ट्रोनिक बैलेन्स	
फ्लैम फोटोमीटर	
गैस क्रोमेटोग्राफ / मास स्पेक्ट्रोमीटर	
हेवी मेटल डायजेस्टर	
हॉट एयर ओवन्स	

ऑयन क्रोमेटोग्राफ	
मर्करी एनालाइजर	
मइक्रोप्रासेसर बेर्स्ड (यूवी-वी.आई.एस.)स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	
माइक्रोवेव डायजेस्टर	
मिलीपोर वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम	
मफल फरनेस	
पी.एच.मीटर	
पी.एम.2.5 सेम्पलर	
रिसपाइरेबल डस्ट सेम्पलर (आर.डी.एस.)	
साक्सलेट अप्रेटस	
स्टेक मॉनिटरिंग किट	
टी.के.एन.असेम्बली	
टॉक्सीसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसेड्यूर (टी.सी.एल.पी.)	
इक्यूपमेंट	
ट्रिपल डिस्टीलेशन यूनिट	
टर्बिडिटी मीटर	
अल्ट्रा सोनीकेटर	
यूवी-वीजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	
वीजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	
आई.सी.पी./मास स्पेक्ट्रोमीटर	
ऑटो क्लेव	बैकटीरियोलॉजिकल टेस्टिंग उपकरण
बैक्टिरियोलोजीकल इन्क्यूबेटर	
लेमीनार फ्लोर चेम्बर	
इन्वरटेड माइक्रोस्कोप	
स्टेरियो माइक्रोस्कोप	
माइक्रो मेटेरियोलोजिकल डाटा लोगर	मेटेरियोलोजिकल डाटा मॉनिटरिंग
साउण्ड लेवल मीटर	ध्वनि मापन

प्रकाशन

- Report preparation of project Study of Trihalomethans in chlorinated drinking water of Bhopal city.
- Research Paper entitled Ambient Air Quality Index during fire incidence at various locality around Bhanpura Khanti, Bhopal M.P in American Journal of Environment and Sustainable development, 2018, Vol3, No 2,20-28.

7. पर्यावरणीय प्रशिक्षण

उद्देश्य

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (1) (ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। पता लगाये गये लक्ष्य समूहों के लिये प्रदूषण के निवारण, रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता

बोर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रमुखता से है, ताकि बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को सहमति प्रबंध तथा बहिस्नाव व उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन इत्यादि को सरलता व कुशलतापूर्वक संपादन हेतु तैयार किया जाये :—

- वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और बहिस्नाव शोधन इकाईयों/उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण
- पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण।
- जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन पद्धति।
- प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक पद्धति, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण।
- सहमति पत्र प्रबंध और मानकों का निर्धारण।
- पर्यावरणीय परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति।
- खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण और कानूनी पहलुओं जैसे विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण।

उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भी उन्हें भेजा जाता है। बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं छात्रों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

क्र.	विवरण	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	समयावधि
1.	ट्रेनिंग ऑन प्रोसीजर फॉर एक्जामिनेशन ऑफ माईक्रोबायोलॉजीकल कंटेन्ट स्पेशिफिकली टोटल कॉलीफार्म एण्ड फीकल कॉलीफार्म ऑफ वाटर सेम्प्ल	15	5–6 अप्रैल, 2018
2.	शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल '	03	9–13 अप्रैल, 2018
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, भोपाल	06	25–29 जून, 2018
4.	अग्नि शामक यंत्रों के प्रचालन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण	समरत स्टाफ, केन्द्रीय प्रयोगशाला	13 जुलाई, 2018
5.	ट्रान्जेक्शन एण्ड इम्प्लीमेंटेशन ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC to 17025:2017 कंडक्टेड वॉय ग्रीन इकानांमी इनीशियटीव प्रा.लि., मोहाली	09	14 दिसम्बर, 2018
6.	शा. महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स पी.जी.कॉलेज, भोपाल	12	4–8 फरवरी 2019
7.	शा. गीतांजली गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, भोपाल	10	11–15 फरवरी, 2019
8.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल	18	11–15 मार्च, 2010

- छात्रों को पर्यावरण मानिटरिंग पर प्रशिक्षण

“पर्यावरणीय नियमों के कम्पलायंस, मॉनिटरिंग तथा एनफोरसमेंट प्रेक्टिसेस” विषय पर प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्विडिश एनवायरोमेंटल प्रोटेक्शन एजेन्सी (सेपा) तथा सेन्टर फॉर साइंस एण्ड एन्वायरोमेंट (सीएसई) के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 04 से 07 सितम्बर, 2018 को एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन पर्यावरण मंत्रीजी, म.प्र. शासन एवं समापन कार्यक्रम प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा कार्यकारी निदेशक, एफो, भोपाल द्वारा किया गया। इस 04 दिवसीय कार्यक्रम में सेपा के चार स्विडिश विषय विशेषज्ञ, सीएसई के एक्सपर्ट के अतिरिक्त 09 राज्यों के कुल 21 प्रतिनिधि उपस्थित हुये। म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 20 वैज्ञानिक/ इंजीनियर्स ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।



कार्यक्रम के दौरान विभिन्न व्याख्यानों तथा साईट विजिट का आयोजन किया गया। प्रमुख व्याख्यानों में विभिन्न पर्यावरणीय नियमों के तहत कत्तव्यों एवं निर्वाहन, स्विडिश में औद्योगिक प्रदूषण पर विधिक कार्यवाही संबंधी पेपर एवं पत्य उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण, एसटीपी, एमएसडब्ल्यू, हजॉड़स वेस्ट, ई-वेस्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में सफल स्टोरी आदि पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये गये।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी प्रशिक्षण आदि में नामित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1.	Networking Workshop on “Contaminated Sites Subsurface Investigations and Remediation” (MOEF & CC Project) Reg	MOEF & Climate Change	नई दिल्ली	12 एवं 13 जुलाई 2018	1. श्री डी.वी.एस. जाटव, रसायनज्ञ, क्षे.का. उज्जैन 2. श्री हर्षवर्धन ठक्कर, वैज्ञानिक मुख्यालय, भोपाल
2.	“आपदा प्रबंधन” विषय पर कार्यशाला (प्रशिक्षण)	DMI	भोपाल	16 से 19 जुलाई 2018	1. श्रीमती ऊषा कीर, क. वैज्ञानिक, ई.आर.सी., भोपाल 2. श्री भागवत सिंह, सेम्प्लर, मुख्यालय, 3. कु. हेमलता ढारसे, सेम्प्लर, मुख्यालय, 4. श्री राजकुमार मास्तकर, क्षे.का. भोपाल 5. श्री अरविन्द कुमार सिंह, क. वैज्ञानिक, मुख्यालय, 6. श्री ललित शर्मा, भृत्य, मुख्यालय 7. श्री वी.एस. चौधरी, ड्राफ्टसमैन 8. कु. अंकिता कुलश्रेष्ठ, एस.आर.एफ., मुख्यालय 9. श्री साकेत मिश्रा, एस.आर.एफ., मुख्यालय 10. कु. पूनम दुबे, जे.आर.एफ., मुख्यालय 11. श्री श्री माखन परमार, जे.आर.एफ., मुख्यालय 12. श्री हरीश उर्झके, जे.आर.एफ., मुख्यालय 13. श्रीमती वंदना रमानी, जे.आर.एफ., मुख्यालय
3.	IIWM, Bangalore	CPCB	बैंगलोर	24–26 जुलाई 2018	1. श्री आलोक जैन, अधीक्षण यंत्री 2. श्री आदेश श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री
	IWM	CPCB	बैंगलोर	28–30 अगस्त 2018	1. श्री हेमन्त शर्मा, डायरेक्टर पर्यावरण 2. श्री अभय सराफ, अधीक्षण यंत्री
4.	Noise Monitoring & Control Techniques-Reg.	CPCB	बैंगलोर	08 से 10 अगस्त 2018	1. श्री हरीश वानखेडे, वैज्ञानिक, मुख्यालय 2. श्री ए.यू. बैग, वैज्ञानिक, मुख्यालय
5.	“Industry – Institute Interactive & Business Meeting” reg.	CSIR Neeri	नागपुर	30 अगस्त 2018	1. श्री एस.एन. द्विवेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, जबलपुर 2. डॉ. आरती अग्रवाल, वैज्ञानिक, मुख्यालय
6.	“AirQuality ManagementWorkshop on for Industrial and Urban Areas”	CSE	अहमदाबाद	06 सितम्बर 2018	1. श्री आर.एस. कोरी, डायरेक्टर पर्यावरण, मुख्यालय 2. डॉ. रीता कोरी, मुख्य वरिष्ठ वैज्ञानिक, मुख्यालय
7.	Taxonomical Identification of	CPCB & CSIR,NEE	नागपुर	04 से	1. श्रीमती संगीता शुक्ला, कनिष्ठ वैज्ञानिक, मुख्यालय

	Macro Invertebrates in Biological Testing	RI		06 अक्टूबर 2018	2. श्रीमती विनीता गौतम, कनिष्ठ वैज्ञानिक, मुख्यालय
8.	Environmental Regulators org “Best Practices in Environmental Governance”	CSE	नई दिल्ली एवं स्टॉकहोम, स्वीडन	12 से 19 अक्टूबर 2018	1. श्री अजय मिश्रा, सहायक यंत्री, क्षे.का. पीथमपुर 2. डॉ. सुनील व्यास, वैज्ञानिक, क्षे.का. इंदौर 3. श्री सतीश कुमार चौकसे, सहायक यंत्री, क्षे.का. सागर
9.	Urban Air Quality Management Strategies	AAETI	अलवर, राजस्थान	27 से 30 नवम्बर 2018	डॉ. आरती अग्रवाल, वैज्ञानिक, मुख्यालय
10.	Minamata Convention and Inventorization of mercury in India	IIT	चेन्नई	4–5 दिसम्बर 2018	डॉ. आलोक सक्सेना, मुख्य रसायनज्ञ, मुख्यालय
11.	Wetlands & Climate Change	EPCO	भोपाल	2 फरवरी 2019	1. श्री साकेत मिश्रा, प्रोजेक्ट फेलो, मुख्यालय 2. स्मृति सेन, प्रो.फेलो, मुख्यालय
12.	Workshop Cum interaction meet on E-waste & Plastic waste Managment	CPCB	भोपाल	21 फरवरी 2019	1. श्री एम.एल.पटेल, अधी.यंत्री 2. श्री आलोक जेन, अधी.यंत्री एवं समस्य क्षेत्रीय अधिकारी
13.	Sustainable and Environment-friendly Industrial Production	CPCB	नई-दिल्ली	15 फरवरी 2019	श्री अभय सराफ, अधी. यंत्री, मुख्यालय

8. पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17(1) (ग, ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17(1) (ग,घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-मानस में जागरूकता एवं जन-भागीदारी की भावना उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों, प्रचार एवं जनशिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुँचाने वाले तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिए वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित जनजागृति कार्यक्रम

दिनांक 02 से 05 जून 2018 को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा नई-दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में म.प्र.शासन का स्टाल प्रदर्शित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध, नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) द्वारा किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी आम जनता को दी गई।



नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी

पर्यावरण जनजागृति हेतु बोर्ड के कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

- भोपाल शहर के विभिन्न स्कूलों में 15 से 26 अप्रैल 2018 तक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- एच.ई.जी.सभागार, मण्डीदीप में 4 मई 2018 को ई-वेस्ट एवं प्लास्टिक नियम 2016 विषय पर कार्यशाला का आयोजन।
- विठ्ठल मार्केट, अरेरा कॉलोनी, भोपाल में 5 मई 2018 को पॉलीथीन कैरी बैग विषय पर जन-जागृति कार्यक्रम।
- तरुण पुष्कर एवं पिपलानी पेट्रोल पंप के पास बी.एच.ई.एल. में 16 मई 2018 को जन-जागृति कार्यक्रम का आयोजन।
- सेठानी घाट एवं कोरी घाट होशंगाबाद में 18 से 28 मई 2018 तक नर्मदा स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- बोट क्लब, बड़ा तालाब, भोपाल में 22 से 27 मई 2018 को स्वच्छता अभियान चलाया गया
- 23 एवं 25 वीं बटालियन, भोपाल में 23 मई 2018 को जन-जागृति अभियान का आयोजन
- होटल पलॉश, भोपाल में 24 मई 2018 को जल एवं जल-स्त्रोंतो के संरक्षण विषय पर संगोष्ठि का आयोजन।
- रायसेन जिला मुख्यालय एवं औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप में दिनांक 28 एवं 29 मई 2018 को पर्यावरण रैली एवं जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन।
- टॉप एण्ड टाउन, न्यूमार्केट, डी.बी.मॉल एम.पी.नगर एवं 10 नं. मार्केट, अरेरा कॉलोनी, भोपाल में 29 मई 2018 को बीट प्लास्टिक पॉल्युशन विषय पर नुककड़ नाटक का आयोजन।
- जिला मुख्यालय, सीहोर एवं जिला मुख्यालय, बैतूल में 30 मई 2018 को पर्यावरण संरक्षण जनजागृति कार्यक्रम एवं स्वच्छता अभियान।
- जिला मुख्यालय, हरदा एवं जिला मुख्यालय, विदिशा में 31 मई 2018 को पर्यावरण संरक्षण जनजागृति कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।
- पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागृति हेतु भारत भवन, बोट क्लब से वन विहार मुख्य द्वार तक दिनांक 03 जून 2018 को मिनी मैराथन का आयोजन।
- टी.टी.नगर स्टेडियम, भोपाल में दिनांक 04 जून 2018 को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।
- शाहपुरा तालाब व पर्यावरण परिसर, भोपाल में दिनांक 04 जून 2018 को पर्यावरण स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया गया।
- टी.टी.नगर स्टेडियम, भोपाल में दिनांक 04 एवं 05 जून 2018 को पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- नर्मदा क्लब, हबीबगंज, भोपाल में दिनांक 04 जून 2018 को डी.आर.एम., भोपाल के साथ पर्यावरण इश्यूस विषय पर कार्यशाला।



- वल्लभ भवन एवं मुख्य रेल्वेस्टेशन, भोपाल में 05 जून 2018 को प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन की स्थापना की गई।
- रेल्वे कोच फैक्ट्री, हजेला हास्पिटल, पीपूल्स मेडिकल कालेज परिसर, भोपाल में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण जन-जागृति का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- हुड़को कार्यालय, भोपाल में दिनांक 05 जून को ई-वेस्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट नियम पर संगोष्ठि कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- बी.एच.ई.एल. हाट बाजार, भोपाल में दिनांक 06 जून 2018 को पॉलीथीन विरुद्ध अभियान के तहत जन-जागृति कार्यक्रम।
- रायसेन में प्लास्टिक रिसायकिलंग एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर दिनांक 22 जून 2018 को कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- पचमढ़ी दिनांक 25 जुलाई 2018 को पॉलीथीन विरुद्ध अभियान के तहत जन-जागृति कार्यक्रम।
- रायसेन में दिनांक 26 जुलाई 2018 को हरियाली महोत्सव पर कार्यक्रम।
- भोपाल में 27 जुलाई 2018 को निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
- 2 अगस्त 2018 को भोपाल में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, मे. इंडियन ऑयल कार्पो. तथा मे. भारत पेट्रोलियम लि. में प्लास्टिक कैरी बैग के प्रचलन को रोकने हेतु जन-जागृति कार्यक्रम।

- 30 अगस्त 2018 को भोपाल में प्लास्टिक एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट 2016 विषय पर कार्यशाला का कार्यशाला।
- भोपाल में दिनांक 4–6 सितम्बर 2018 को ईको-फेडली मूर्ति निर्माण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 16 सितम्बर 2018 को भोपाल में रेल्वे कोच फैक्ट्री एवं गोदरेज हर्षे में ओजोन परत संरक्षण विषय पर जनजागरुकता कार्यक्रम।
- 23 एवं 24 सितम्बर 2018 को भोपाल, होशंगाबाद एवं विदिशा के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जनजागृति कार्यक्रम।
- 14 अक्टुबर 2018 को होशंगाबाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला।
- 27–29 अक्टुबर 2018 को भोपाल शहर के विभिन्न स्थानों पर दीपावली पूर्व पटाखों से होने वाले दुष्प्रभावों पर जन-जागृति कार्यक्रम।
- 3 दिसम्बर 2018 गैस त्रासदी पर जन-जागृति कार्यक्रम का आयोजन।
- 14 एवं 15 जनवरी 2019 को मकर संक्रान्ति पर्व पर जन-जागृति कार्यक्रम।
- 22 जनवरी 2019 को भोपाल में प्लास्टिक कैरी बैग विरुद्ध जन-जागृति कार्यक्रम।
- 24 जनवरी 2019 को भोपाल में प्लास्टिक वेस्ट, ई-वेस्ट एवं खतरनाक अपशिष्ट नियम 2016 पर कार्यशाला।
- 12 फरवरी 2019 होशंगाबाद में नर्मदा जयंती महोत्सव पर जन-जागृति कार्यक्रम।
- 4, 13 फरवरी एवं 19 मार्च 2019 को भोपाल में ग्रीन स्कूल के चयन संबंधी जागरुकता कार्य।
- 17 फरवरी 2019 को भोपाल में प्लाग रन जन-जागृति स्वच्छता अभियान एवं जनजागृति कार्यक्रम
- 22 मार्च 2019 भोपाल में विश्व जल संरक्षण दिवस पर संगोष्ठि का आयोजन।

क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर

- 05 अप्रैल 2018 को इन्दौर शहर में एयर मॉडलिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- 27 अप्रैल 2018 को महेश्वर, मण्ड़लेश्वर में नर्मदा नदी को साफ रखने हेतु समझाईश दी गई एवं पम्पलेट्स वितरित किये गये।
- 09 मई 2018 को बड़वानी, खण्डवा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बंद करने हेतु जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- 19 मई 2018 को बुरहानपुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन बंद करने हेतु जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- 23 मई 2018 को बुरहानपुर में बीट प्लास्टिक पॉलिथीन विषय पर रैली का आयोजन किया गया साथ ही कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया।
- 27 मई 2018 को रेसीडेंसी क्लब, इन्दौर के साथ प्लास्टिक प्रदूषण एवं नियंत्रण विषय पर जन-जागरुकता कार्यक्रम एवं पर्यावरण क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- 31 मई 2018 को महेश्वर में पॉलीथीन सफाई अभियान एवं पर्यावरण जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- 01 जून 2018 को इन्दौर में बीट प्लास्टिक पॉलिथीन विषय पर रैली का आयोजन किया गया साथ ही कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया ।
- 02 जून 2018 को औंकारेश्वर में बीट प्लास्टिक पॉलिथीन विषय पर वृहद रैली का आयोजन किया गया ।
- 05 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन्दौर के ब्रिलियेंट कन्वेंशन सेंटर, विजय नगर में छात्र-छात्राओं हेतु चित्रकला / स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।



- 20 जुलाई 2018 को बड़वानी में नर्मदा नदी के किनारे प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल न करने एवं इससे होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई साथ ग्राम मोहीपुरा स्थित शा. स्कूल में पर्यावरण जागरूकता विषय पर संगोष्ठि का आयोजन किया गया ।
- 27 जुलाई 2018 को औंकारेश्वर स्थित शा. स्कूल में पर्यावरण जागरूकता विषय पर संगोष्ठि का आयोजन किया गया ।
- 10 अगस्त 2018 को शाहपुर जिला बुरहानपुर में पीओपी से बनी मूर्ति का निर्माण व उपयोग न करने संबंधी जन-जागृति कार्यक्रम चलाया गया ।
- 30 अगस्त 2018 को इन्दौर कार्यालय के सभागृह में मूर्तियों के विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण की रोकथाम एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण एवं जन-जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- 16 मई 2018 एवं 24 मई 2018 को क्रमशः बुरहानपुर एवं खरगौन में पीओपी से बनी मूर्ति का निर्माण व उपयोग न करने संबंधी जन-जागृति कार्यक्रम चलाया गया ।
- 30 नवम्बर 2018 को इन्दौर के स्थानीय स्कूलों में दीपावली पर्व पर अधिक आवाज एवं धुएं वाले पटाखें न छोड़ने हेतु जन जागृति कार्यक्रम ।
- 25 दिसम्बर 2018 को इन्दौर में जीव चिकित्सा प्रबंधन एवं इलेक्ट्रानिक वेस्ट प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

- 06 फरवरी 2019 को इन्दौर में ई—वेस्ट प्रबंध पर छात्र—छात्राओं को जानकारी दी गई।
- 17 फरवरी 2019 को इन्दौर एवं बुरहानपुर में मेगा प्लॉग रन का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर

- 1—2 जून 2018 को क्रमशः मुरैना एवं दतिया में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया।
- 4 जून 2018 को भिण्ड में पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया।
- 5 जून 2018 को ग्वालियर में पर्यावरण रैली, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी बैनर, पोस्टर, प्रदर्शन तथा पॉलिथीन के खिलाफ मुहिम हेतु पेपर एवं जूट के कपड़े के थैलो का वितरण किया गया।
- 6 जून 2018 को ग्वालियर में स्कूली छात्रों के साथ चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्रों को पुरस्कृत किया गया साथ ही श्योपुर में पर्यावरण रैली, पोस्टर प्रदर्शन एवं कपड़े एवं जूट के थैले का वितरण किया गया।
- 7 सितम्बर 2018 को ग्वालियर में मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन।
- 30 अक्टुबर 2018 को ग्वालियर में तथा मुरैना में पटाखों से मानव व जीव—जन्तुओं पर होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में जन—जागृति हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, गुना

- 1 जून 2018 को अशोक नगर में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं ई—वेस्ट प्रबंधन विषय पर स्टीकर चस्पा किये गये।
- 2 जून 2018 को श्योपुर में वृक्षारोपण संबंधी कार्य किया गया।
- 3 जून 2018 को राधौगढ़ में ई—वेस्ट एवं प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के प्रचलन को रोकने हेतु पम्पलेट एवं थैलों का वितरण।
- 4 जून 2018 को राधौगढ़ में पर्यावरण विषय पर संगोष्ठि का आयोजन एवं पौधारोपण किया गया।
- 5 जून 2018 को गुना में जनजागरूकता रैली, कपड़े के थैलो का वितरण एवं वरमी कम्पोस्ट व प्लास्टिक वेस्ट पर व्याख्यान।
- 6 जून 2018 को मे. एन.एफ.एल. गुना में बीट प्लास्टिक पॉल्युशन थीम पर संगोष्ठि एवं वाहन, धनि स्तर का मापन।
- 7 जून 2018 को गुना में बीट प्लास्टिक, सॉलिड वेस्ट, जल एवं वायु प्रदूषण तथा ई—वेस्ट पर संगोष्ठि, पौधारोपण, कपड़े के थैलो का वितरण किया गया।
- 30 अक्टुबर 2018 को गुना में शा. स्कूलों में दीपावली पर्व पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में जन—जागृति कार्यक्रम।
- 1 नवम्बर 2018 को राजगढ़ में दीपावली पर्व पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में जन—जागृति कार्यक्रम।

क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा

- 31 मई 2018 को रीवा में पर्यावरण रथ द्वारा जन चेतना का आयोजन।

- 1–8 जून 2018 को रीवा में पर्यावरण सप्ताह का आयोजन कर एवं समाजसेवी संगठनों के सहयोग से साईकिल रैली, वार्ड क्रॉसिंग, चित्रकला प्रतियोगिता, जन सबांद कार्यक्रम एवं संगोष्ठि का आयोजन किया गया।
- 28 अगस्त 2018 को रीवा में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया।
- 26–28 दिसम्बर 2018 को रीवा में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- 26 मार्च 2019 को रीवा में ई-वेस्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु कार्यशाला आयोजित की गई।

क्षेत्रीय कार्यालय, सिंगरौली

- 28 मई 2018 को सिंगरौली में बीट प्लास्टिक विषय पर संगोष्ठि एवं कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण।
- 31 मई 2018 को बैड़न में बीट प्लास्टिक विषय पर संयुक्त रैली एवं मानव श्रंखला का आयोजन।
- 1 जून 2018 को विन्ध्य नगर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।
- 2 जून 2018 को सिंगरौली में प्लास्टिक पॉल्युशन के संबंध में जन-जागृति कार्यक्रम।
- 3 जून 2018 को सिंगरौली के मुडवानी डैम एवं आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संगोष्ठि का आयोजन किया गया। विन्ध्य नगर में नुककड़ नाटक एवं जूट वैग्स का वितरण कार्य किया गया।
- 4 जून 2018 को सिंगरौली में पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया।
- 5 जून 2018 को कार्यालय में संगोष्ठि एवं वृक्षारोपण किया गया।
- 6 जून 2018 को सिंगरौली में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया।
- 7 जून 2018 को सिंगरौली में बीट प्लास्टिक पॉल्युशन विषय पर संगोष्ठि का आयोजन।



क्षेत्रीय कार्यालय, धार

- 1 जून 2018 खलघाट स्थित नर्मदा नदी के तट पर प्लास्टिक पॉलिथीन के उपयोग न करने हेतु जन-जागृति कार्यक्रम एवं हाट-बाजार में जूट से निर्मित थैलियों का वितरण किया गया ।
- 2 जून 2018 को झाबुआ में तथा 3 जून को धार में वाहन प्रदूषण मापन एवं कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया ।
- 4 जून 2018 को धरमपुरी स्थित नर्मदा नदी के तट पर सफाई अभियान, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम किये गये तथा जूट से निर्मित थैलियों का वितरण किया गया ।
- 5 जून 2018 को धार में स्कूलों छात्र-छात्राओं हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन

- 6 मई 2018 को गंगा धाट तट पर साफ-सफाई एवं गहरीकरण संबंधी कार्य किया गया ।
- 12 मई 2018 को रामधाट तट पर नदी के संरक्षण एवं सम्वर्धन हेतु जन-जागृति कार्यक्रम किये गये ।
- 17 मई 2018 को उज्जैन पॉलिथीन कैरी बैग के दुष्परिणामों का प्रचार एवं थैलों का वितरण किया गया ।
- 19 मई 2018 को रतलाम, 21 मई नागदा में पॉलिथीन कैरी बैग के दुष्परिणामों का प्रचार एवं थैलों का वितरण किया गया ।
- 25 मई 2018 को उज्जैन में पॉलिथीन कैरी बैग के दुष्परिणामों हेतु मानव श्रंखला का आयोजन तथा स्थल प्रदर्शनी लगाई गयी
- 1 जून 2018 को नीमच में रंगोली प्रतियोगिता, पॉलिथीन पर संगोष्ठि एंवं कपड़े के थैलों का वितरण किया गया ।
- 2 जून 2018 को उज्जैन में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।
- 3 जून 2018 को उज्जैन में घाटों पर श्रमदान कर कचरा सफाई का कार्य किया गया ।
- 4 जून 2018 को उज्जैन में वाहन मॉनिटरिंग एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया ।
- 5 जून 2018 को उज्जैन में जीव चिकित्सा अपशिष्ट एवं दूषित जल उपचार प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन । औद्योगिक क्षेत्र नागदा में वृक्षारोपण एवं संगोष्ठि का आयोजन किया गया ।
- 6 एवं 7 जून 2018 को उज्जैन में वृक्षारोपण, पॉलिथीन कैरी बैग के विकल्प के रूप में कपड़ों के थैलों का वितरण किया गया ।

क्षेत्रीय कार्यालय, शहड़ोल

- 11 अप्रैल 2018 को शहड़ोल में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संबंध में कार्यशाला ।
- 1 जून 2018 को डिण्डौरी में पॉलिथीन व प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध हेतु कार्यक्रम ।
- 2 जून 2018 को उमरिया में प्रदूषण के विभिन्न मानकों का मापन तथा पॉलिथीन जॉच कार्यक्रम ।
- 3 जून 2018 को शहड़ोल में जल स्त्रोतों की सफाई अभियान कार्यक्रम ।
- 4 जून 2018 को शहड़ोल में निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन ।

- 5 जून 2018 को शहड़ोल में पर्यावरण जन–जागरूकता रैली, पर्यावरण संगोष्ठि एवं पर्यावरण नाटिका कार्यक्रम ।
- 6 जून 2018 अमरकंटक में नर्मदा नदी के तट पर सफाई अभियान, नुक्कड़ नाटक का आयोजन ।
- 7 जून 2018 शहड़ोल में वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रम ।

क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

- 24 मई 2018 को जबलपुर में “बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन” विषय स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।
- 27 मई 2018 को में नर्मदा स्थित सरस्वती घाट, भेड़ाघाट में नगर परिषद के साथ श्रमदान किया गया ।
- 1 जून 2018 को मण्डला में नर्मद तट स्थित रपटा घाट पर नगर पालिका के साथ श्रमदान एवं साफ–सफाई का आयोजन तथा पर्यावरण जन–जागृति की रैली का आयोजन ।
- 2 जून 2018 को भेड़ाघाट में नगर परिषद के साथ श्रमदान किया गया ।
- 3 जून 2018 को नगर पालिका, जबलपुर के तत्वाधान में “रन जबलपुर रन” 2018 का आयोजन एवं ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केन्द्र में हरी भरी वसुंधरा स्वच्छ अंतरमन विषय पर परिचर्चा ।
- 4 जून 2018 को कदम संस्था के साथ नुक्कड़ नाटक का आयोजन तथा सिवनी में पर्यावरण जन–जागरूकता रैली का आयोजन ।
- 5 जून 2018 को बालाघाट में प्लास्टिक प्रदूषण पर एक दिवसीय कार्यक्रम एवं बाल भवन, जबलपुर में चित्रकला प्रतियोगिता एवं संगोष्ठि का आयोजन किया गया ।
- 6 जून 2018 को नरसिंहपुर में जन जागरूकता रैली एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन ।
- 7 जून 2018 को कटंगी में वाहन मापन, जन–जागरूकता शिविर तथा पश्चिम–मध्य रेल्वे, जबलपुर में प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु जन –जागरूकता कार्यक्रम ।

क्षेत्रीय कार्यालय, देवास

- 14 मई 2018 को नेमावर में प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त करने विषयक नगर परिषद, स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों के साथ परिचर्चा का आयोजन ।
- 30 मई 2018 को देवास स्थित विन्ध्यांचल एकेडमी, देवास में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन
- 2 जून 2018 को नेमावर में प्रतिबंधित कैरी बैग पर संगोष्ठि का आयोजन, कपड़े की थैलियों का वितरण एवं घाटों की साफ–सफाई का आयोजन किया गया ।
- 4 जून 2018 को देवास में ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
- 5 जून 2018 को देवास में नगर निगम एवं स्वंय सेवी संस्था ‘सार्थक’ एवं विभिन्न उद्योगों/शासकीय संस्थाओं एवं छात्र–छात्राओं के साथ प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त करने बाबत् शपथ एवं कपड़े की थैलियों का वितरण ।
- 23 सितम्बर 2019 को देवास एवं शाजापुर में अंत चतुर्दशी के अवसर पर मूर्ति विसर्जन विषयक जन–जागरूकता कार्यक्रम ।

क्षेत्रीय कार्यालय, सतना

- 5 जून 2018 को सतना में मैराथन, चित्रकला, निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन साथ ही उद्योग प्रतिनिधियों के साथ प्लास्टिक प्रतिबंध विषय पर जन-जागरूकता कार्यक्रम हेतु स्टीकर, पेम्पलेट का वितरण किया गया।
- 8 जून 2018 को मैहर में नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में जन-जागरूकता रैली साथ ही जनजागरूकता कार्यक्रम।
- 6 नवम्बर 2018 को चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के सभी घाटों पर सुबह, दोपहर एवं शाम को जल नमूने एकत्रीकरण एवं प्रचार-प्रसार कार्य किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, कटनी

- 1 से 7 जून 2018 को विश्राम बाबा गेट, कटनी में ध्वनि एवं वाहन प्रदूषण की जॉच, तहसील रीठी, जनपद पंचायत, बड़वारा, डिमरखेड़ा आदि स्थानों पर रैली एवं जन-जागृति कार्यक्रम। बीट प्लास्टिक विषय पर नुककड़ नाटक, बहोरी बंद में चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।
- 13 मार्च 2018 नगरीय ठोस अपशिष्ट विषय पर कार्यशाला।
- 28 मार्च 2018 को ई-अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन।

क्षेत्रीय कार्यालय, सागर

- 15 मई 2018 को छतरपुर तथा 16 मई को दमोह जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु जन-जागृति कार्यक्रम का आयोजन।
- 29 मई 2018 को सागर में शहरी परिवेशीय वायु एवं वाहनों के प्रदूषण मापन का कार्य किया गया।
- 1-5 जून 2018 को सागर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सागर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, होर्डिंग्स का प्रदर्शन, झील की सफाई, वृक्षारोपण कार्यक्रम।
- 8 जून 2018 को ओरछा में पॉलिथीन का उपयोग न करने संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रम।
- 19 फरवरी 2018 को छतरपुर में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन।

क्षेत्रीय कार्यालय, छिन्दवाड़ा

- 1 से 5 जून 2018 को छिन्दवाड़ा में वाहन प्रदूषण मापन, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता, मैराथन आदि कार्यक्रम आयोजित किये गये।

क्षेत्रीय कार्यालय, पीथमपुर

- 1 से 7 जून 2018 को पीथमपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम वाहन प्रदूषण, वृक्षारोपण, निबंध प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये गये।

9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दायर किये गये:—

क्र0	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक एवं दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा जिसके तहत प्रकरण दायर किया गया है	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मेसर्स महाकौशल शुगर एंड पॉवर इण्ड. बचई जिला—नरसिंहपुर	2153 / 18 4 / 4 / 18	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण।
2	मेसर्स राधाकृष्ण हार्टकैयर वलीनिक नरसिंहपुर	2152 / 18 4 / 4 / 18	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण।
3	मेसर्स वात्सल्य हास्पिटल, नरसिंहपुर	2151 / 18 4 / 4 / 18	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण।
4	मेसर्स पी.एस.एल.इन्जी.प्रा.लि. मनेरी	191 / 18 3 / 4 / 18	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण।
5	मेसर्स इंदिरा एक्सपोर्ट प्रा.लि., औ.क्षे.राऊ ए.बी रोड, इन्दौर	प्र.क. 1760 दिनांक 7 / 4 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25 / 26, 43 एवं 44	जल प्रदूषण करने एवं जल अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं होने के कारण
6	मेसर्स एप्ली हॉस्पिटल (फेण्डस यूनिटी एंड रिसर्च सेंटर प्रा.लि.) भवरकुआं मेन रोड, इन्दौर	प्र.क. 2029 दिनांक 21 / 4 / 18	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	बिना प्राधिकार के संचालित होने के कारण।
7	मेसर्स पेपकॉर्न प्रा. लि.	504 / 18 दिनांक 26 / 4 / 18	जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत	बिना स्थापना सम्मति के उत्पादन प्रांभ करने के कारण
8	मेसर्स जानकी सोप फैक्ट्री ग्राम—पाल कांकरिया, अजनौद रेलवे स्टेशन के पास तहसील—हसौद जिला—इन्दौर	प्र.क. 8479 दिनांक 27 / 4 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25 / 26, 43 एवं 44	जल प्रदूषण करने के कारण
9	मेसर्स नमन इकिवपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.खसरा न. 213 / 1 मिन, 213 / 1पैकी, 213 / 3 एवं अन्य ग्राम—छोटा बांगडदा इन्दौर	प्र.क. 3074 दिनांक 27 / 4 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं होने के कारण
10	मेसर्स पारख एग्रो लि.	566 / 18 दिनांक 09 / 5 / 18	जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत	बगैर अनुमति के उत्पादन क्षमता में वृद्धि

11	मेसर्स मंत्रम टेक्नो फेब प्रा.लि. 26,27,28 / 2गायत्री आश्रम के पास ग्राम—जामली ए.बी.रोड तहसील सेंधवा जिला—बड़वानी	दिनांक 26 / 6 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 24,25,26 एवं 44 वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37,39 एवं 40	जल / वायु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं होने के कारण ।
12	मेसर्स अजीत नाथ रियलिटी प्रा.लि. (सिलीकॉन सिटी) खसरा नं. 285,248,250,249 / 1,249 / 2, 251,287 / 2 / 1 एवं अन्य ग्राम—निहालपुर मुंदी,जिला—इन्दौर	प्र.क. 6054 दिनांक 20 / 9 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 24,25,43,44 एवं 47	जल प्रदूषण करने के कारण
13	श्री प्रकाश पिता गंगाराम,टेंकर चालक,ग्राम—लोधिया जिला—शाजुपुर	दिनांक 30 / 11 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 43	जल प्रदूषण करने के कारण
14	मेसर्स एस.पी.इंटरप्राइजेज (श्याम हाईट्स) खसरा कमांक 174 / 2 / 2 ग्राम बिचौली मर्दाना,इन्दौर	दिनांक 20 / 1 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 24,25,43,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं होने के कारण ।
15	मेसर्स खुमानी स्टील प्रा.लि. प्लाट न.36ई,37बी सेक्टर—सी औ.क्षे.सांवर रोड इन्दौर	दिनांक 10 / 7 / 18	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,31 क 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं होने के कारण ।
16	मेसर्स जय गृह उघोग 140सी, औ.क्षे.राऊ,इन्दौर	दिनांक 31 / 1 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 24,25,43,44 एवं 47	जल प्रदूषण करने के कारण ।
17	मेसर्स हरिओम स्टोन केशर,ग्राम दिल्लौद जिला—भोपाल	113 / 19 दिनांक 31 / 8 / 18	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 37	वायु प्रदूषण फेलाने एवं वैध सम्मति के बिना संचालन करने के कारण ।
18	मेसर्स मेकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लि.बैतूल	3537 / 18 दिनांक 4 / 7 / 18	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 40	बिना सम्मति के संचालन करने के कारण ।
19	मेसर्स स्वास्तिक ईको फ्यूल एनर्जी,जिला—सीहोर	दिनांक 3 / 5 / 18	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 37	वायु प्रदूषण फेलाने एवं वैध सम्मति के बिना संचालन करने के कारण ।
20	मेसर्स राय पिंक सिटी (प्रोजेक्ट फ्लाईएश ब्रिक्स यूनिट) कोलार रोड भोपाल	दिनांक 17 / 7 / 18	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 37	वायु प्रदूषण फेलाने एवं सम्मति के बिना संचालन करने के कारण ।
21	मेसर्स नंदोरा रेडीमिक्स प्लांट औ.क्षे.मंडीदीप जिला—रायसेन	864 / 18 17 / 12 / 18	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 37	बिना सम्मति के संचालन करने के कारण ।
22	मेसर्स उज्जवला हाउसिंग एण्ड फायनेंस प्रा.लि. (प्रोजेक्ट—आप्रवेली रंसीडेशियल सनखेडी तह. हुजूर भोपाल	दिनांक 5 / 5 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 25 (1) एवं 44	बिना सम्मति के निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण ।

23	मेसर्स ग्लोबस लाईफ स्टाइल प्रा.लि. (प्रोजेक्ट-कोरल कासा रेसीडेंशियल रासलाखेडी जिला भोपाल	दिनांक 13 / 6 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 25 (1) एवं 44	बिना सम्मति के निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण ।
24	मेसर्स एस.व्ही.इन्फा डेव्हलपर्स प्रोजेक्ट प्रा.लि. (प्रोजेक्ट-प्रीमियर ऑचर्ड रेसीडेंशियल एण्ड प्लाटेट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट रासलाखेडी, भोपाल	दिनांक 18 / 5 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 25 (1) एवं 44	बिना सम्मति के निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण ।
25	मेसर्स मनीष एग्रो टेक प्रा.लि.	आरसीटी / 778 / 1815 / 6 / 18	वायु अधिनियमों के अन्तर्गत	वायु प्रदूषण परिणाम मानकों से अधिक पाए जाने के कारण ।
26	मेसर्स एस.टी.सी. अलार्क (प्रोजेक्ट-सिगनेचर पार्क एण्ड प्लाटेट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट पीपलनेर, भोपाल	दिनांक 8 / 5 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 25 (1) एवं 44	बिना सम्मति के निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण ।
27	मेसर्स मेसर्स दिव्य ज्योति लि.	आरसीटी / 779 / 1815 / 6 / 18	जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत	जल एवं वायु परिणाम मानकों से अधिक पाए जाने के कारण ।
28	मेसर्स साक्षी कन्स्ट्रक्शन ग्राम-मेहरा ग्वालियर	18094 / 18 21 / 6 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 25 (1)	बिना सम्मति के निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण ।
29	मेसर्स राज विल्डर्स ग्राम-ओहदपुर ग्वालियर	18095 / 18 21 / 6 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 25 (1)	बिना सम्मति के निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण ।
30	मेसर्स उमरभाई भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन	05 / 10 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना ।
31	मेसर्स अवतिका डाइंग भैरवगढ़ उज्जैन	05 / 10 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना ।
32	मेसर्स वसीम भाई भैरवगढ़ उज्जैन	05 / 10 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना ।
33	मेसर्स भैरवगढ़ ब्रुटिक उज्जैन	05 / 10 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना ।
34	मेसर्स राजपाल रतलाम	0 / 2018	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना ।
35	रतलाम वायर रतलाम	328 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना ।
36	मेसर्स कटारिया वायर रतलाम	326 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना ।
37	मेसर्स रतलाम स्विच गियर्स रतलाम	327 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना ।

38	मेसर्स विनय हैण्ड प्रिंटर्स ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	858 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
39	मेसर्स गीता हैण्ड प्रिंटर्स ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	857 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
40	मेसर्स अशोक कुमार नंदलाल ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	862 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
41	मेसर्स रमेश नंदलाल ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	866 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
42	मेसर्स दिनेश झारिया ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	865 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
43	मेसर्स पवन कुमार गंगवाल ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	868 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
44	मेसर्स अनवर हुसैन ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	861 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
45	मेसर्स दिलीप पिता मथुरालाल ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	863 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
46	मेसर्स ज्ञान चन्द्र पिता गोविन्दलाल ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	859 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
47	मेसर्स सत्तार हुसैन चौदखां ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	864 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
48	मेसर्स आजाद पिता शमसुदीन ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	856 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
49	मेसर्स लक्ष्मी सेल्स कार्पोरेशन ग्राम उम्मेदपुरा जिला नीमच	860 / 19 29 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 41 के अन्तर्गत	धारा-33 के तहत उत्पादन बंद करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना।
50	मेसर्स दिलीप बिल्डकाम कंपनी लि.स्टोन माईन ग्राम-समदाटोला तह.बुढार जिला-शहडोल	07 / 19 26 / 1 / 19	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण
51	मेसर्स दिलीप बिल्डकाम कंपनी लि.स्टोन माईन ग्राम-लालपुर तह.सोहागपुर जिला-शहडोल	07 / 19 26 / 1 / 19	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण

52	मेसर्स सावरिया एग्रो ऑयल्स लि प्लाट नं.53 ए 53बी एवं 55 सेक्टर ए इण्डस्ट्रियल लि. मंडीदीप रायसेन	दिनांक 203 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 39	बिना सम्मति के निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण ।
53	मेसर्स आदित्य स्टोन केशर ग्राम असवारी तह—सोहागपुर जिला—शहडोल	26 / 2 / 19	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
54	मेसर्स राज पायोनियर लेबोरेट्रीज इंडिया प्रा.लि.देवास	क्रमांक 325 / 19 दिनांक 21 / 2 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
55	मेसर्स शारदा मिनरल्स एण्ड केमिकल प्रा.लि.देवास	क्रमांक 324 / 19 दिनांक 21 / 2 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 33—44 के अन्तर्गत	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
56	मेसर्स स्वास्थ्य इन्टरप्राईजेज देवास	क्रमांक 321 / 19 दिनांक 21 / 2 / 19	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
57	मेसर्स जाजू सर्जिकल प्रा.लि. देवास	क्रमांक 322 / 19 दिनांक 21 / 2 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 33—44 के अन्तर्गत	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
58	मेसर्स केशव इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. देवास	क्रमांक 323 / 19 दिनांक 25 / 2 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 33—44 के अन्तर्गत	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
59	मेसर्स प्रेस्टिज फिड्स लि. (रिफायनरी यूनिट)	क्रमांक 143 / 19 दिनांक 25 / 2 / 19	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
60	मेसर्स प्रेस्टिज फिड्स लि. (एसीपी यूनिट)	क्रमांक 144 / 19 दिनांक 25 / 2 / 19	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
61	मेसर्स भवानी स्टोन केशर ग्राम छतरपुर तह.सोहागपुर जिला शहडोल	7 / 3 / 19	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।
62	मेसर्स गुप्ता आटो मोबाइल सर्विस सेन्टर शहडोल	8 / 3 / 19	जल अधिनियम 1974 की धारा 25 / 26 33के 44 एवं 47	बिना सम्मति के संचालित रहने के कारण ।
63	मेसर्स भारत ओमान रिफाईनरी लि.ग्राम—आगासौद, बीना सागर	1505001865 / 1 8 23 / 7 / 18	जल अधिनियम 1974 की धारा 43 एवं 44	दूषित जल का निस्त्राव परिसर के बाहर पाये जाने के कारण ।
64	मेसर्स जगदीश एग्री एक्सपोर्ट प्रा.लि.धार	30 / 4 / 19	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37,39 जल अधिनियम 1974 की धारा 44	सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण ।

उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर प्रकरणों में दोषी उद्योगों को दिया गया दण्ड

1. मेसर्स सदभाव इंजीनियरिंग लि. स्टोन क्रसिंग, हॉटमिक्स, डब्लूएमएम एवं स्टोन माइन यूनिट ग्राम जैठारी, तह. उमरेठ छिंदवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 1/10/12 को वायु प्रदूषण फैलाने तथा वायु अधिनियम का उल्लंघन के कारण न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी परासिया के न्यायालय में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा –21, 22,, 31 ए, 37 व 40 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 247/13 दायर किया गया था। मा. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी परासिया ने दिनांक 7/12/18 को आदेश पारित कर आरोपीगणों द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को धारा 39 के तहत प्रत्येक आरोपी को 10,000/-10,000/-रु के अर्थदण्ड से तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदायगी के व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 15–15 दिवस के कारावास की सजा दी गई।
2. मेसर्स ईस्टर्न मिनरल खेरा जतारा के विरुद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना उत्खनन करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत वर्ष 2008 में प्रकरण क्रमांक 399 दायर किया गया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 21/6/18 को आदेश पारित कर अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 10,000–10,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया साथ ही उक्त अर्थदण्ड के व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगतण को 30–30 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।
3. मेसर्स श्रीमती विद्या देवी दुबे एवं अन्य खदान ग्राम बड़ारी रकवा 25.32 एकड़ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 21 एवं 37 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 26 एवं 44 के तहत वर्ष 2005 में न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 1770 दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा खदान संचालक को 1.6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदण्ड तथा जल अधिनियम के तहत 1.6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
4. मेसर्स संकेश्वर पाश्वनाथ खजराना इन्डौर के विरुद्ध वर्ष 2007 में बोर्ड की बगैर सम्मति के टाउनशिप का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं मल तथा व्यवसायिक बहिस्त्राव के भूमि पर निरसारित करने के कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 सहपठित धारा 44 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 5726/07 दायर किया गया था। मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दिनांक 20/11/18 को आदेश पारित कर आरोपीगण को धारा 25 सहपठित धारा 44 के तहत न्यायालय उठने तक की कारावास एवं 15,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह के कठोर कारावास की सजा दी गई। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने की दशा में अर्थदण्ड की राशि में से 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) परिवादी पक्ष को प्रतिकर रुवरुप प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये।
5. मेसर्स श्याम डेवलपर्स (एटलांटिक टॉवर) इन्डौर के विरुद्ध वर्ष 2007 में बोर्ड की बगैर सम्मति के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्डौर के न्यायालय में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 सहपठित धारा 44 तथा वायु (प्रदूषण

निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 40 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 4085/07 दायर किया गया था। मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दिनांक 12/10/18 को आदेश पारित कर प्रत्येक आरोपीगण को धारा 25 के तहत वांछित सम्मति प्राप्त किये बिना आरोपीगण द्वारा उक्त ईकाई संचालित किये जाने के सबंध में अधिनियम की धारा 44 एवं 47 में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं 10,000/-, 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इसी के साथ आरोपीगण प्रत्येक को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत वांछित सम्मति प्राप्त किये बिना आरोपीगण द्वारा उक्त ईकाई संचालित किये जाने के सबंध में अधिनियम की धारा 37 एवं 40 में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं 10,000/-10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का कारावास की सजा सुनाई गयी। अभियुक्त क्रमांक 1 फर्म मेसर्स श्याम डेव्हलेपर्स के मालिक/पदाधिकारी शेष अभियुक्तगण हैं। अतः अभियुक्त क्रमांक 01 को अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि अभियुक्त क्रमांक 01 के मालिकों द्वारा भुगतान की जावेगी और उक्त राशि अभियुक्त क्रमांक 01 के मालिकों से ही वसूली योग्य होगी। अर्थदण्ड की राशि रूपये 10,000—10,000 हजार (कुल रूपये 80,000/-) में से 5—5 हजार (कुल रूपये 40,000/-) परिवादी बोर्ड को प्रतिकर के रूप में अदा करने हेतु आदेश दिये गये।

6. मेसर्स मालवा वायर्स प्रा० लि०, इन्डौर के विरुद्ध अम्लीय दूषित जल निस्सारित करने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं 47 के तहत वर्ष 1999 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्डौर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 5009806/1999 दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27/10/2018 को आदेश पारित कर अभियुक्तगण प्रत्येक को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 सहपठित धारा 47, धारा 25 सहपठित धारा 47 एवं धारा 26 सहपठित धारा 47 के तहत वांछित सहमति प्राप्त किये बिना आरोपीगण द्वारा उक्त ईकाई संचालित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 47 व 44 में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं प्रत्येक अभियुक्त को रूपये 10,000/-—10,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि जमा न किये जाने पर तीन-तीन माह के कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

7. मेसर्स पेरेन्टल ड्रग्स (इ) लिमिटेड, इन्डौर के विरुद्ध वायु सम्मति बगैर संचालित रहने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 40 के तहत वर्ष 2011 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्डौर के न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29/11/2018 को आदेश पारित कर प्रत्येक आरोपी को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत वांछित सहमति प्राप्त किये बिना आरोपीगण द्वारा उक्त ईकाई संचालित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 37 व 40 में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं 10,000/-—10,000/- रूपये अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त हेतु इस प्रकार कुल अर्थदण्ड रूपये 50,000/- से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं किये जाने पर एक-एक माह का कारावास भुगताया जाये। अभियुक्त क्रमांक-1, फर्म मेसर्स पेरेन्टल ड्रग्स (इ) लिमिटेड, इन्डौर के मालिक/पदाधिकारी शेष अभियुक्तगण हैं। अतः अभियुक्त क्रमांक 01 को अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि अभियुक्त क्रमांक 01 के मालिकों द्वारा भुगतान की जावेगी और उक्त राशि अभियुक्त क्रमांक 01 के मालिकों से ही वसूली योग्य होगी। अर्थदण्ड की राशि रूपये 10,000/-—10,000/- (कुल रूपये 50,000/-) में से 7000/-7000/- रूपये प्रत्येक अभियुक्त हेतु इस प्रकार कुल प्रतिकर रूपये

35,000/- (रुपये पैंतीस हजार) परिवादी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।

8. मेसर्सर्स पेरेन्ट्रल इंग्स (इ) लिमिटेड, इन्दौर के विरुद्ध जल सम्मति के बगैर संचालित रहने व जल प्रदूषकों का पर्यावरण में लगातार उत्सर्जन करने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं 47 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर के न्यायालय में वर्ष 2011 में दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29/11/2018 को आदेश पारित कर प्रत्येक आरोपी को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत वांछित सहमति प्राप्त किये बिना आरोपीगण द्वारा उक्त ईकाई संचालित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 44 व 47 में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं 10,000/-10,000/-रुपये अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त हेतु इस प्रकार कुल अर्थदण्ड रुपये 50,000/-से दंडित किया जाता है। अभियुक्त क्रमांक-2, लगायत 5 फर्म मेसर्सर्स पेरेन्ट्रल इंग्स (इ) लिमिटेड, इन्दौर के डायरेक्टर/मालिक शेष अभियुक्तगण हैं। अतः अभियुक्त क्रमांक 01 को अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि अभियुक्त क्रमांक 02 लगायत 05 डायरेक्टर/मालिक के द्वारा भुगतान की जावेगी और उक्त राशि अभियुक्त क्रमांक 01 के डायरेक्टर/मालिक से ही वसूली योग्य होगी। अर्थदण्ड की राशि में से 7000/-7000/- रुपये प्रत्येक अभियुक्त हेतु इस प्रकार कुल राशि रुपये 35,000/- (अक्षरी रुपये पैंतीस हजार) परिवादी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।

10. बोर्ड के वित्त एवं लेखे

बोर्ड के वर्ष 2018–19 के वित्त एवं लेखा संबंधी जानकारी एवं आकड़े अपरीक्षित लेखों से लिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत किया गया है। जल अधिनियम की धारा–40(4) के अनुरूप वैधानिक लेखा परीक्षण हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह से राज्य शासन द्वारा आडिटर नियुक्त किये जाते हैं। आडिट के पश्चात् उपरोक्त जानकारी व आकड़ों में परिवर्तन सम्भावित है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन माननीय विधानसभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानों अनुसार वर्ष 2017–18 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2019 को माननीय सदन के पटल पर रखा जा चुका है।

बोर्ड की आय व प्राप्तियाँ :

बोर्ड की आय के साधनों में सम्मति, सम्मति नवीनीकरण, प्राधिकार, प्राधिकार का नवीनीकरण, जल विश्लेषण, वायु मापन व वाहन प्रदूषण मापन आय के प्रमुख स्त्रोत हैं इस के अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोंजनाओं के संचालन हेतु राज्य शासन व केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान भी आय का एक स्त्रोत है। वर्ष 2018–19 के अपरीक्षित लेखों के अनुसार विभिन्न स्त्रोतों से बोर्ड को लगभग रु. 14084.70 लाख की प्राप्तियाँ हुई हैं। उपरोक्त राशि में केन्द्र शासन से बोर्ड को प्राप्त जल उपकर का अंश राशि रु. 116.00 लाख, राज्य शासन द्वारा मांग संख्या–71 के अन्तर्गत शीर्ष क्रमांक–2215 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुदान योजना क्रमांक 8049 के तहत राशि रु. 1637.90 लाख सम्मिलित है।

व्यय एवं भुगतान:

बोर्ड की गतिविधियों को संचालित करने हेतु वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग राशि रु 5601.56 लाख अपरीक्षित लेखों के आधार पर व्यय हुआ है जिसमें 82.26 प्रतिशत प्रशासनिक एवं स्थापना तथा 17.74 प्रतिशत अन्य व्यय है।

राज्य अनुदान प्रस्ताव वर्ष 2019–20 :

राज्य शासन द्वारा मांग संख्या–71 के अन्तर्गत शीर्ष क्रमांक–2215 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को योजना क्रमांक 8049 के तहत (1) अधोसंरचना विकास एवं (2) अनुसंधान तथा प्रसार शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं बावत् राशि रु 1737.90 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

टीप:- अंकेक्षण उपरांत आय व प्राप्तियों तथा व्यय एवं भुगतान राशियों में परिवर्तन सम्भव है।

11 राज्य बोर्ड द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य

11.1 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित किया जाता है। जिसका निर्धारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जल उपकर के रूप में प्राप्त राशि भारत सरकार को भेजी जाती है। जहां से इसका 80 प्रतिशत अंश राज्य बोर्ड में वित्तीय संसाधनों के सुदृढ़िकरण हेतु प्राप्त होता है।

निम्ननिलिखित तालिका में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है—

वर्ष	निर्धारित उद्योगों की संख्या	निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या	एकत्रित जल उपकर राशि	भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक Q-17011/01/2017-CPW dt. 03/05/2018 के अनुसार केन्द्र शासन को भेजी गई राशि 20 प्रतिशत	केन्द्र शासन से प्राप्त राशि 80 प्रतिशत बोर्ड के खाते में जमा की गई हैं जिसका खाता क्र. 63100001000001550
अप्रैल – 18 से मार्च – 2019	—	—	145 लाख	29 लाख	116 लाख

नोट :- 1. वस्तु एवं सेवा कर केन्द्रीय अधिनियम 2017 लागू होने के कारणवश 01 जुलाई 2017 से जल उपकर निर्धारण कार्य समाप्त हो गया है।
 2. वर्तमान में जल उपकर के खाते में राशि 53.77 लाख जमा है।

11.2 बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं कियान्वयन

बोर्ड में दैनिकी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को आम जन तक पहुँचाने हेतु बोर्ड की बेवसाईट www.mppcb.nic.in पर संचालित है। इस पर सम्मति प्रबंधन की जानकारी, पर्यावरणीय विषयों की जानकारी, अधिनियम/नियम/नोटिफिकेशन/आदेशों की जानकारी एवं पर्यावरण गुणवत्ता के अन्तर्गत परिवेशीय वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स तथा जल गुणवत्ता परिणाम शामिल है, जिनका नियमित संधारण एवं अपडेशन का कार्य किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन के अन्तर्गत फलाईएश उपयोग, ई-वेस्ट प्रबंधन एवं परिसंकटमय अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रदेश की जानकारी प्रदर्शित है। समय समय पर बोर्ड द्वारा प्रसारित अनुदेश, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी साइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। बोर्ड की बेवसाईट पर निविदा, साक्षात्कार, पर्यावरण पुरुस्कार आवेदन पत्र एवं लोक सुनवाई के अन्तर्गत परियोजना का कार्यकारी सारांश तकनीकी प्रस्तुतिकरण आदि जानकारी को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

बोर्ड की वेबसाईट पर जानकारी अपलोड करने की सुविधा के विकेन्द्रीयकरण के अन्तर्गत डाटा अपलोडिंग संबंधित शाखा द्वारा पासवर्ड के माध्यम से की जा रही है। जिसके अन्तर्गत मॉनिटरिंग शाखा के द्वारा AQI Status at a Glance(AQI),AQI Combined Data(AQI) एवं Water Quality Index (WQI) Online रिपोर्ट तथा तकनीकी शाखा द्वारा लोक सुनवाई के अन्तर्गत कार्यवाही सारांश एवं कार्यवाही विवरण Upload किया जा रहा है।

Madhya Pradesh Pollution Control Board
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

HOME GENERAL DIVISIONS LEGISLATIONS INFORMATION COURT CASES NOTICES ENVIRONMENTAL STANDARD CONTACT US English हिन्दी

Madhya Pradesh State is the most improved state under 'Environment' category as per India Today, Annual S

Consent Management

- Technical Presentation / Consent Management
- Consent / Authorization / Registration Fee Details
- Categorisation of Industry
- Orders for Fast Consent Disposal Process
- Acts Rules Notifications

Monitoring (Environmental Quality)

- Real-Time Monitoring
- Live Air Quality Status Of Cities
- District Wise Air Quality Status (52 District)
- AQI Status at a Glance (AQI)
- AQI Combined Data (AQI)
- Air Quality Index,Bhopal
- Water Quality of Identified Polluted River Stretches
- First Rain Monitoring
- Air Quality Index (AQI)

PROMINENT WORK

Board Success Story
Media Coverage Of Board Activities

Hon'ble NGT Orders/Compliance/Progress

The Progress of issues mentioned in O.A.-606/2018 (Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules,2016)
Creation of website for RRC in the matter of 673/2018
Hon'ble NGT 804/2017 Monitoring Committee Recommendation
Industries Monitoring - Live Status
Progress Report of OA No.164 of 2018 (Earlier OA No.276/2015)
Report of the Supervisory Committee in the NGT Case OA 276/2013

Online Software

Click to start XGN(For Water/Air consent /Hazardous Biomedical Solid e-waste authorisation Plastic waste registration) - Only Online Applications are accepted
MIS Login (For Office Use Only)

Waste Management

- Hazardous Waste
- BioMedical Waste
- Solid Waste
- Plastic Waste
- E-Waste
- Flyash Management
- Batteries (M & H) Rules

Workshop & Conference

Training Program on "Compliance,Monitoring & Enforcement Practices In India and Sweden" From 4-7, September 2018, at MPPCB, Bhopal

Orders / Guidelines & Issues Related to Environment

- Chairman Inspection
- Important Court Orders / Decision

Important Links

- Madhya Pradesh Government
- Central Pollution Control Board
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- Emergency Response Centre

Notice Board

- Public Hearing to be conducted during Model Code of Conduct
- Public Hearing (Under EIA Notification)
- List of Pollution Under Control (PUC) Center
- Office Orders
- Environmental Studies / Reports
- Environmental Award

Govt of India my GOV

© Copyright 2009-2017 | All Rights Reserved M.P.P.C.B

Digitally Enabled Government

बोर्ड की वेबसाईट www.mppcb.nic.in का मुख्य पृष्ठ

11.3 एक्सजीएन सॉफ्टवेयर

सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा जल/वायु अधिनियम, परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, जैव अपशिष्ट नियम, ठोस अपशिष्ट नियम, के अन्तर्गत ऑनलाइन सम्मति/ प्राधिकार/ रजिस्ट्रेशन आवेदन डिस्पोजल का कार्य कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था से संचालित किया जा रहा है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण एवं इनके निराकरण की कार्यवाही एक्सजीएन साफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है। एक्सजीएन साफ्टवेयर एवं इसका डेटा बेस स्टेट डेटा सेन्टर (एमपीएसडीसी) के सर्वर पर स्थापित है। साफ्टवेयर के संचालन एवं संधारण का कार्य बोर्ड आईटीसेल में निक्सी द्वारा प्रदत्त साफ्टवेयर डेवलपर (मेनपॉवर) द्वारा किया जाता है। साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार अपग्रेडेशन एवं सतत संचालन का कार्य किया जाता है। विगत वर्ष में एक्सजीएन साफ्टवेयर में निम्नानुसार अपग्रेडेशन कार्य किये गये हैं :—

- ऑनलाइन एप्लीकेशन का सरलीकरण किया गया है।
- ऑनलाइन एप्लीकेशन शुल्क सहित प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।
- सम्मति/प्राधिकार/रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारण की गणना एवं विलंब शुल्क गणना हेतु ऑनलाइन केल्कूलेटर।
- ई-वेस्ट प्राधिकार हेतु माड्यूल संलग्न किया गया।
- बी.एम.डब्लू एप्लीकेशन को टेक्निकल मॉड्यूल के साथ संलग्न किया गया।
- सभी दस्तावेज को पी.डी.एफ. फार्मेट में लेना सुनिश्चित किया गया है।
- हॉर्डेस वेस्ट ट्रेकिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया है।
- पेटकोक यूटिलाइजेशन की ऑनलाइन इन्वेन्टरी का डाटाबेस तथा रिपोर्ट प्रारंभ की गई।
- बी.एम.डब्लू वार्षिक रिपोर्ट का संधारण एवं रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रावधान।
- एक्सजीएन के मुख्य पृष्ठ को रीडिजाइन किया गया एवं इसमें विभाग का लॉगिन एवं उद्योगों का लॉगिन पृथक किया गया।
- एक्सजीएन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया।

Pollution Control Board - Google Chrome

xgn.mp.nic.in/login.aspx

M.P. Pollution Control Board

XGN - Online Consent Management System

Consent Register **TPAV** **Auto-Renewal Self Certification Format** **Third Party Audit Certificate** **HOME**

Useful Links

- User Manual [English](#) [Hindi](#)
- Consent Granting Procedure
- Documents reqd for Application
- SOP of inspection
- *** Notification Circu [View](#)
- Select [View](#)
-

DEPARTMENT LOGIN **APPLICANT LOGIN**

Top 5 R.O. Performers

- RO-Katni
- RO-Rewa
- RO-Jabalpur
- RO-Sagar
- RO-Singrauli

Top 2 Lab Performers

- Lab-Indore
- Lab-Jabalpur

Top 3 Unit Head

- UNH-JA - Pithampur
- UNH-SEZ - Pithampur
- UNH-Katni

The Auto Renewal System

Citizen Centric Features

- [XGN Statistics](#)
- [Public Complaints](#)
- [XGN Guidelines](#)
- [Google Map Guidelines](#)
- [HW Manifest Manual](#)
- [Google Map](#)

Today's Statistics

- Online Applications = 17
[CTE=5 : CCA=14]
- e-Outwards = 0
- Comments GRT REJ=9
[GRT=8 : REJ=1 : AMD=0]
- Inspections Done = 11
- Orders OUTWARDED today=0
- Today's Approval & Rejection=0

Hits : 4080853

P C B


11:49 27/05/2018

XGN Software (xgn.mp.nic.in) का मुख्य पृष्ठ


राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची

1.	श्री अनुपम राजन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग)	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, भोपाल अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें, भोपाल अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भोपाल अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6.	आयुक्त—सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
7.	श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिक परिषद्, छतरपुर	सदस्य
8.	श्री हरभजन शिवहरे, ई—8 / 21, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	(दिनांक 13 / 02 / 2019 तक) सदस्य
9.	श्री अभय दरे, 45 द्वारिका, विहार कॉलोनी, तिली वार्ड, सागर	(दिनांक 13 / 02 / 2019 तक) सदस्य
10.	श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7, जैन पाठशाला, गंजबासौदा, जिला विदिशा	(दिनांक 13 / 02 / 2019 तक) सदस्य
11.	कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
12.	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
13.	श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	सदस्य सचिव

विभागीय संरचना



प्रयोगशाला संरचना



- [Green Box] आंचलिक कार्यालय
- [Yellow Box] क्षेत्रीय कार्यालय
- [Blue Box] सिंगल विंडो सिस्टम

पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग का नाम
1.	हनोता वृहद सिंचाई परियोजना (मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग) ग्राम हनोता, जिला सागर
2.	आईएसपी कालीसिंध फेज-1 माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम (एनव्हीडीए), ग्राम बांका पलास, जिला खण्डवा
3.	आईएसपी कालीसिंध फेज-1 एवं 2 माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम (एनव्हीडीए), ग्राम पिपलया, जिला देवास
4.	पार्वती मेजर सिंचाई परियोजना (मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग) ग्राम फतेहपुर, जिला राजगढ़
5.	नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नर्मदा झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर उदवहन सिंचाई परियोजना—मनावर, धार
6.	सदगुरु सीमेन्ट प्रा.लि. अतरसुमा, करोदिया— धार
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नवघोषित एन.एच. 148, 8 लेन परियोजना, झाबुआ
8.	कोसदाना लाईम स्टोन मार्ईन, गंधवानी, धार
9.	पार्वती सिंचाई परियोजना, कुरावर, गुना
10.	मेसर्स बी.एस. इंडस्ट्रीज प्लॉट नं. एफ-06 एवं एफ-11 औद्योगिक क्षेत्र जडेझारा, जिला मुरैना
11.	मेसर्स मां रतनगढ़ बहु प्रयोजन दतिया
12.	मेसर्स मां रतनगढ़ बहु प्रयोजन ग्वालियर
13.	मेसर्स मां रतनगढ़ बहु प्रयोजन भिण्ड
14.	मेसर्स श्री दुर्गा खांडसारी (शुगर) मिल्स, ग्राम मेन्दराना, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी
15.	मेसर्स भावसा सिंचाई परियोजना, ग्राम नईचौड़ी, ब्लाक बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर (जल संसाधन संभाग बुरहानपुर)
16.	मेसर्स चौड़ी जमुनिया लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तहसील भीकनगांव, कसरावद, जिला खरगोन (नर्मदा विकास केनल डिवीजन खरगोन)
17.	मेसर्स सिमरोल अम्बा—चन्दन सिंचाई परियोजना, ग्राम मेम्दी, तहसील महू, जिला इन्दौर (नर्मदा विकास केनल डिवीजन खरगोन)
18.	मेसर्स बलकवाड़ा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ग्राम बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन (नर्मदा विकास केनल डिवीजन खरगोन)
19.	मेसर्स अम्बा रोड़िया माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ग्राम अम्बा रोड़िया, तहसील सनावद, जिला खरगोन (नर्मदा विकास केनल डिवीजन नं. 21, सनावद, जिला खरगोन)
20.	मेसर्स नागलवाड़ी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तहसील राजपूर, जिला बड़वानी (नर्मदा विकास डिवीजन नं. 14, ठीकरी, जिला बड़वानी)
21.	मेसर्स नागलवाड़ी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तहसील सेगांव, जिला खरगोन (नर्मदा विकास डिवीजन नं. 14, ठीकरी, जिला बड़वानी)
22.	मेसर्स किल्लौद माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ग्राम किल्लौद, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा (नर्मदा विकास डिवीजन नं. 25, नर्मदा नगर, खण्डवा)
23.	मेसर्स भीकनगांव बिंजलवाड़ा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (नर्मदा विकास डिवीजन नं. 21, सनावद, जिला खरगोन)
24.	मेसर्स कालीसिंध माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लिंक प्रोजेक्ट फेस-1, बांकापलास गांव के पास, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (नर्मदा विकास डिवीजन नं. 32, बड़वाह, जिला खरगोन)

25.	मेसर्स मेडिश्योर इंसीनेरेटर, 39 एच.आई.जी., चामुण्डा काम्पलेक्स, सिविल लाईन, जिला देवास द्वारा मेसर्स कॉमन मैडिकल वेस्ट फेसिलिटी, ग्राम बिलनखेड़ा, तहसील एवं जिला खण्डवा
26.	मेसर्स नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, ग्राम सिवनी, तहसील एवं जिला जिला इन्दौर (नर्मदा विकास डिवीजन नं. 8, सनावद, जिला खरगोन)
27.	मेसर्स नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, ग्राम बडेल के पास, तहसील बडवाह, जिला खरगोन (नर्मदा विकास डिवीजन नं. 8, सनावद, जिला खरगोन)
28.	मेसर्स जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, ग्राम सेलदा, तहसील एवं जिला खण्डवा (नर्मदा विकास डिवीजन नं. 25, नर्मदा नगर, जिला खण्डवा)
29.	मेसर्स श्री मुकुल खम्परिया, बिजैया आयरन ओर एवं मैग्नीज माईन, खसरा नं. 101 ग्राम बिजैया, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 27.61 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 1,59,992 टन प्रति वर्ष।
30.	मेसर्स हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तावित हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना ग्राम बदुआ, तह. कुंडम, जिला जबलपुर
31.	मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्तमान एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट ग्राम पोंडी, भिटोनी, भमकी, शाहपुरा जिला जबलपुर में अतिरिक्त 3ग1450 मीट्रिक टन क्षमता एल.पी.जी. माउटेड वेसल्स द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार।
32.	मेसर्स नर्मदा शुगर मिल प्रा. लि. द्वारा प्रस्तावित 60 के.एल.डी. मोलासिस बेर्स्ड फ्यूल इथानॉल प्लांट, 25 टन प्रति घंटा ईसीनिरेशन बॉयलर सहित, ग्राम पोंडार—सालीचौका तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
33.	मेसर्स श्री राजेंद्र देशमुख, मैग्नीज ओर माईन, ग्राम मिरगपुर तह. खैरलांजी, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 4.20 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 2000 टन प्रति वर्ष की खदान।
34.	मेसर्स हुकुम चंद स्टोन लाईम कम्पनी, बाक्साईट, लेटेराईट, फायरक्ले एवं ओकर माईन, खसरा नं. 49 ग्राम रौसरा, तह. मझौली, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 16.188 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 2,48,093 टन प्रति वर्ष।
35.	मेसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज द्वारा खसरा न. 57/1, ग्राम डुंगरिया, तहसील एवं जिला सिवनी में विभिन्न पिगमेंट का प्रस्तावित निर्माण।
36.	मेसर्स आर.एम.जी.सुपर माईन प्रा.लि., आयरन, लेटेराईट, क्ले एवं ओकर माईन, खसरा नं. 93 ग्राम धमधा, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 4.54 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता विस्तार 1,71,689 टन प्रति वर्ष आयरन ओर एवं 71,271 टन प्रति वर्ष लेटेराईट।
37.	मेसर्स श्री साई इण्डस्ट्रीज, लेटेराईट, आयरन ओर एवं मैग्नीज ओर माईन, खसरा नं. 1/1 ग्राम धमधा, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 22.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 3,00,914 टन प्रति वर्ष।
38.	मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी सन्स, मैग्नीज ओर माईन, खसरा नं. 468 बी ग्राम रमरमा, तह. वारासिवनी, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 4.30 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 4386 मे.टन प्रति वर्ष।
39.	मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी सन्स, मैग्नीज ओर माईन, खसरा नं. 404 एवं 408 ग्राम रमरमा, तह. वारासिवनी, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 2.452 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 888 मे.टन प्रति वर्ष।
40.	मेसर्स श्रीकांत पांडे, लेटेराईट, आयरन ओर एवं मैग्नीज माईन, खसरा नं. 148 ग्राम हिरदेनगर, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 4.0 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता लेटेराईट 96415 टन प्रति वर्ष एवं आयरन ओर 12265 टन प्रति वर्ष।
41.	मेसर्स ढीमरखेड़ा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना कटनी
42.	मेसर्स किशोर कुमार बगाडिया लाइम स्टोन माइन रकवा -3.73 हेक्टे. ग्राम रजरवारा तह. विजयराघवगढ़ जिला कटनी।

43.	मेसर्स किशन चंद थदलानी लाइम स्टोन डोलो माइट माइन रकवा—4.20 हेक्टे. ग्राम भटगवॉ सुनहरा तह. मुडवारा जिला कटनी।
44.	मेसर्स रतना मिश्रा लाइम स्टोन माइन रकवा—5.89 हेक्टे. ग्राम रजरवारा तह. विजयराघवगढ़ जिला कटनी।
45.	मेसर्स पूरन लाल विश्वकर्मा लेटराइट माइन रकवा—4.69 हेक्टे. ग्राम टिकरिया तह. मुडवारा जिला कटनी।
46.	मेसर्स व्ही.एस. मिनरल्स लाइम स्टोन डोलो माइट माइन रकवा—10.21 हेक्टे. ग्राम सेझा तह. बडवारा जिला कटनी।
47.	मेसर्स श्री अनिल नागरथ रकवा—1.821 हेक्टे. ग्राम कछगवां
48.	मेसर्स कला सिंह लाईम स्टोन माईन लीज एरिया 2.206 हेक्टेयर ग्राम, तहसील हुजूर, जिला रीवा
49.	मेसर्स श्री कृष्णदास टीकाराम बाक्साइट, लेटेराइट एवं फायरक्ले माईन लीज एरिया 3.417 हेक्टेयर ग्राम नैकिन, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी
50.	मेसर्स गोड जल सिंचाई परियोजना, गाम अमराडांडी, तहसील कुसुमी, जिला सीधी
51.	मेसर्स रीवा एम.एस.डब्लू. होल्डिंग लिमि., ग्राम पहडिया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा
52.	मेसर्स नरौरा लाईम स्टोन माईन, ग्राम नरौरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
53.	मेसर्स मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना, ग्राम—मझगाँय जिला—पन्ना
54.	मेसर्स साजली मध्यम सिंचाई परियोजना दमोह
55.	मेसर्स साजली मध्यम सिंचाई परियोजना, सागर
56.	मेसर्स जूडी टैंक परियोजना, दमोह
57.	मेसर्स जूडी टैंक परियोजना, छतरपुर
58.	मेसर्स बुंदेलखण्ड मेडीकल कॉलेज, सागर
59.	मेसर्स सतधारू मध्यम सिंचाई परियोजना, दमोह
60.	मेसर्स बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना, सागर
61.	मेसर्स बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना, छतरपुर
62.	मेसर्स हनौता वृहद सिंचाई परियोजना, सागर
63.	मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लि., अमिलिया तहसील मैहर जिला सतना (क्षमता विस्तार)
64.	मेसर्स शिवकुमार अग्रवाल, माइन ग्राम खामा खुइया, रकवा 16.19 हे. जिला सतना
65.	मेसर्स श्रवण कुमार पाठक, सतरी लाइम स्टोन माइन, रकवा 38.129 हे.
66.	मेसर्स मैहर सीमेंट, सरलानगर मैहर (क्षमता विस्तार हेतु)
67.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. कोल माइन बटुरा ओपन कास्ट सोहागपुर, जिला—शहडोल
68.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. कोल माइन बटुरा ओपन कास्ट खाडा सोहागपुर, जिला—अनूपपुर
69.	मेसर्स ओरियण्ट पेपर मिल अमलाई, (क्षमता विस्तार) जिला—शहडोल
70.	मेसर्स एन.सी.एल. दुधिचुआ (क्षमता विस्तार), सिंगरौली
71.	मेसर्स गोंड मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट, ग्राम जलपानी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली

**दूषित जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले वृहद, मध्यम,
लघु उद्योगों/संस्थानों/ खदानों की सूची**

क्र.	उद्योग/संस्थान/खदान का नाम
1.	मेसर्स एवगॉल इण्डिया प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
2.	मेसर्स पी.जी. इन्कास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड (पेपर डिवीजन), औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
3.	मेसर्स बद्री इकोफायर्बर्स प्रा.लि., (यूनिट -2), औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
4.	मेसर्स युनिटी पल्प एण्ड पेपर्स, औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
5.	मेसर्स बायो न्यूट्रियेंट्स (इण्डिया) प्रा.लिमिटेड , औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
6.	मेसर्स मंगल बिवरेजेस एण्ड फूड वर्क्स एलएलपी, औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
7.	मेसर्स वानी इंटरप्राईजेस, औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
8.	नेटलिंक सॉफ्टवेयर प्रा.लिमिटेड , औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
9.	मेसर्स ओम ऑप्टेल इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड (प्लास्टिक एण्ड अदर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन) औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
10.	मेसर्स राम मल्टीसॉल्वेक्स इण्डिया प्रा.लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
11.	मेसर्स ख्याति फूड्स प्रा.लि. (आर्गेनिक साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन प्लांट) यूनिट-2, रायसेन
12.	मेसर्स सीजी पावर एण्ड इंडस्ट्रियल साल्यूशन्स लि. (मोटर एण्ड जनरेटर डिवीजन), रायसेन
13.	मेसर्स मंगल बेवरेजेस एण्ड फूड वर्क्स एलएलपी, रायसेन
14.	मेसर्स नेशनल हास्पिटल, भोपाल
15.	मेसर्स वरदान हास्पिटल, भोपाल
16.	मेसर्स चरक हास्पिटल, भोपाल
17.	मेसर्स बी.सी.एच., भोपाल
18.	मेसर्स देवमाता हास्पिटल, भोपाल
19.	मेसर्स गीतांजली मैरिज गार्डन, भोपाल
20.	मेसर्स ओम आटो एण्ड सन्स, भोपाल
21.	मेसर्स बुल मदर फार्म (एम.पी. स्टेट लाइबस्टॉक एण्ड पोल्ट्री डेक्हलपमेंट कार्पोरेशन की इकाई), भोपाल
22.	मेसर्स सुपर डीलक्स डायर्स एण्ड ड्राय क्लीनर्स, भोपाल
23.	मेसर्स पावर आटो डीलर्स प्रा.लि., भोपाल
24.	मेसर्स बिकोन आटोमोटिव, भोपाल
25.	मेसर्स लेंडमार्क कार्स प्रा.लि. (मर्सडीज बैंज) भोपाल
26.	मेसर्स शालीमार गार्डन (मैरिज गार्डन), भोपाल
27.	मेसर्स मयूर होम्स एण्ड हास्पिटलीटिज, भोपाल
28.	मेसर्स मेजबान शादी/पार्टी हॉल, भोपाल
29.	मेसर्स दि ग्रेन्ड जलसा भोपाल
30.	मेसर्स श्री विनायक हॉस्पिटल, भोपाल
31.	मेसर्स माऊंट हॉस्पिटल, भोपाल
32.	मेसर्स सी.आई. आटोमोटर्स प्रा.लि., भोपाल
33.	मेसर्स सी.आई. फिनलीज लि., भोपाल
34.	मेसर्स सी.आई. फिनलीज लि., भोपाल

35.	मेसर्स श्री वाटिका हेरीटेज लान्स (मैरिज गार्डन), भोपाल
36.	मेसर्स फाईन पैलेस मैरिज गार्डन, भोपाल
37.	मेसर्स आईसीएमआर—नेशनल इंस्टीट्यूट फार रिसर्च इन इनवायरमेंटल हेत्थ, भोपाल
38.	मेसर्स क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, भोपाल
39.	मेसर्स बी.एम. डब्ल्यू साल्युशन्स, भोपाल
40.	मेसर्स जयश्री हॉस्पिटल, भोपाल
41.	मेसर्स रेडक्रास हॉस्पिटल, भोपाल
42.	मेसर्स शुभ हॉस्पिटल, भोपाल
43.	मेसर्स लेक सिटी हॉस्पिटल, भोपाल
44.	मेसर्स वरदान हॉस्पिटल, भोपाल
45.	मेसर्स स्पाईन सेंटर, भोपाल
46.	मेसर्स गट जीआई एण्ड लीवर हॉस्पिटल, भोपाल
47.	मेसर्स भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल, भोपाल
48.	मेसर्स नवयुग डेरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि., सीहोर
49.	मेसर्स अदिता मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
50.	मेसर्स मीना फ्रैक्चर हॉस्पिटल, होशंगाबाद
51.	मेसर्स मॉ राजेश्वरी मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
52.	मेसर्स बायसन रिसोर्ट, मङ्गई, होशंगाबाद
53.	मेसर्स बनर्जी हॉस्पिटल, होशंगाबाद
54.	मेसर्स धनराज सेठ मेमोरियल हॉस्पिटल, होशंगाबाद
55.	मेसर्स वात्सल्य हॉस्पिटल, होशंगाबाद
56.	मेसर्स माता मंदिर हॉस्पिटल, होशंगाबाद
57.	मेसर्स जीवन धारा हॉस्पिटल, विदिशा
58.	मेसर्स चिरंजीव हार्ट एण्ड फ्रैक्चर हॉस्पिटल, विदिशा
59.	मेसर्स इन्दु जैन मेटरनिटी एण्ड हार्ट हॉस्पिटल, विदिशा
60.	मेसर्स वर्मा हॉस्पिटल, विदिशा
61.	मेसर्स 4 साईट आई हॉस्पिटल, विदिशा
62.	मेसर्स नियामो कन्सट्रक्शन (एचएमपी), बैतूल
63.	मेसर्स एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
64.	मेसर्स मॉयनस टेक्सटाईल्स प्रा.लि. औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
65.	मेसर्स जेवियर केप्स प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
66.	मेसर्स स्पेशियलिटी आर्गेनिक्स प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
67.	मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल
68.	मेसर्स अनिक मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा.लि., भोपाल
69.	मेसर्स फोर्टकेप्स हेत्थकेयर लिमिटेड, भोपाल
70.	मेसर्स रमानी आईसक्रीम कंपनी लिमिटेड, भोपाल
71.	मेसर्स पॉल इण्डस्ट्रीज, भोपाल
72.	मेसर्स मनोहर फूड्स भोपाल
73.	मेसर्स नेशनल केप्सूल्स प्रा.लि., विदिशा
74.	मेसर्स संघवी फुड प्राइवेट लि., देवास
75.	मेसर्स आदिनाथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देवास
76.	मेसर्स मां चामुण्डा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देवास

77.	मेसर्स यादव मिल्क चिलिंग सेंटर
78.	मेसर्स तिरुपति स्टार्च एण्ड केमिकल्स लि., घाटाबिल्लौद जिला-धार (म.प्र.)
79.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्रा. लि. (सीमेंट प्लांट) मनावर जिला-धार
80.	मेसर्स वेकमेट लि., औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी जिला-धार
81.	मेसर्स ग्रैट गैलियन लि., घाटाबिल्लौद जिला-धार
82.	मेसर्स साक्षी आटोमोबाईल, धार
83.	मेसर्स धाकड होटल, पीथमपुर जिला-धार
84.	मेसर्स केलिबर इनकार्पोरेशन, औ. क्षेत्र मेघनगर जिला-झाबुआ
85.	मेसर्स मॉ मैरिज गार्डन, आलीराजपुर
86.	मेसर्स ओडीबिली फूड्स एवं फोजन, धार
87.	मेसर्स पशुपति ऑर्गेनिक्स लि. मेघनगर जिला-झाबुआ
88.	मेसर्स मीनाक्षी री रोलर्स प्राय. लिमि., दतिया
89.	मेसर्स कामतानाथ फूड इण्डस्ट्री, भितरवार रोड, डबरा, ग्वालियर
90.	मेसर्स श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर स्टेशन, फेस-2, दोगलिया, खण्डवा
91.	मेसर्स आशुतोष बंसल स्टोन केशर, बीरपुर, कुडलेश्वर
92.	मेसर्स श्री कृष्णा स्पीनिंग मिल्स (इण्डिया) प्रा.लि., बुरहानपुर
93.	मेसर्स इन्डौर स्टील्स एण्ड एग्रो मिल्स लिमिटेड, इन्डौर
94.	मेसर्स कोहिनूर इलास्टिक प्रा.लि., पोलोग्राउण्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इन्डौर
95.	मेसर्स सोनी इलेक्ट्रोप्लेटर्स, 11-ए, भागीरथपुरा, इन्डौर
96.	मेसर्स सांई पॉलीमर्स, भोरसला, सांवेर रोड, इन्डौर
97.	मेसर्स ओरा एनर्जी रिजनरेशन प्रा.लि., ग्राम-राजोदा, तहसील-सांवेर, जिला-इन्डौर
98.	मेसर्स अर्पण गार्मेन्ट इण्डस्ट्रीज, (लघु) प्लॉट नं. 68, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, परदेशीपुरा, इन्डौर।
99.	मेसर्स हारेस्टर बायोटेक प्रा.लि., सांवेर रोड, औ.क्षे. सेक्टर-डी के पास, इन्डौर
100.	मेसर्स सुनीता केमिकल्स, सेक्टर-ए, सांवेर रोड, इन्डौर
101.	मेसर्स श्रद्धा सबुरी इन्टरप्राइजेस, (लघु) प्लॉट नं. 269, भागीरथपुरा इन्डौर
102.	मेसर्स एम.जी. फूड प्रोडक्ट, सर्वे नं. 335/1/2/2, न्यू अग्रवाल उद्योग नगर, पालदा, इन्डौर
103.	मेसर्स परफेक्ट सरफेस कोटिंग, 50-बी, रामबली नगर, इन्डौर
104.	मेसर्स क्वालिटी इंजिनियरिंग वर्क्स प्लाट नं. 54/बी, 111, सेक्टर-एफ, औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड, इन्डौर
105.	मेसर्स श्याम ऑटोमोटिव, 150/1/2/1, 2, 3 राऊ, इन्डौर
106.	मेसर्स गोल्डन आईल मिल, प्लॉट नं. डी 36/सी, डी 37/ए, सेक्टर-सी, सांवेर रोड, औ.क्षेत्र, इन्डौर
107.	मेसर्स सांधी ब्रदर्स प्रा.लि. (सेंधवा) डेकन तलाई, ग्राम-गोई, तहसील, सेंधवा, जिला बडवानी
108.	मेसर्स डेक्कन व्हीकल्स प्रा.लि.
109.	मेसर्स अम्बर न्यूट्रीशन प्रा.लि., पालदा, इन्डौर
110.	मेसर्स इटालियन एडिबल्स, (लघु) इन्डौर
111.	मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 231/ए, 232/ए, 232/बी, सेक्टर-एफ, सांवेर रोड औ.क्षेत्र, इन्डौर
112.	मेसर्स अजय स्नेक्स, सेक्टर-एफ, सांवेर रोड, इन्डौर।
113.	मेसर्स पेपे न्यूट्रीशन प्रा.लि. सर्वे नं. 336/1, 336/4, पालदा, उद्योग नगर, नेमावर रोड, इन्डौर
114.	मेसर्स महेन्द्र फूड प्रोडक्ट्स, 172/1, 172/2, मालीखेड़ी, नेमावर रोड, इन्डौर
115.	मेसर्स प्रीन्स इन्जीनियरिंग, सेक्टर-एफ, सांवेर रोड, इन्डौर

116.	मेसर्स शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज, बजरंग पालिया, इन्दौर
117.	मेसर्स ब्लैक बैरी टायर रिसाकलिंग प्रा.लि. असरावद बुर्जुग इन्दौर
118.	मेसर्स श्री गणपित इण्डस्ट्रीज, निमरानी, खरगोन
119.	मेसर्स ओंमकार स्वरूप इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बरुड, खण्डवा
120.	मेसर्स शान एग्रो प्रा.लि, धन्नड, इन्दौर
121.	मेसर्स रेहमानिया टैक्सटाईल, ग्राम-फतेहपुर, बुरहानपुर
122.	मेसर्स अग्रवालस स्नेक्स फूड इण्डिया एल.एल.पी., ग्राम-लिम्बोदागारी, तहसील-हातौद, जिला-इन्दौर
123.	मेसर्स लाईफ केयर हॉस्पिटल, 78 सी, विजयनगर, इन्दौर
124.	मेसर्स आनन्दम हॉस्पिटल, ए.बी. रोड, सेंधवा, बड़वानी
125.	मेसर्स सांई बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल, राजघाट रोड, बड़वानी
126.	मेसर्स एप्पल सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल, बुरहानपुर
127.	मेसर्स शुभम हॉस्पिटल, आनन्द नगर, खण्डवा
128.	मेसर्स जे.जे हॉस्पिटल, बाहेती कॉलोनी, खण्डवा
129.	मेसर्स मेडिस्केयर हॉस्पिटल, भवरकुंआ इन्दौर
130.	मेसर्स अर्पण हॉस्पिटल, राजवाडा इन्दौर
131.	मेसर्स रॉबर्ट नर्सिंग होम, वाईट चर्च, इन्दौर
132.	मेसर्स बारोड हास्पिटल, बापट चौराहा, इन्दौर
133.	मेसर्स सिटी नर्सिंग होम, राज मोहल्ला, इन्दौर
134.	मेसर्स मदरहुड हास्पिटल, ए.बी. रोड, इन्दौर
135.	मेसर्स एच.आर.जे. इन्टरनेशल प्रा.लि. (होटल प्राइड) (मध्यम) सर्वे कमांक-35 / 1 / 1, 37 / 1, 37 / 2, ग्राम-बिचौली मर्दाना बाय पास इन्दौर।
136.	मेसर्स जे.पी. एण्ड कंपनी, (होटल वॉव) (मध्यम) 106, पीयू 3, स्कीम नं. 54, इन्दौर
137.	मेसर्स ग्रेण्ड एक्जोटिका (सूर्यान्श होटल) बिचौली मर्दाना, इन्दौर
138.	मेसर्स कैच रियेलिटी प्रा.लि. (होटल गोल्डन लीफ), ग्राम-नेपानिया, इन्दौर
139.	मेसर्स मधुर मिलन रिसार्ट एण्ड मैरिज गोर्डन, 392, पिपल्याराव बोट क्लब रोड, इन्दौर
140.	मेसर्स मथुरा हमल मैरिज गार्डन, इन्दौर
141.	मेसर्स होटल बी-टाउन, ए.बी. रोड, हुकमाखेड़ी, इन्दौर
142.	मेसर्स पॉम ट्री (मैरिज गार्डन), पिपल्याराव, इन्दौर
143.	मेसर्स अयोजन फूड किएशन प्रा.लि., नेपानिया, जिला-इन्दौर।
144.	मराल ओवरसीज लि., औ.क्षे. निमरानी, खरगोन
145.	मेसर्स सी.आई.एल. टेक्सटाईल लि., शिवनगर, इन्दौर
146.	मेसर्स माउण्ट एवरेस्ट लि., सिमरोल, इन्दौर
147.	मेसर्स एसोसिएटेड अल्कोहल लि., ग्राम-खोड़ी, बड़वाह
148.	मेसर्स अमृता हर्बल प्रा.लि., सेक्टर-सी, सांवेर रोड औ.क्षे. इन्दौर
149.	मेसर्स गुरुजी प्रोडक्ट प्रा.लि. यूनिट-1, ए.बी. रोड पिगडम्बर, इन्दौर
150.	मेसर्स गुरुजी प्रोडक्ट प्रा.लि. यूनिट-2, ए.बी. रोड पिगडम्बर, इन्दौर
151.	मेसर्स मंगलम प्रोसेसर, उद्योग नगर, बुरहानपुर
152.	मेसर्स पंचशील आर्गनिक्स लि., सेक्टर-सी, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
153.	मेसर्स सांई मशीन टूल्स, सेक्टर-ए, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
154.	मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-पोडार, तहसील-गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

155.	मेसर्स शक्ति शुगर मिल, ग्राम कोडिया, नरसिंहपुर
156.	मेसर्स राज राजेश्वरी शुगर मिल, मोहपानी, गाडरवाडा, नरसिंहपुर
157.	मेसर्स वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज, ग्राम बिलगुआ नरसिंहपुर
158.	मेसर्स पेसिफिक आयरन मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी, सिहोरा जबलपुर
159.	मेसर्स डेल्डा रियल इन्फ्रा, सागर स्टोन, धमकी सिहोरा जबलपुर
160.	मेसर्स नर्मदा मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट
161.	मेसर्स महावीर मिल्क प्रोडक्ट
162.	मेसर्स आस इण्डस्ट्रीज, मनेरी, मण्डला
163.	मेसर्स विकात ट्रेडकाम प्रा.लि.
164.	मेसर्स त्रिवेणी टेक्स्टाइल मण्डला
165.	मेसर्स संचेती राईस मिल, बालाघाट
166.	मेसर्स श्री परवाईलिंग उद्योग बालाघाट
167.	मेसर्स विजय एलाइड इण्डस्ट्रीज जबलपुर
168.	मेसर्स अन्नपूर्णा राईस एण्ड परवाईलिंग उद्योग मण्डला
169.	मोटल मार्बल राक भेडाघाट जबलपुर
170.	मेसर्स कचनार क्लब रिसार्ट जबलपुर
171.	होटल रिसी एजेन्सी जबलपुर
172.	मेसर्स कलचुरी होटल जबलपुर
173.	मेसर्स कृष्णा होटल जबलपुर
174.	मेसर्स संजीवन हास्पिटल जबलपुर
175.	एडंवाश एण्डोस्कोपी हॉस्पिटल जबलपुर
176.	मेसर्स नेशनल हॉस्पिटल जबलपुर
177.	मेसर्स रोमा चटर्जी हॉस्पिटल जबलपुर
178.	मेसर्स चिरंजीव हॉस्पिटल जबलपुर हॉस्पिटल
179.	मेसर्स जामदार हॉस्पिटल जबलपुर
180.	मेसर्स साहू हॉस्पिटल जबलपुर
181.	मेसर्स सुले हॉस्पिटल जबलपुर
182.	मेसर्स मिताली हॉस्पिटल मण्डला
183.	मेसर्स ग्रोवर हॉस्पिटल जबलपुर
184.	मेसर्स कुमार हॉस्पिटल जबलपुर
185.	मेसर्स अपेक्ष हॉस्पिटल
186.	मेसर्स पडारकर हॉस्पिटल, नरसिंहपुर
187.	मेसर्स टी. एन. शुक्ला आई हॉस्पिटल
188.	मेसर्स कटरा हॉस्पिटल मण्डला
189.	मेसर्स हर्ष हॉस्पिटल जबलपुर
190.	मेसर्स शिखर जी राईस आलय मिल
191.	मेसर्स प्रकृति इण्डस्ट्रीज
192.	नर्मदा फूड जबलपुर
193.	मेसर्स बद्री गीन इनर्जी प्रा. लि. मण्डला
194.	मेसर्स संत जय राम दास राईस मिल कटंगी बालाघाट
195.	मेसर्स आनंद परवाईलिंग यूनिट 2 कटंगी बालाघाट
196.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरवाडा नरसिंहपुर

197.	मेसर्स लाईफ मेडीसिटी हॉस्पिटल जबलपुर
198.	मेसर्स मेडीकेयर हॉस्पिटल जबलपुर
199.	मेसर्स आरोग्य हॉस्पिटल बालाघाट
200.	मेसर्स निदान फ्रैक्चर हॉस्पिटल बालाघाट
201.	मेसर्स रामनारायण नेमा हार्ट हॉस्पिटल जबलपुर
202.	मेसर्स दिव्यांश इन्टरप्राईज, ग्राम अजनिया, छिन्दवाडा
203.	मेसर्स राधव एसोसियेटे कटनी
204.	मेसर्स होटल क्राउन पैलेस, मकरोनिया, सागर
205.	मेसर्स होटल लॉ कैपीटल, छतरपुर
206.	मेसर्स होटल जटाशंकर पैलेस, बस स्टैण्ड, छतरपुर
207.	मेसर्स होटल बेतवा रीट्रीट, ओरछा, टीकमगढ़
208.	मेसर्स होटल सिल्वर इस्टेट इन, टीकमगढ़
209.	मेसर्स सेवा हॉस्पिटल, मकरोनिया, सागर
210.	मेसर्स लाईफ केयर जनरल हॉस्पिटल, सागर
211.	मेसर्स पारस हॉस्पिटल, सागर
212.	मेसर्स पारस मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, खुरई, सागर
213.	मेसर्स न्यू सेवा नर्सिंग होम, टीकमगढ़
214.	मेसर्स गोविन्द सॉर्ई मेटरनिटी होम, टीकमगढ़
215.	मेसर्स आयुष्मान हॉस्पिटल, टीकमगढ़
216.	मेसर्स देव सुधा सेवालय, टीकमगढ़
217.	मेसर्स रामा बुड़ क्राफ्ट, ग्राम बम्हौर सितपुरा
218.	मेसर्स विन्ध्या बोर्ड प्रा.लि. गणेशा, सतना
219.	मेसर्स प्रेम नर्सिंग होम, सतना
220.	मेसर्स त्रिमूर्ति नर्सिंग होम, सतना
221.	मेसर्स संगम बेला मैरिज गार्डन, सतना
222.	मेसर्स दास हनुमान होटल, चित्रकूट, सतना
223.	मेसर्स झा नर्सिंग होम, सतना
224.	मेसर्स बिरला हॉस्पिटल, सतना
225.	मेसर्स समरिटन हॉस्पिटल, पतेरी, सतना
226.	मेसर्स बालाजी स्टेरायड एंड हार्मोन प्रा.लि., एस.ई.जेड फेस-1, सेक्टर-3, पीथमपुर, धार
227.	मेसर्स कमर्शियल सिन बैग्स लि., एस.ई.जेड फेस-1, सेक्टर-3, पीथमपुर, धार
228.	मेसर्स फेलिक्स जेनरिक्स प्रा.लि., एस.ई.जेड फेस-2, सेक्टर-3, पीथमपुर, धार
229.	मेसर्स एल्केम लेबोरेटरीज लि., एस.ई.जेड फेस-2, सेक्टर-3, पीथमपुर, धार
230.	मेसर्स इंडियानेट, एस.ई.जेड फेस-1, सेक्टर-3, पीथमपुर, धार
231.	मेसर्स ल्यूपिन लि. यूनिट-3 (ओ.एस.डी. एंड ओष्ठाल्मिक डिवी.), एस.ई.जेड फेस-2, सेक्टर-3, पीथमपुर, धार
232.	मेसर्स शंकर सौया कंसेप्ट्स, एस.ई.जेड फेस-2, सेक्टर-3, पीथमपुर, धार
233.	मेसर्स मेडजेल प्रा.लि., एस.ई.जेड फेस-2, सेक्टर-3, पीथमपुर, धार
234.	मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन बिरसिंहपुर पाली उमरिया
235.	मेसर्स ओरिएण्ट पैपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल
236.	मेसर्स रेडिएण्ट कोल वेनिफिकेशन, कोतमा, अनूपपुर
237.	मेसर्स एम.पी. टूरिज्म, वाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज, ग्राम ताला, तह. मानपुर, जिला उमरिया

238.	मेसर्स टाइगर लगून, ग्राम पट्टोर, तहसील मानपुर, जिला—उमरिया
239.	मेसर्स टाइगर डेन रिसॉर्ट, ग्राम—ताला, तहसील मानपुर, जिला—उमरिया
240.	मेसर्स बांधवगढ मेडोज लॉज, ग्राम बिजुरिया, तहसील मानपुर, जिला—उमरिया
241.	मेसर्स सायना रिसॉर्ट, ग्राम ताला, तहसील मानपुर, जिला—उमरिया
242.	मेसर्स राजाराम एंड ब्रदर्स मंदसौर
243.	मेसर्स सोनिक बायोकेम एक्स. लि. मंदसौर
244.	मेसर्स डी.पी. वायर्स, रतलाम
245.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली,
246.	मेसर्स आरती इण्डस्ट्रीज लि. पीथमपुर
247.	मेसर्स मेटलमेन ऑटो प्रा.लि. (यूनिट-2), पीथमपुर
248.	मेसर्स बेलमेक्स मेटल (इण्डिया) लि.(यूनिट-1), पीथमपुर
249.	मेसर्स थिंक फार्मा क्रो लि., पीथमपुर
250.	मेसर्स आज्ञा ऑटो लि. (यूनिट-1), पीथमपुर
251.	मेसर्स यूनो फूड इण्डिया प्रा.लि., पीथमपुर
252.	मेसर्स वर्धमान पायरो यूल इण्डिया प्रा.लि., पीथमपुर
253.	मेसर्स इन्डौर केप्स प्रा.लि., पीथमपुर
254.	मेसर्स श्री एस.एस. इण्डस्ट्रीज, पीथमपुर
255.	मेसर्स समयक ईको—यूल प्रा.लि., पीथमपुर
256.	मेसर्स सांची केमिकल्स प्रा.लि., पीथमपुर

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले वृहद्, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग/संस्थान/खदान का नाम
1	मेसर्स राम मल्टीसॉल्वेक्स इण्डिया प्रा.लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
2	मेसर्स वरुण बिवरेजेस, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
3	मेसर्स अनिल धाकड़ स्टोन क्रशर, रायसेन
4	मेसर्स अनिल धाकड़ (बोल्डर माईन – 2.30 हेक्टेयर), रायसेन
5	मेसर्स गोविंद कुमार खन्ना (बोल्डर माईन – 1.90 हेक्टेयर), रायसेन
6	मेसर्स सुनील कुमार मालवीय स्टोन क्रशर, रायसेन
7	मेसर्स सुनील कुमार मालवीय (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), रायसेन
8	मेसर्स डल्लू कंन्सट्रक्शन कंपनी (स्टोन क्रशर), जिला रायसेन
9	मेसर्स डल्लू कंन्सट्रक्शन कंपनी (बोल्डर माईन – 0.931 हेक्टेयर), रायसेन
10	मेसर्स मोहम्मद नवेद (बोल्डर माईन – 1.90 हेक्टेयर), रायसेन
11	मेसर्स मोहम्मद नवेद स्टोन क्रशर, रायसेन
12	मेसर्स बद्री इको फायर्बर्स प्रा.लि. (यूनिट –2), औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
13	मेसर्स परमजीत सिंह (आर्डिनरी क्ले माईन – 1.902 हेक्टेयर), रायसेन
14	मेसर्स परमजीत सिंह ब्रिक्स यूनिट, रायसेन
15	मेसर्स ट्रान्सविक इण्डस्ट्रीज (यूनिट –2), औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
16	मेसर्स रघुवीर सिंह चौहान (मुरम माईन – 1.00 हेक्टेयर), रायसेन
17	मेसर्स देवेन्द्र रघुवंशी (बोल्डर माईन), रायसेन
18	मेसर्स संजय कोठारी (बोल्डर माईन – 1.619 हेक्टेयर), रायसेन
19	मेसर्स महेन्द्र सिंह रघुवंशी (बोल्डर माईन – 2.340 हेक्टेयर), रायसेन
20	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. (क्रशर यूनिट) रायसेन
21	मेसर्स हरी सिंह मीणा (मुरम क्वारी–1.00 हेक्टेयर), रायसेन
22	मेसर्स बालकराम रघुवंशी स्टोन क्रशर, रायसेन
23	मेसर्स बालकराम रघुवंशी (बोल्डर माईन–2.00 हेक्टेयर), रायसेन
24	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. (डब्लूएमएम/बैचिंग प्लांट), तामोट, रायसेन
25	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. (बैचिंग प्लांट), सिमरई, रायसेन
26	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. (हॉटमिक्स प्लांट), तामोट, रायसेन
27	मेसर्स अब्दुल गनी (बोल्डर माईन–3.00 हेक्टेयर), रायसेन
28	मेसर्स सत्येन्द्र सिंह यादव (बोल्डर माईन–1.00 हेक्टेयर), रायसेन
29	मेसर्स सत्येन्द्र सिंह यादव स्टोन क्रशर, रायसेन
30	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. (माईनिंग यूनिट), रायसेन
31	मेसर्स ख्याति फूड्स प्रा.लि. (आर्गनिक साल्वेट एक्सट्रैक्शन प्लांट) यूनिट–2, रायसेन
32	मेसर्स निरंजन सिंह पाल स्टोन क्रशर रायसेन
33	मेसर्स निरंजन सिंह पाल (बोल्डर माईन–1.914 हेक्टेयर), रायसेन
34	मेसर्स पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर (बोल्डर माईन–1.226 हेक्टेयर), रायसेन
35	मेसर्स संजय कोठारी (बोल्डर माईन–1.00 हेक्टेयर), रायसेन
36	मेसर्स जसवंत सिंह चौहान (बोल्डर माईन–4.00 हेक्टेयर), रायसेन

37	मेसर्स श्री उमाशंकर शर्मा (बोल्डर माईन–2.00 हेक्टेयर), रायसेन
38	मेसर्स श्री उमाशंकर शर्मा स्टोन क्रशर, रायसेन
39	मेसर्स देवेन्द्र कुमार शर्मा स्टोन क्रशर, रायसेन
40	मेसर्स देवेन्द्र कुमार शर्मा (बोल्डर माईन–2.00 हेक्टेयर), रायसेन
41	मेसर्स राहुल जैन (बोल्डर माईन–2.820 हेक्टेयर), रायसेन
42	मेसर्स राहुल जैन स्टोन क्रशर, रायसेन
43	मेसर्स सुरेश कुमार इंदौरिया (आर्डिनरी क्ले माईन–1.447 हेक्टेयर), रायसेन
44	मेसर्स सुरेश कुमार इंदौरिया (ब्रिक्स यूनिट), रायसेन
45	मेसर्स राजकुमार मालवीय (बोल्डर माईन–3.00 हेक्टेयर), रायसेन
46	मेसर्स शाहवर खालिद स्टोन क्रशर, रायसेन
47	मेसर्स शाहवर खालिद (बोल्डर माईन–2.429 हेक्टेयर), रायसेन
48	मेसर्स ब्रजगोपाल कन्सट्रक्शन कंपनी प्रा.लि. (आर.एम.सी), रायसेन
49	मेसर्स सीजी पावर एण्ड इंडस्ट्रियल साल्यूशन्स लि. (मोटर एण्ड जनरेटर डिवीजन), रायसेन
50	मेसर्स जसपाल सिंह अटवाल (बोल्डर माईन – 1.50 हेक्टेयर), रायसेन
51	मेसर्स जसपाल सिंह अटवाल स्टोन क्रशर, रायसेन
52	मेसर्स गोविंद चौरिया (मुरम क्वारी–3.00 हेक्टेयर), रायसेन
53	मेसर्स अरुण पटेल (बोल्डर माईन – 1.00 हेक्टेयर), रायसेन
54	मेसर्स अरुण पटेल स्टोन क्रशर, रायसेन
55	मेसर्स वंदना चौकसे (बोल्डर माईन – 1.862 हेक्टेयर), रायसेन
56	मेसर्स मेक्सन हेल्थ केयर प्रा.लि. यूनिट–1, मंडीदीप, रायसेन
57	मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (आरएमसी प्लांट), रायसेन
58	मेसर्स अनस हुसैन (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), रायसेन
59	मेसर्स अनस हुसैन स्टोन क्रेशर, रायसेन
60	मेसर्स मानिक अंदान (बोल्डर माईन – 1.00 हेक्टेयर), रायसेन
61	मेसर्स महाराज सिंह कुशवाहा (आर्डिनरी क्ले माईन–2.428 हेक्टेयर), रायसेन
62	मेसर्स भगत सिंह (बोल्डर माईन – 0.720 हेक्टेयर), रायसेन
63	मेसर्स भगत सिंह स्टोन क्रेशर, रायसेन
64	मेसर्स सचिन सिंह तोमर (बोल्डर माईन – 2.02 हेक्टेयर), रायसेन
65	मेसर्स सचिन सिंह तोमर स्टोन क्रेशर, रायसेन
66	मेसर्स बलवंत सिंह पटेल (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), रायसेन
67	मेसर्स बलवंत सिंह पटेल स्टोन क्रेशर, रायसेन
68	मेसर्स शुभम पैकर्स एण्ड प्रिन्टर्स प्रा.लि., रायसेन
69	मेसर्स अर्पित मालवीय (बोल्डर माईन – 1.90 हेक्टेयर), भोपाल
70	मेसर्स श्राव इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल
71	मेसर्स राजकुमार राजपूत (मुरम / कोपरा क्वारी – 2.00 हेक्टेयर), भोपाल
72	मेसर्स संगीता शर्मा (बोल्डर माईन – 3.67 हेक्टेयर), भोपाल
73	मेसर्स योगेश त्रिपाठी (बोल्डर माईन – 3.00 हेक्टेयर), भोपाल
74	मेसर्स योगेश त्रिपाठी (बोल्डर माईन – 3.00 हेक्टेयर), भोपाल
75	मेसर्स योगेश त्रिपाठी स्टोन क्रेशर, भोपाल
76	मेसर्स सोनी बिष्ट (बोल्डर माईन – 3.00 हेक्टेयर), भोपाल
77	मेसर्स निखिल कुमार सिंह (बोल्डर माईन – 2.190 हेक्टेयर), भोपाल
78	मेसर्स निखिल कुमार सिंह (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), भोपाल

79	मेसर्स विशाल यादव (बोल्डर माईन – 3.00 हेक्टेयर), भोपाल
80	मेसर्स स्वास्तिका क्रेशर (स्टोन क्रशर), भोपाल
81	मेसर्स श्री बालाजी स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन – 1.560 हेक्टेयर), भोपाल
82	मेसर्स पावर आटो डीलर्स प्रा.लि., भोपाल
83	मेसर्स बिकोन ऑटोमोटिव, भोपाल
84	मेसर्स मारुति इंटरप्राईजेस स्टोन क्रेशर, भोपाल
85	मेसर्स शिवज्ञा शी (प्लाई ऐश ब्रिक्स यूनिट), भोपाल
86	मेसर्स यावर मोहम्मद खान (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), भोपाल
87	मेसर्स रमप्रीत सिंह कालरा (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), भोपाल
88	मेसर्स गुरजीत सिंह कालरा (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), भोपाल
89	मेसर्स आनंद स्टोन क्रेशर, (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), भोपाल
90	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. (आर.एम.सी), भोपाल
91	मेसर्स उमा शर्मा (बोल्डर माईन – 2.85 हेक्टेयर), भोपाल
92	मेसर्स उमा शर्मा स्टोन क्रेशर, भोपाल
93	मेसर्स क्यूब कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड (आर.एम.सी प्लांट), भोपाल
94	मेसर्स मोना मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रा.लि. भोपाल
95	मेसर्स श्री विनायक हॉस्पिटल, भोपाल
96	मेसर्स चतुर्वेदी मेटरनिटी एण्ड जनरल हॉस्पिटल, भोपाल
97	मेसर्स माउंट हॉस्पिटल, भोपाल
98	मेसर्स सी.आई. आटोमोटर्स प्रा.लि. भोपाल
99	मेसर्स सी.आई. फिनलीज लि. भोपाल
100	मेसर्स सी.आई. फिनलीज लि. भोपाल
101	मेसर्स आदर्श हॉस्पिटल, भोपाल
102	मेसर्स आईसीएमआर–नेशनल इंस्टीट्यूट फार रिसर्च इन इनवायरमेंटल हेल्थ, भोपाल
103	मेसर्स राधिका शर्मा (बोल्डर माईन–1.799 हेक्टेयर), भोपाल
104	मेसर्स न्यू लाईफ एम.जे. हॉस्पिटल, भोपाल
105	मेसर्स विनय अग्रवाल (बोल्डर माईन–2.35 हेक्टेयर), भोपाल
106	मेसर्स अमन स्टोन क्रेशर, भोपाल
107	मेसर्स बबलू खान (बोल्डर माईन–2.00 हेक्टेयर), भोपाल
108	मेसर्स राधिका शर्मा (बोल्डर माईन–4.00 हेक्टेयर), भोपाल
109	मेसर्स साईनाथ स्टोन क्रेशर, भोपाल
110	मेसर्स गजेन्द्र सिंह गौर स्टोन क्रेशर, भोपाल
111	मेसर्स गजेन्द्र सिंह गौर (बोल्डर माईन–1.80 हेक्टेयर), भोपाल
112	मेसर्स विधाता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भोपाल
113	मेसर्स कमला देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल, भोपाल
114	मेसर्स गोविंद सिंह यादव (बोल्डर माईन–1.92 हेक्टेयर), भोपाल
115	मेसर्स गोविंद सिंह यादव (बोल्डर माईन–2.00 हेक्टेयर), भोपाल
116	मेसर्स यादव स्टोन क्रेशर, भोपाल
117	मेसर्स विशेष हॉस्पिटल एण्ड पेन मैनेजमेंट सेन्टर, भोपाल
118	मेसर्स दि ग्रेन्ड जलसा भोपाल
119	मेसर्स रक्षा हॉस्पिटल, भोपाल
120	मेसर्स बालाजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, भोपाल

121	मेसर्स क्राट इंडस्ट्रीज, भोपाल
122	मेसर्स आयुष हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, भोपाल
123	मेसर्स जयश्री हॉस्पिटल, भोपाल
124	मेसर्स रेडक्रास हॉस्पिटल, भोपाल
125	मेसर्स शुभ हॉस्पिटल, भोपाल
126	मेसर्स नितिन सिंह परिहार (मुरम / कोपरा माईन-2.00 हेक्टेयर), भोपाल
127	मेसर्स वरदान हॉस्पिटल, भोपाल
128	मेसर्स बी.एम. डब्ल्यू साल्युशन्स, भोपाल
129	मेसर्स सागर इण्डस्ट्रीज (ग्रेडिंग सोरटेक्स प्लांट), सीहोर
130	मेसर्स नर्मदा प्रसाद (बोल्डर माईन – 2.023 हेक्टेयर), सीहोर
131	मेसर्स नर्मदा प्रसाद स्टोन क्रशर, सीहोर
132	मेसर्स एक्सपर्ट आर्गेनिक मिल, सीहोर
133	मेसर्स सनलिंक प्रीकास्ट, सीहोर
134	मेसर्स केलकुलस फूड्स प्रा.लिमिटेड, सीहोर
135	मेसर्स अंशिका क्राप केयर प्रा. लिमिटेड, सीहोर
136	मेसर्स श्री नर्मदा प्रसाद (बोल्डर माईन – 2.023 हेक्टेयर), सीहोर
137	मेसर्स श्री नर्मदा प्रसाद स्टोन क्रशर, सीहोर
138	मेसर्स प्रदयुमन सिंह सिसोदिया स्टोन क्रशर, सीहोर
139	मेसर्स प्रदयुमन सिंह सिसोदिया (बोल्डर माईन – 1.32 हेक्टेयर), सीहोर
140	मेसर्स संजय शर्मा स्टोन क्रशर, सीहोर
141	मेसर्स संजय शर्मा (बोल्डर माईन – 1.214 हेक्टेयर), सीहोर
142	मेसर्स खुर्म पटेल स्टोन क्रशर, सीहोर
143	मेसर्स खुर्म पटेल (बोल्डर माईन – 2.428 हेक्टेयर), सीहोर
144	मेसर्स एन.के.सी प्रोजेक्ट प्रा.लि. (स्टोन क्रशर), सीहोर
145	मेसर्स एन.के.सी प्रोजेक्ट प्रा.लि. (बोल्डर माईन – 1.808 हेक्टेयर), सीहोर
146	मेसर्स एन.के.सी प्रोजेक्ट प्रा.लि. (बोल्डर माईन – 2.808 हेक्टेयर), सीहोर
147	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. एण्ड एन.के.सी प्रोजेक्ट प्रा.लि. (क्रशर यूनिट) सीहोर
148	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. एण्ड एन.के.सी प्रोजेक्ट प्रा.लि. (डब्ल्यूएमएम / बैचिंग प्लांट), सीहोर
149	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. एण्ड एन.के.सी प्रोजेक्ट प्रा.लि. (हॉटमिक्स प्लांट), सीहोर
150	मेसर्स सेन्ट्रोडॉस्ट्राय (इंडिया) प्रा.लि. (माईनिंग यूनिट), सीहोर
151	मेसर्स रवीन्द्र यादव स्टोन क्रशर, सीहोर
152	मेसर्स रवीन्द्र यादव (बोल्डर माईन – 2.00 हेक्टेयर), सीहोर
153	मेसर्स द्वारका पटेल (बोल्डर माईन – 2.429 हेक्टेयर), सीहोर
154	मेसर्स द्वारका पटेल स्टोन क्रशर, सीहोर
155	मेसर्स बाबा स्टोन एण्ड अर्थ मूवर्स (मुरम माईन-2.00 हेक्टेयर), सीहोर
156	मेसर्स नवयुग डेरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि., सीहोर
157	मेसर्स शिवम इंडस्ट्रीज, सीहोर
158	मेसर्स दीर्घायु हॉस्पिटल, सीहोर
159	मेसर्स अमित कुमार मालपानी स्टोन क्रशर, सीहोर
160	मेसर्स अमित कुमार मालपानी (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), सीहोर
161	मेसर्स मोहम्मद सउद (बोल्डर माईन – 4.00 हेक्टेयर), सीहोर

162	मेसर्स अक्षय रघुवंशी (बोल्डर माईन-4.00 हेक्टेयर), सीहोर
163	मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (आरएमसी प्लांट), सीहोर
164	मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (आरएमसी प्लांट), सीहोर
165	मेसर्स पारस स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन-1.00 हेक्टेयर), सीहोर
166	मेसर्स अरुणोदय तिवारी (बोल्डर माईन - 0.50 हेक्टेयर), बैतूल
167	मेसर्स तिरुपति बिल्डकाम प्रा.लि. स्टोन क्रशर, बैतूल
168	मेसर्स तिरुपति बिल्डकाम प्रा.लि. (बोल्डर माईन-1.00 हेक्टेयर), बैतूल
169	मेसर्स आनंद राव सरोदे (बोल्डर माईन-2.905 हेक्टेयर), बैतूल
170	मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा.लि. (बोल्डर माईन-1.00 हेक्टेयर), बैतूल
171	मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा.लि. स्टोन क्रशर, बैतूल
172	मेसर्स टर्बो रबर इंडस्ट्रीज, बैतूल
173	मेसर्स टर्बो टॉयर एण्ड ट्रूयूब इंडस्ट्रीज, बैतूल
174	मेसर्स संध्या सिंह चौहान (बोल्डर माईन-1.20 हेक्टेयर), बैतूल
175	मेसर्स मुकेश पवार (बोल्डर माईन-2.00 हेक्टेयर), बैतूल
176	मेसर्स उमेश साहू (बोल्डर माईन-1.00 हेक्टेयर), बैतूल
177	मेसर्स श्री बालाजी ऐसोसियेट्स (बोल्डर माईन-3.90 हेक्टेयर), बैतूल
178	मेसर्स लांगजिआन-जितेन्द्र सिंह (जे.वी.)-बोल्डर माईन-3.00 हेक्टेयर, बैतूल
179	मेसर्स लांगजिआन-जितेन्द्र सिंह (जे.वी.)-बोल्डर माईन-1.50 हेक्टेयर, बैतूल
180	मेसर्स शेख अल्ताफ (बोल्डर माईन-1.00 हेक्टेयर), बैतूल
181	मेसर्स दिलीप कुमार आर्य (बोल्डर माईन-2.00 हेक्टेयर), बैतूल
182	मेसर्स लांगजिआन-जितेन्द्र सिंह (जे.वी.)-आरएमसी प्लांट+वर्कशॉप+कैंप, बैतूल
183	मेसर्स लांगजिआन-जितेन्द्र सिंह (जे.वी.)-स्टोन क्रशर, बैतूल
184	मेसर्स लांगजिआन-जितेन्द्र सिंह (जे.वी.)-आरएमसी प्लांट+एचएमपी+डब्ल्यूएमएम, बैतूल
185	मेसर्स जितेन्द्र सोनारे (बोल्डर माईन - 1.49 हेक्टेयर), बैतूल
186	मेसर्स जितेन्द्र सोनारे स्टोन क्रशर, बैतूल
187	मेसर्स लांगजिआन-जितेन्द्र सिंह (जे.वी.)- निशाना रैयत स्टोन क्रशर, बैतूल
188	मेसर्स लांगजिआन-जितेन्द्र सिंह (जे.वी.)- रायपुर स्टोन क्रशर, बैतूल
189	मेसर्स लांगजिआन-जितेन्द्र सिंह (जे.वी.)- एचएमपी, बैतूल
190	मेसर्स प्रमिला धाडसे (बोल्डर माईन - 1.00 हेक्टेयर), बैतूल
191	मेसर्स उमेश साहू (बोल्डर माईन - 1.129 हेक्टेयर), बैतूल
192	मेसर्स प्रेमलता अग्रवाल (बोल्डर माईन - 3.00 हेक्टेयर), बैतूल
193	मेसर्स नियामो कन्सट्रक्शन (एचएमपी), बैतूल
194	मेसर्स रुद्र स्टोन क्रशर, बैतूल
195	मेसर्स भूपेन्द्र सावरकर (बोल्डर माईन - 1.112 हेक्टेयर), बैतूल
196	मेसर्स भगवती इंटरप्राईजेस (बोल्डर माईन - 1.00 हेक्टेयर), जिला हरदा
197	मेसर्स राहुल पटेल (मुरम माईन - 2.00 हेक्टेयर), जिला हरदा
198	मेसर्स राधा स्टोन क्रशर (बोल्डर माईन - 3.234 हेक्टेयर), हरदा
199	मेसर्स संदीप गोखले (बोल्डर माईन - 1.00 हेक्टेयर), हरदा
200	मेसर्स हुकुम सिंह बघेल स्टोन क्रशर, हरदा
201	मेसर्स हुकुम सिंह बघेल , (बोल्डर माईन - 4.425 हेक्टेयर), हरदा
202	मेसर्स राजेश सिरोही स्टोन क्रशर, हरदा
203	मेसर्स राजेश सिरोही (बोल्डर माईन - 3.50 हेक्टेयर), हरदा

204	मेसर्स जम्भ कंस्ट्रक्शन कंपनी (स्टोन क्रशर), हरदा
205	मेसर्स जम्भ कंस्ट्रक्शन कंपनी (बोल्डर माईन—4.856 हेक्टेयर), हरदा
206	मेसर्स राजेश अग्रवाल (बोल्डर माईन—1.972 हेक्टेयर), हरदा
207	मेसर्स भगवती नर्सिंग होम, हरदा
208	मेसर्स राजेन्द्र सिंह (मुरम माईन — 2.50 हेक्टेयर), विदिशा
209	मेसर्स मंजू राजपूत (बोल्डर माईन — 3.00 हेक्टेयर), विदिशा
210	मेसर्स मंजू राजपूत स्टोन क्रशर, विदिशा
211	मेसर्स माखन सिंह जादौन (बोल्डर माईन — 1.00 हेक्टेयर), विदिशा
212	मेसर्स माखन सिंह जादौन स्टोन क्रशर, विदिशा
213	मेसर्स गजेन्द्र सिंह ठाकुर स्टोन क्रशर, विदिशा
214	मेसर्स अब्दुल मतीम खान स्टोन क्रशर, विदिशा
215	मेसर्स अब्दुल मतीम खान (बोल्डर माईन—1.00 हेक्टेयर) विदिशा
216	मेसर्स गजेन्द्र सिंह ठाकुर (बोल्डर माईन—2.55 हेक्टेयर) विदिशा
217	मेसर्स सुमित देवलिया स्टोन क्रशर, विदिशा
218	मेसर्स सुमित देवलिया (बोल्डर माईन—1.00 हेक्टेयर), विदिशा
219	मेसर्स उमराव सिंह किरार स्टोन क्रशर, विदिशा
220	मेसर्स उमराव सिंह किरार (बोल्डर माईन—1.881 हेक्टेयर), विदिशा
221	मेसर्स मंजू अग्रवाल (बोल्डर माईन — 2.00 हेक्टेयर), विदिशा
222	मेसर्स मंजू अग्रवाल स्टोन क्रशर, विदिशा
223	मेसर्स सोना संधु (बोल्डर माईन — 4.00 हेक्टेयर), विदिशा
224	मेसर्स यशवंत राय माथुर स्टोन क्रशर, विदिशा
225	मेसर्स यशवंत राय (बोल्डर माईन — 1.027 हेक्टेयर), विदिशा
226	मेसर्स प्रमोद शर्मा स्टोन क्रशर, विदिशा
227	मेसर्स प्रमोद शर्मा (बोल्डर माईन — 1.723 हेक्टेयर), विदिशा
228	मेसर्स राहुल रघुवंशी स्टोन क्रशर, विदिशा
229	मेसर्स राहुल रघुवंशी (बोल्डर माईन — 3.70 हेक्टेयर), विदिशा
230	मेसर्स वसीम खान (बोल्डर माईन — 1.00 हेक्टेयर), विदिशा
231	मेसर्स वसीम खान स्टोन क्रशर, विदिशा
232	मेसर्स सांवरिया कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर कंपनी (बोल्डर माईन — 1.703 हेक्टेयर), विदिशा
233	मेसर्स जितेन्द्र सिंह यादव (मुरम क्वारी — 1.5 हेक्टेयर), विदिशा
234	मेसर्स राजेश रघुवंशी स्टोन क्रशर, विदिशा
235	मेसर्स प्राणी कुमार जैन स्टोन क्रशर, होशंगाबाद
236	मेसर्स प्राणी कुमार जैन (बोल्डर माईन—4.403 हेक्टेयर), होशंगाबाद
237	मेसर्स सुशील कुमार गांधी (दाल मिल), होशंगाबाद
238	मेसर्स महेश (मुरम क्वारी—1.00 हेक्टेयर), होशंगाबाद
239	मेसर्स उत्तम क्राप साइंस, इटारसी, होशंगाबाद
240	मेसर्स राजकुमार मेहतो (मुरम क्वारी—2.74 हेक्टेयर), होशंगाबाद
241	मेसर्स मीना फ्रैक्चर हॉस्पिटल, होशंगाबाद
242	मेसर्स दयाल मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, होशंगाबाद
243	मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (आरएमसी प्लांट), होशंगाबाद
244	मेसर्स फेजान उल हक (बोल्डर माईन—1.214 हेक्टेयर), होशंगाबाद
245	मेसर्स गुरुदेव राईस मिल, होशंगाबाद

246	मेसर्स बायसन रिसोर्ट, मढई, होशंगाबाद
247	मेसर्स धनराज सेठ मेमोरियल हॉस्पिटल, होशंगाबाद
248	मेसर्स सांवरिया एग्रो ऑयल्स लिमिटेड (ऑयल डिवीजन), औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
249	मेसर्स बायो न्यूट्रियेंट्स (झण्डिया) प्रा.लिमिटेड , औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
250	मेसर्सएम.पी. एग्रो टॉनिक्स लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
251	मेसर्स कांती बेवरेजेस (प्रा.) लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
252	मेसर्स बंसल एक्सट्रेशन एण्ड एक्पोर्ट प्रा. लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन
253	मेसर्स जम्भ कन्सट्रक्शन कंपनी (स्टोन क्रशर), हरदा
254	मेसर्स हरिओम स्टोन क्रशर, भोपाल
255	मेसर्स काकड़ा रोलिंग मिल्स, भोपाल
256	मेसर्स प्रेस्टीज फुड प्रा.लि. देवास
257	मेसर्स पेंटागोन, औद्योगिक क्षेत्र, देवास
258	मेसर्स कृति इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, देवास
259	मेसर्स विष्णी इंडस्ट्रीज,देवास
260	मेसर्स महाकाली फुड्स यूनिट 2 एवं 3,देवास
261	मेसर्स मातुश्री केमिकल्स, औद्योगिक क्षेत्र , देवास
262	मेसर्स डिलाईट डेयरी, भोपाल रोड, ग्राम—खंटाम्बा, देवास
263	मेसर्स वाइट स्टार मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, औद्योगिक क्षेत्र, देवास
264	मेसर्स पवन श्री फुड्स, मकसी, जिला शाजापुर
265	मेसर्स श्री निवास बोर्ड एंड फायबर, औद्योगिक क्षेत्र, देवास
266	मेसर्स अमैया पॉलिमर्स, देवास
267	मेसर्स गजरा गियर्स, स्टेशन रोड, देवास
268	मेसर्स गजरा डिफरेंशियल, इंदौर रोड, देवास
269	मेसर्स रोका लि. देवास
270	मेसर्स संघवी फुड, इंदौर रोड, देवास
271	मेसर्स डिलाईट डेयरी, भोपाल रोड, खटम्बा, देवास
272	मेसर्स गराहा यूटिलिब्रोस लि.देवास
273	मेसर्स विष्णी स्पीनप्रो, औद्योगिक क्षेत्र,देवास
274	मेसर्स उदय माइंस, ग्राम—कलमा, जिला देवास
275	मेसर्स तिरुपति स्टार्च एण्ड केमिकल्स लि., घाटाबिल्लौद जिला—धार (म.प्र.)
276	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्रा. लि. (सीमेंट प्लांट) मनावर जिला—धार
277	मेसर्स ग्रैट गैलियन लि., घाटाबिल्लौद जिला—धार
278	मेसर्स ओएसिस डिस्टलरी, बदनावर जिला—धार
279	मेसर्स केलिबर इनकार्पोरेशन, औ. क्षेत्र मेघनगर जिला—झाबुआ
280	मेसर्स इनवेन फार्मास्यूटिकल्स, कलसाडा खुर्द जिला— धार
281	मेसर्स महाकालेश्वर इंटरप्राईजेस, मेघनगर जिला—झाबुआ
282	मेसर्स अमझेरावाला मिनरल्स, आलीराजपुर
283	मेसर्स राघव मिनरल्स, आलीराजपुर
284	मेसर्स रेवा इन्डस्ट्रीज, अगराखेडी, जिला—धार
285	मेसर्स राधे मेटल्स, घाटाबिल्लौद जिला—धार
286	मेसर्स मेघनगर फार्मा, मेघनगर जिला—झाबुआ
287	मेसर्स ब्रोमोज केमिकल्स, मेघनगर जिला—झाबुआ

288	मेसर्स प्रकाश पाटीदार (मॉ उमिया) स्टोन क्रशर, बदनावर जिला—धार
289	मेसर्स अशोक पाटीदार स्टोन क्रशर, बदनावर जिला—धार
290	मेसर्स मॉ भगवती स्टोन क्रशर, सरदारपुर जिला—धार
291	मेसर्स अंबाजी स्टोन क्रशर, बाकानेर जिला—धार
292	मेसर्स अंबे स्टोन क्रशर, आलीराजपुर
293	मेसर्स कामरनखान स्टोन क्रेशर, धरमपुरी
294	मेसर्स महेन्द्र प्रसाद व्यास स्टोन क्रेशर, सरदारपुर
295	मेसर्स खोकर स्टोन क्रेशर, बदनावर
296	मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रेशर, सलकनपुर
297	मेसर्स मॉ शारदा स्टोन क्रेशर, गंधवानी
298	मेसर्स ओम स्मेलटर्स एण्ड रोलर्स प्राय. लिमि., आंतरी, ग्वालियर
299	मेसर्स दीनदयाल फूड्स इण्डस्ट्री लिमि., भिण्ड रोड, ग्वालियर
300	मेसर्स अम्बाशक्ति उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र बामौर, मुरैना
301	मेसर्स मीनाक्षी री रोलर्स प्राय. लिमि., दतिया
302	मेसर्स कामतानाथ फूड इण्डस्ट्री, भितरवार रोड, डबरा, ग्वालियर
303	मेसर्स श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना स्टेज-2, ग्राम—दोंगलिया, खण्डवा
304	मेसर्स फिनो फूड प्रा. लि., ग्राम—खारदाखेड़ी, महू, इन्दौर
305	मेसर्स ओरा एनर्जी रिजनरेशन प्रा.लि., ग्राम—राजोदा, तहसील—सांवेर, जिला—इन्दौर
306	मेसर्स अमृता हर्बल प्रा.लि., बी—35 ए, सेक्टर—सी, औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड, इन्दौर
307	मेसर्स धनलक्ष्मी स्टॉच प्रोडक्ट्स, सेक्टर—एफ, सांवेर रोड, इन्दौर
308	मेसर्स अजय स्नेक्स, सेक्टर—एफ, सांवेर रोड, इन्दौर
309	मेसर्स सुनीता केमिकल्स, सेक्टर—ए, सांवेर रोड, इन्दौर
310	मेसर्स क्वालिटी इंजिनियरिंग वर्क्सप्लाट नं. 54 / बी, 111, सेक्टर—एफ, औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड, इन्दौर
311	मेसर्स मॉ गोमती स्टील इण्डस्ट्रीज, (लेड एण्ड कॉपर यूनिट), प्लॉट नं. 143, 144 / ए, सेक्टर—ई, सांवेर रोड, इन्दौर
312	मेसर्स टायटेनियम स्पेशियलिटीज, प्लॉट नं. 25, टाईप एल.आई., एल.आई.डी.सी., निमरानी, खरगोन
313	मेसर्स मेहता स्टील्स, प्लॉट नं. 14, 14 / ए, 14 / बी, (पैकी पार्ट), ग्राम—भवरसला, सांवेर रोड, इन्दौर
314	मेसर्स गुरुकृपा इण्डस्ट्रीज, सेक्टर—सी, औ.क्षेत्र सांवेर रोड, इन्दौर
315	मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 231 / ए, 232 / ए, 232 / बी, सेक्टर—एफ, सांवेर रोड औ.क्षेत्र, इन्दौर
316	मेसर्स सायरस मेटल, 10, नवधाटखेड़ी औ.क्षेत्र, बड़वाहा, जिला—खरगोन
317	मेसर्स पेपे न्यूट्रीशन प्रा.लि. सर्वे नं. 336 / 1, 336 / 4, पालदा, उद्योग नगर, नेमावर
318	मेसर्स महेन्द्र फूड प्रोडक्ट्स, 172 / 1, 172 / 2, मालीखेड़ी, नेमावर रोड, इन्दौर
319	मेसर्स गुरुजी प्रोडक्ट प्रा.लि. (यूनिट—1), महू, इन्दौर
320	मेसर्स गुरुजी प्रोडक्ट प्रा.लि. (यूनिट—2), महू, इन्दौर
321	मेसर्स अंकुर प्रेस्टीसाईड प्रा.लि., 244, सेक्टर—ई, औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड, इन्दौर
322	मेसर्स रेहमानिया टैक्सटाईल, ग्राम—फतेहपुर, बुरहानपुर
323	मेसर्स अग्रवाल स्नेक्स फूड इण्डिया एल.एल.पी., ग्राम—लिम्बोदागारी, तहसील—हातौद, जिला—इन्दौर
324	मेसर्स बुरहानपुर टैक्सटाईल लि., बुरहानपुर
325	मेसर्स शुभम फूड प्रा.लि., राउ, इन्दौर
326	मेसर्स आशिक स्टील, सेक्टर—सी, औ.क्ष. सांवेर रोड, इन्दौर
327	मेसर्स अगवान स्टील इंडस्ट्रीज, सेक्टर—ई, औ.क्ष. सांवेर रोड, इन्दौर

328	मेसर्स एशिया स्टील इंडस्ट्रीज, सेक्टर-एफ., ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
329	मेसर्स बेमको स्लीपर्स लि., खण्डवा
330	मेसर्स भारत (अरमान स्टील) इंडस्ट्रीज, सेक्टर-ई, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
331	मेसर्स बुरहानपुर टेक्सकोट लि., बुरहानपुर
332	मेसर्स चामुण्डा साईजिंग मिल, बुरहानपुर
333	मेसर्स सिटी स्टील रोलिंग मिल, सेक्टर-ई, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
334	मेसर्स दानिश इंडस्ट्रीज, सेक्टर-सी, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
335	मेसर्स फोरबोस इंडस्ट्रीज, सेक्टर-सी, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
336	मेसर्स गौरव स्टील इंडस्ट्रीज, सेक्टर-ई, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
337	मेसर्स गीता प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
338	मेसर्स हनुमान प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
339	मेसर्स हनुमान उद्योग, बुरहानपुर
340	मेसर्स जीवन साइजिंग, बुरहानपुर
341	मेसर्स नोवा इस्पात प्रा.लि., सेक्टर-एफ., ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
342	मेसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, बुरहानपुर
343	मेसर्स मंडी गोविन्दगढ़ स्टील प्रा.लि. सेक्टर-एफ., ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
344	मेसर्स मंगलम प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
345	मेसर्स मोहम्मद रफीक स्क्रेप ट्रेडर्स(आयरन एंड स्टील रि-रोलिंगमिल),सेक्टर-सी,ओ.क्षे.सांवेररोड,इन्दौर
346	मेसर्स मुंदडा स्टील रि-रोलिंग मिल, सेक्टर-सी, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
347	मेसर्स नवभारत पॉवरलूम को—आपरेटिव सोसायटी मर्या०, बुरहानपुर
348	मेसर्स नीलकमल इंडस्ट्रीज, बुरहानपुर
349	मेसर्स नीलकमल प्रोसेस, बुरहानपुर
350	मेसर्स न्यू मालवा स्टील इंडस्ट्रीज, सेक्टर-सी, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
351	मेसर्स निर्वाणा स्टील, सेक्टर-बी, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
352	मेसर्स पारस साईजिंग, बुरहानपुर
353	मेसर्स प्रिंस माईक्रो प्रोसेस, बुरहानपुर
354	मेसर्स सम्यक फेब्रीक्स प्रा.लि., बुरहानपुर
355	मेसर्स सना स्टील इंडस्ट्रीज, सेक्टर-एफ., ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
356	मेसर्स श्री गणपति प्लायकेम, धार रोड, इन्दौर
357	मेसर्स श्री साईजिंग वर्क्स, बुरहानपुर
358	मेसर्स स्टील श्री इंडस्ट्रीज, सेक्टर-सी., ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
359	मेसर्स सुपर स्टील इंडस्ट्रीज, सेक्टर-ई, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
360	मेसर्स स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, बुरहानपुर
361	मेसर्स टेक्सप्रो इंडस्ट्रीज, सेक्टर-बी, ओ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर
362	मेसर्स तिरुमला साईजिंग मिल, बुरहानपुर
363	मेसर्स नर्मदा शुगर मिल सालीचौका नरसिंहपुर
364	मेसर्स महाकौशल शुगर मिल, बचई जिला—नरसिंहपुर
365	शारदा प्रसाद जायसवाल मोहला जिला जबलपुर
366	मेसर्स खत्री मिनरल्स एण्ड माईनिंग कंपनी
367	मेसर्स आनंद माइनिंग कार्पोरेशन घुघरी कला
368	मेसर्स निर्मला माइनिंग कार्पोरेशन घुघरी कला
369	मेसर्स जे.के.मिनरल्स बालाघाट

370	मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका मैगनीज मार्झन्स
371	मेसर्स रितुराज वर्मा, लेटेराईट मार्झन्स
372	मेसर्स पेसीफिक मिनरल्स मैगनीज मार्झन्स बालाघाट
373	मेसर्स एनडी उपाध्याय मैगनीज मार्झन्स
374	मेसर्स राय बहादुर श्रीराम मैगनीज मार्झन्स यूनिट-1
375	मेसर्स राय बहादुर श्रीराम मैगनीज मार्झन्स यूनिट-2
376	मेसर्स श्रीकांत पाण्डेय मैगनीज मार्झन्स
377	राजेन्द्र देशमुख मैगनीज मार्झन्स
378	मेसर्स विनोद अग्रवाल स्टोन क्रशर कर्कईया मण्डला
379	मेसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज मण्डला
380	मेसर्स सिद्धार्थ स्टोन क्रशर
381	मेसर्स संतोष खण्डेलवाल स्टोन क्रशर मण्डला
382	मेसर्स सुशील पाण्डेय स्टोन क्रशर जबलपुर
383	मेसर्स वर्धमान ग्लोबल इन्फ्रास्टक्चर मण्डला
384	मेसर्स सिसोदिया स्टोन क्रशर मण्डला
385	मेसर्स जयसवाल स्टोन क्रेशर सिवनी
386	मेसर्स मोदी स्टोन क्रेशर
387	मेसर्स पूजा मिनरल्स स्टोन क्रेशर
388	मेसर्स महावीर मिनरल्स भटियाटोला मण्डला
389	मेसर्स गनपति मिनरल्स स्टोन क्रेशर मुगदरा मण्डला
390	मेसर्स भगवती स्टोन क्रेशर सिवनी
391	मेसर्स मां नर्मदा स्टोन क्रेशर अमझर जबलपुर
392	मेसर्स कारबोरेण्डम अधारताल जबलपुर
393	मेसर्स सारस फूड्स नरसिंहपुर
394	मेसर्स धनसृष्टि प्रापर्टी स्टोन क्रेशर
395	मेसर्स अभिनव स्टोन क्रेशर यूनिट-2 अमझर
396	मेसर्स मुकुल चन्द्राकर स्टोन क्रेशर कायदी बालाघाट
397	मेसर्स योगिता राईस मिल
398	मेसर्स त्रिवेणी राईस मिल
399	मेसर्स भूमिजा इस्पात एलएल एल पी मनेरी मण्डला
400	मेसर्स रमनीक पावर एण्ड फेरो एलायज बालाघाट
401	मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरवाड़ नरसिंहपुर
402	मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरवाड़ रेलवे साईडिंग नरसिंहपुर
403	मेसर्स संत श्री जय राम दास राईस मिल कटंगी बालाघाट
404	मेसर्स आनंद परवाईलिंग यूनिट 2
405	मेसर्स जय श्रीराम राईस मिल, बालाघाट
406	मेसर्स जय भगवान जी फूड प्रोडक्ट जबलपुर
407	मेसर्स परम प्रोसेस, बालाघाट
408	मेसर्स बद्री ग्रीन एनर्जी प्राओलिं मण्डला
409	मेसर्स टेलेकाम फैक्ट्री जबलपुर
410	मेसर्स नारायण मेटल एण्ड मिनरल
411	मेसर्स डी पी राय मैगनीज मार्झन्स

412	मेसर्स राजीव चड्डा बेनीफिकेशन प्लांट
413	मेसर्स शारदा प्रसाद जयसवाल लेटेराईट माईन्स
414	मेसर्स नेक्टर माईनिंग कंपनी
415	मेसर्स भागचंद संचेती डोलोमाईन्स माईन्स
416	मेसर्स राजस मार्बल माइन्स ऐरिया 5.57 हेक्टेयर
417	मेसर्स राजस मार्बल माइन्स ऐरिया 2.24 हेक्टेयर
418	मेसर्स लार्सन एण्ड टर्बो (हॉटमिक्स प्लान्ट) ग्राम मानेगाँव, जबलपुर
419	मेसर्स वेगड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राप्लि० (स्टोन क्रेशर) जबलपुर
420	मेसर्स महाकौशल एग्रीक्राप इंडिया प्राप्लि० (क्रेशर) जबलपुर
421	मेसर्स अरिहंत स्टोन क्रेशर, जबलपुर
422	मेसर्स पवन स्टोन क्रेशर जबलपुर
423	मेसर्स कुलवंत स्टोन क्रेशर, मर्डई जबलपुर
424	मेसर्स जय भगवान जी फूड प्रोडक्ट्स (राईस मिल) जबलपुर
425	मेसर्स नर्मदा स्टोन क्रेशर, जबलपुर
426	मेसर्स गगनदीप नैययर, स्टोन क्रेशर, जबलपुर
427	मेसर्स राजेन्द्र कुमार मिश्रा स्टोन क्रेशर, जबलपुर
428	मेसर्स ए.व्ही.पी. सिंह स्टोन क्रेशर, जबलपुर
429	मेसर्स स्टार स्टोन क्रेशर मण्डला
430	मेसर्स मॉ भवानी स्टोन क्रेशर, मण्डला
431	मेसर्स मासूम स्टोन क्रेशर, नरसिंहपुर
432	मेसर्स बजरंग स्टोन क्रेशर, सिवनी
433	मेसर्स अशीष ट्रेडर्स, स्टोन क्रेशर, सिवनी
434	मेसर्स श्री गोकल स्टोन क्रेशर, सिवनी
435	मेसर्स मॉ पीताम्बरा स्टोन क्रेशर सिवनी
436	मेसर्स जैन स्टोन क्रेशर सिवनी
437	मेसर्स कुरैशी स्टोन क्रेशर, सिवनी
438	मेसर्स पटेल स्टोन क्रेशर, सिवनी
439	मेसर्स परफेक्ट स्टोन क्रेशर नरसिंहपुर
440	मेसर्स वेंकटेश फुड्स, ग्राम अजनिया, छिन्दवाडा
441	मेसर्स एन.एम. दुवास स्टोन क्रेशर बिस्तरा, कटनी
442	मेसर्स जी.डी. स्टोन क्रेशर, कटनी
443	मेसर्स जे.पी. एसोसियेट्स, रीवा
444	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट बेला रीवा
445	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, बघवार, सीधी
446	मेसर्स सोमा इन्टरप्राइजेज लिमि. (स्टोन क्रशर), ग्राम सरदमन, तह. हनुमना, जिला-रीवा
447	मेसर्स सिगरौली मिनिरल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमि.(स्टोन क्रशर),ग्राम सलैया कतान,तह. हनुमना,जिला रीवा
448	मेसर्स महादेव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (स्टोन क्रशर), ग्राम शिवगढ़, पोस्ट कैलासपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा
449	मेसर्स महादेव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (स्टोन क्रशर), ग्राम गाढ़ा, पोस्ट बलभद्रगढ़, तहसील हनुमना, जिला रीवा

450	मेसर्स महादेव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (स्टोन क्रशर), ग्राम शिवगढ़, पोस्ट कैलासपुर, तहसील हनुमना, जिला रीवा
451	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमि.(स्टोन क्रशर), वार्ड नं. 1, ग्राम हनुमना, तहसील हनुमना, जिला रीवा
452	मेसर्स अमहटा हाइड्रो एनर्जी प्रा. लिमि., स्टोन क्रशर, ग्राम अमहटा, तहसील हनुमना, जिला रीवा
453	मेसर्स पार्वती इन्टरप्राइजेज (स्टोन क्रशर), ग्राम नकवार, पोस्ट बीरादई, तह. हनुमना, जिला रीवा
454	मेसर्स प्रताप इन्फ्रा विल्ड लिमि., स्टोन क्रशर, ग्राम हर्ई प्रताप सिंह, तहसील हनुमना, जिला रीवा
455	मेसर्स आभा सिंह स्टोन क्रशर, ग्राम अल्हवा कला, तहसील हनुमना, जिला—रीवा
456	मेसर्स भोले स्टोन क्रेशर, ग्राम दादर, तहसील हुजूर, जिला—रीवा
457	मेसर्स प्रभात स्टोन क्रेशर, ग्राम बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
458	मेसर्स सागर सोया प्रो. ग्राम— भैंसा, सागर
459	मेसर्स जगपिन ब्रेवरीज (डिस्टलरी यूनिट), नौगाँव, छतरपुर
460	मेसर्स मीनाक्षी मेटल, औ. क्षेत्र सिद्धगाँव, सागर
461	मेसर्स ओम ग्रेनाईट (स्टोन क्रेशर), ग्राम दिदवारा, छतरपुर
462	मेसर्स विरला कार्पो. लि., सतना
463	मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट, मनकहरी सज्जपुर, जिला सतना
464	मेसर्स रिलायंस सीमेन्ट, ग्राम भरौली, तहसील मैहर, जिला सतना
465	मेसर्स एस.एन.एस. मिनिरल्स, रेउसा
466	मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर, रेउसा
467	मेसर्स महादेव इन्फ्रा, रेउसा, तहसील मैहर
468	मेसर्स सर्वेश्वरी बिल्डिंग्स स्टोन क्रेशर, ग्राम रामस्थान
469	मेसर्स स्टाक होल्डर एसोसियेट स्टोन क्रेशर, ग्राम देवरा
470	मेसर्स शिवम स्टोन क्रेशर, ग्राम नादन, तहसील मैहर
471	मेसर्स आदित्य स्टोन क्रेशर, ग्राम नादन, तहसील मैहर
472	मेसर्स सागर इण्डस्ट्रीज, ग्राम अबेर
473	मेसर्स समर स्टोन क्रेशर, ग्राम अबेर
474	मेसर्स सतना स्टोन क्रेशर, ग्राम बम्हौर
475	मेसर्स श्रीमती हेमलता सिंह स्टोन क्रेशर, सलैया नागौद
476	मेसर्स श्रीमती मंजू सिंह स्टोन क्रेशर, ग्राम रेवरा
477	मेसर्स ओम साई विन्ध्या कन्स्ट्रक्शन, बम्हौर
478	मेसर्स प्रभात स्टोन क्रेशर, ग्राम ककलपुर
479	मेसर्स जयश्री राम स्टोन क्रेशर, ग्राम लालपुर
480	मेसर्स महाकाल इन्फ्रा, ग्राम केमार
481	मेसर्स अमित स्टोन क्रेशर, ग्राम बिरहुली
482	मेसर्स छव्वलाल शिवकुमार, पल्वराइंजिंग यूनिट, जैतवारा, जिला सतना
483	मेसर्स कुन्जीलाल ईश्वरी प्रसाद, पल्वराइंजिंग यूनिट, जैतवारा
484	मेसर्स बारको इण्डिया मिनिरल्स एण्ड केमिकल्स पल्वराइंजिंग यूनिट, ग्राम सगमा, सतना
485	मेसर्स बघनार स्टोन क्रेशर, ग्राम—नीमी
486	मेसर्स लच्छीलाल एण्ड सन्स, ग्राम बरखेड़ा
487	मेसर्स सोनिक बायोकेम एक्स्ट्रक्शन लि., एस.ई.जे.ड फेस—1, पीथमपुर, धार
488	मेसर्स बर्गवर्ग आर्गेनिक्स प्रा. लि., एसईजे.ड फेस—1 पीथमपुर
489	मेसर्स फेलिक्स जेनरिक्स प्रा.लि., एस.ई.जे.ड—फेस—2, सेक्टर—3, पीथमपुर, धार
490	मेसर्स एल्केम लेबोरेटरीज लि., एस.ई.जे.ड—फेस—2, सेक्टर—3, पीथमपुर, धार

491	मेसर्स आमाडाण्ड ओ.सी. माइन, जमुना कोतमा एरिया, जिला अनूपपुर
492	मेसर्स राजनगर ओ.सी. माइन, हसदेव एरिया, जिला अनूपपुर
493	मेसर्स खैरहा अण्डर ग्राउण्ड माइन, सोहागपुर एरिया, शहडोल
494	मेसर्स धनपुरी ओ.सी. माइन, सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
495	मेसर्स ओरिएण्ट पेपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल
496	मेसर्स बुढ़ार रेल्वे साईडिंग, एस.ई.सी.एल सोहागपुर एरिया, शहडोल
497	मेसर्स अमलाई रेल्वे साईडिंग, अमलाई, जिला शहडोल
498	मेसर्स बिजुरी ब्लास्ट रेल्वे साईडिंग, बिजुरी, कोतमा, जिला अनूपपुर
499	मेसर्स रेडिएण्ट कोल वेनिफिकेशन, कोतमा, अनूपपुर
500	मेसर्स कंचन ओपन कास्ट माइन, जोहिला एरिया, उमरिया
501	मेसर्स धेना नायक स्टोन क्रेशर, ग्राम तरंग, जिला अनूपपुर
502	मेसर्स श्री गोविंद कंस्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, ग्राम तरंग, जिला अनूपपुर
503	मेसर्स शिव कंस्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, ग्राम तरंग, जिला अनूपपुर
504	मेसर्स श्री ट्रेडर्स स्टोन क्रेशर, ग्राम बडहर, जिला अनूपपुर
505	मेसर्स शिव स्टोन क्रशर, ग्राम बाधाबान, जिला अनूपपुर
506	मेसर्स आदित्य स्टोन क्रशर, ग्राम दियापीपर, जिला शहडोल
507	मेसर्स कृष्णा स्टोन क्रशर, ग्राम दियापीपर, जिला शहडोल
508	मेसर्स साई स्टोन क्रेशर, ग्राम दियापीपर, जिला शहडोल
509	मेसर्स आर.के. स्टोन क्रेशर, ग्राम मउ, ब्यौहारी, जिला शहडोल
510	मेसर्स डेगोरा स्टोन क्रेशर, ग्राम छतरपुर, जिला शहडोल
511	मेसर्स साईनाथ स्टोन क्रेशर, ग्राम पटासी, जिला शहडोल
512	मेसर्स तिवारी स्टोन क्रेशर, ग्राम मलदा, जिला शहडोल
513	मेसर्स मां भवानी स्टोन क्रेशर, ग्राम छतरपुर, जिला शहडोल
514	मेसर्स ध्रुव स्टोन क्रेशर, ग्राम ढोलर, जिला शहडोल
515	मेसर्स कमलेश तिवारी स्टोन क्रेशर, ग्राम उमरिया, जिला शहडोल
516	मेसर्स केसरीनंदन स्टोन क्रेशर, ग्राम भमरहा, जिला शहडोल
517	मेसर्स मोनाली स्टोन क्रेशर, ग्राम मुदरिया, जिला उमरिया
518	मेसर्स सुपर चिप्स इंडस्ट्रीज स्टोन क्रेशर-1, ग्राम पौंडी, तहसील-नौरोजाबार, जिला उमरिया
519	मेसर्स सुपर चिप्स इंडस्ट्रीज स्टोन क्रेशर-2, ग्राम पौंडी, तहसील नौरोजाबार, जिला उमरिया
520	मेसर्स रमेश पुरुषवानी स्टोन क्रेशर, ग्राम गोरझया, तहसील पाली, जिला उमरिया
521	मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रेशर, ग्राम गिजरी, तहसील पाली, जिला उमरिया
522	मेसर्स चाचा-भतीजा इंटरप्राइजेज स्टोन क्रेशर, ग्राम मोहतरा, तहसील-बजाग, जिला डिंडौरी
523	मेसर्स सरस्वती स्टोन क्रेशर, ग्राम पाकरबर्गर्म, तहसील डिंडौरी, जिला डिंडौरी
524	मेसर्स ताज स्टोन क्रेशर, ग्राम मेहदवानी, तहसील शहपुरा, जिला डिंडौरी
525	मेसर्स साई स्टोन क्रेशर, ग्राम बरगांव, जिला डिंडौरी
526	मेसर्स ओम स्टोन क्रेशर, ग्राम झांकीमाल, तहसील एवं जिला डिंडौरी
527	मेसर्स डी.पी. वायर, रतलाम
528	मेसर्स मालवा ॲक्सीजन, रतलाम
529	मेसर्स मोहब्बत अली स्टोन क्रशर, रतलाम
530	मेसर्स आर.क्षी.इन्फ्रा., रतलाम
531	मेसर्स व्ही.व्ही.सी. इन्फ्रा., रतलाम
532	मेसर्स व्ही.व्ही.सी. इन्फ्रा., रतलाम

533	मेसर्स रचना इन्फ्रा., उज्जैन
534	मेसर्स कमला कन्स्ट्रक्शन, उज्जैन
535	मेसर्स जय कुमार लुनिया स्टोन क्रशर, रतलाम
536	मेसर्स नईमउद्धीन काजी स्टोन क्रशर, आलोट
537	मेसर्स आर.आर. कबीर स्टोन क्रशर, आलोट
538	मेसर्स सुरेन्द्र कुमावत स्टोन क्रशर, मंदसौर
539	मेसर्स सांवरिया स्टोन क्रशर, नीमच
540	मेसर्स खेमराज गुर्जर पिता श्री देवी सिंह स्टोन क्रशर, आलोट, रतलाम
541	मेसर्स शंकर प्रसाद नारायण दास वैश्य स्टोन क्रेशर, फुलवरी, सिंगरौली
542	मेसर्स जय बजरंग बली स्टोन क्रेशर, भाउखाड़, सिंगरौली
543	मेसर्स शिवा एसोसिएट स्टोन क्रेशर, सिगरावल, सिंगरौली
544	मेसर्स सलासर स्टोन क्रेशर, भाउखाड़, सिंगरौली
545	मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, गडेरिया, सिंगरौली
546	मेसर्स राज स्टोन क्रशर, गडरिया, सिंगरौली
547	मेसर्स मनीष एग्रो टेक लि., पीथमपुर
548	मेसर्स एसपीएम ऑटोकाम्प सिस्टम प्रा.लि., पीथमपुर
549	मेसर्स मित्तल उद्योग इन्डौर प्रा.लि, पीथमपुर
550	मेसर्स आज्ञा ऑटो लि. (यूनिट-1), पीथमपुर
551	मेसर्स ओके फर्न प्रिसिसन कास्टिंग प्रा.लि., पीथमपुर
552	मेसर्स आरती इण्डस्ट्रीज लि., पीथमपुर

वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था

क्र.	उद्योग का नाम	सेक्टर	जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था
1.	मेसर्स हिन्डालको इण्डस्ट्रीज लि. (महान एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट), बरगांव, जिला सिंगरौली	एल्युमिनियम स्मेल्टर	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
2.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (विक्रम सीमेंट), खौर, तहसील जावद, जिला नीमच	सीमेंट	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	बैग हाउस, ई.एस.पी.
3.	मेसर्स डायमंड सीमेंट (किलंकर उत्पादन इकाई), नरसिंहगढ़, जिला दमोह	सीमेंट	एस.टी.पी.	हाईब्रिड फिल्टर, डर्स्ट कलेक्टर-5, ई.एस.पी.-6 हाईब्रिड ई.एस.पी., हाईब्रिड फिल्टर, बैग हाउस, बैग फिल्टर-2
4.	मेसर्स डायमंड सीमेंट (किलंकर ग्राइंडिंग इकाई), इमलाई, जिला दमोह	सीमेंट	एस.टी.पी.	हाईब्रिड फिल्टर, डर्स्ट कलेक्टर-5, ई.एस.पी.-6 हाईब्रिड ई.एस.पी., हाईब्रिड फिल्टर, बैग हाउस बैग फिल्टर-2
5.	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट प्लांट, जे.पी. नगर, जिला रीवा	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
6.	मेसर्स बेला सीमेंट वर्क्स (यूनिट-अल्ट्राटेक सीमेंट लि.), जे.पी. पुरम, जिला रीवा	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
7.	मेसर्स सीधी सीमेंट वर्क्स (यूनिट-अल्ट्राटेक सीमेंट लि.), ग्राम मझगंवा, जिला सीधी	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
8.	मेसर्स ए.सी.सी. लि. (कैमोर सीमेंट वर्क्स), कैमोर, जिला, कटनी	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग फिल्टर, सायक्लोन, मल्टी सायक्लोन, बैग हाउस
9.	मेसर्स जय प्रकाश पॉवर वेंचर्स लि. (सीमेंट ग्राइंडिंग युनिट), जे.पी. निगरी, जिला सिंगरौली,	सीमेंट	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
10.	मेसर्स बिरला कार्पो. लि. (सीमेंट डिवीजन), बिरला विकास सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
11.	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि., मनकहरी, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
12.	मेसर्स मैहर सीमेंट, सरलानगर, मैहर, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
13.	मेसर्स रिलायन्स सीमेंट प्रा.लि., भरौली, तहसील मैहर, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
14.	मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लि., राजनगर, तहसील मैहर, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि

15.	मेसर्स भिलाई जे.पी. सीमेंट, बाबूपुर, जिला सतना	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
16.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (धार सीमेंट प्रोजेक्ट), जिला धार	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
17.	मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (मेम्ब्रेन सेल, नागदा, जिला, उज्जैन	क्लोर अल्कली	फिजिको केमीकल ट्रीटमेंट	स्कबर्स
18.	मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल कास्टिक सोडा यूनिट, जिला अनूपपुर	क्लोर अल्कली	ई.टी.पी., एस.टी.पी	क्लोरिन लाइम स्कबर
19.	मेसर्स सोम डिस्टीलरीज प्रा. लि., सेहतगंज, जिला रायसेन	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., इव्होपोरेशन, इंसीनरेटर	2 ईएसपी, बायलर साइक्लोन एवं बैग फिल्टर,
20.	मेसर्स जगपिन ब्रेवरीज लिमि. (पूर्व नाम— कॉक्स इंडिया लि.), डिस्टीलरी यूनिट, नौगाँव, छतरपुर	डिस्टीलरी	एम.ई.ई., ड्रायर	बैग डस्ट कलेक्टर
21.	मेसर्स ग्वालियर एल्कोबू प्रा.लि., रायरु., जिला ग्वालियर	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, सीपीयू स्लज डिकैन्टर एवं आर.ओ.	डस्ट कलेक्टर, ई.एस.पी., मल्टीसाइक्लोन
22.	मेसर्स ग्वालियर डिस्टलरीज लि., ग्राम डिडी, इटावा रोड, जिला भिण्ड	डिस्टीलरी	एम.ई.ई., सीपीयू, ड्रायर, आर.ओ.	साइक्लोन, बैग फिल्टर
23.	मेसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी प्रा. लि., सबलपुरा, बडवाह, जिला खरगोन	डिस्टीलरी	सी.पी.यू., ड्रायर	मल्टी साइक्लोन, डस्ट कलेक्टर
24.	मेसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एंड ब्रेवरीज लि., खोड़ी, बडवाह, जिला खरगोन	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर	मल्टी साइक्लोन, डस्ट कलेक्टर, बैग फिल्टर
25.	मेसर्स ग्रेट गैलियन लि., सेजवाया लेबड़, जिला धार	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर	ई.एस.पी.
26.	मेसर्स ओएसिस डिस्टलरी लि., ग्राम बोराली, तहसील बदनावर, जिला धार	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर	पल्स जेट बैग हाउस
27.	मेसर्स गुलशन पोलियॉल्स, प्लाट नं. 9-11, एमपीएकेव्हीएन, इण्डस्ट्रीयल एरिया बोरगाँव, जिला छिन्दवाड़ा	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., एम.ई.ई., ड्रायर	ई.एस.पी.
28.	मेसर्स विन्ध्याचल डिस्टीलरीज प्रा. लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़	डिस्टीलरी	एम.ई.ई., ड्रायर, एस.टी.पी.	ई.एस.पी.
29.	मेसर्स डी.सी.आर.डिस्टलरी, ग्राम मेहर, जिला सागर	डिस्टीलरी	एम.ई.ई., ड्रायर	सायक्लोन, बैग फिल्टर्स
30.	मेसर्स ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि., औ. क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन	फार्मास्यूटि कल	ई.टी.पी., आर ओ, एम.ई.ई.	इंसीनिरेटर, स्कबर
31.	मेसर्स ईप्का लेबोरेटरीज लि., ग्राम सेजवाता, जिला रतलाम	फार्मास्यूटि कल	प्रायमरी, सेकेण्ड्री एवं टर्शरी ट्रीटमेंट, एम.ई.ई., ए.टी.एफ. डी.	बैग फिल्टर एवं स्कबर

32.	मेसर्स गवर्हनमेंट ओपियम अल्कोलाईड वर्कर्स, जिला नीमच	फार्मास्यूटि कल	फिजीको केमीकल एवं बॉयोलॉजिकल ट्रीटमेंट	बेग फिल्टर एवं स्कबर
33.	मेसर्स सन फार्मा लि. (मेसर्स रेनबेक्सी लि.) मालनपुर, भिण्ड	फार्मास्यूटि कल	ईटीपी, एमईई, ड्रायर, आरओ	स्कबर
34.	मेसर्स टेवा ए.पी.आई. इण्डिया लि., मालनपुर, जिला भिण्ड	फार्मास्यूटि कल	ईटीपी, एमईई, ड्रायर, आर.ओ.	स्कबर
35.	मेसर्स सिमबायोटेक फार्मा, एस.ई. झेड. पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटि कल	ई.टी.पी., कार्बन फिल्टर, एमईई	बैग फिल्टर
36.	मेसर्स ल्यूपिन फॉर्मासिटिकल्स, एस.ई.झेड. पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटि कल	प्राइमरी ट्रीटमेंट, बायोलाजिकल ट्रीटमेंट, रीवर्स—ओसमोसिस, मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर	स्कबर
37.	मेसर्स इफ्का लेबोरेटरीज लि., पोलोग्राउण्ड, जिला इंदौर	फार्मास्यूटि कल	ईटीपी, एमईई, ड्रायर, एमबीबीआर, आर.ओ.	बैग फिल्टर
38.	मेसर्स सिमबायोटेक फार्मा, राज, जिला इंदौर	फार्मास्यूटि कल	ईटीपी, एमईई, ड्रायर, एमबीबीआर, आर.ओ.	बैग फिल्टर
39.	मेसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स (फार्मूलेशन एवं बल्क ड्रग प्लांट) लि., देवास	फार्मास्यूटि कल	ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर	बैग फिल्टर
40.	मेसर्स युनिकेम लबोरेटरीज लि., प्लॉट नं. 197, सेक्टर-1, पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटि कल	ई.टी.पी., आर.ओ. प्लांट, रिवर्स ओस्मोसिस	स्कबर व 35 मीटर चिमनी
41.	मेसर्स थिंक फार्मा कं. लि., इंडस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटि कल	ई.टी.पी.	बेग फिल्टर, स्कबर, सायक्लोन
42.	मेसर्स एनालटेक लेब प्रा.लि. इंडस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटि कल	ई.टी.पी., एम.ई.ई., आर.ओ. प्लांट	बेग फिल्टर, स्कबर, सायक्लोन
43.	मेसर्स मेडिलक्स लेबोरेटरीज प्रा. लि., प्लॉट नं. 98–99, सेक्टर 1, पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटि कल	ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर	बेग फिल्टर
44.	बालाजी स्टेराइड एण्ड होमोस प्रा. लि. एसईजेड, पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटि कल	ई.टी.पी. आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर	स्कबर, सायक्लोन
45.	मेसर्स नेपा लिमिटेड, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (बंद)	पल्प एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	उद्योग लम्बे समय से बंद है।
46.	मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल, मेन प्लांट, अमलाई, जिला शहडोल	पल्प एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी, वेट स्कबर

47.	मेसर्स सेक्युरिटी पेपर मिल, जिला होशंगाबाद	पल्प एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	वेट स्क्वर, मल्टी सायक्लोन, डस्ट कलेक्टर
48.	मेसर्स रामदेव शुगर प्रा.लि., वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद	शुगर	ई.टी.पी.	मल्टी साइक्लोन, वेन्चुरी स्क्रबर, चिमनी
49.	मेसर्स श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा.लि., जिला बैतूल	शुगर	ई.टी.पी.	मल्टी साइक्लोन, वेन्चुरी स्क्रबर
50.	मेसर्स पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि., ग्राम—साखरी, भितरवार, जिला ग्वालियर	शुगर	ई.टी.पी.	वेन्चुरी स्क्रबर, मल्टीसाईक्लोन
51.	मेसर्स ओलम एग्रो इंडिया लि., घटवा, जिला बडवानी	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर
52.	मेसर्स नवलसिंग सहकारी शक्कर कारखाना, जिला बुरहानपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर
53.	मेसर्स दुर्गा खांडसारी शुगर, पानसेमल, जिला बडवानी	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर, ई.एस.पी.
54.	मेसर्स जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्वर प्रोसेसिंग सोसायटी लि., कसरावद, जिला—खरगोन	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर
55.	मेसर्स मॉ रेवा शुगर प्रा. लि., नर्मदा नगर, तहसील कुक्की, जिला धार	शुगर	ई.टी.पी.	डस्ट कलेक्टर, मल्टी सायक्लोन तथा स्क्रबर
56.	मेसर्स करेली शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, करेली, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर, ऐश हैण्डलिंग सिस्टम,
57.	मेसर्स महाकौशल शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बचई, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
58.	मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम पोडार, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर, ईएसपी
59.	मेसर्स वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बिलगुआ, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
60.	मेसर्स रेवा कृष्ण शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, भिटौनी शहपुरा, जिला जबलपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
61.	मेसर्स शक्ति शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
62.	मेसर्स आकृति शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम तुमडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	वेट स्क्रबर,
63.	मेसर्स राज राजेश्वरी शुगर प्रा.लि., ग्राम मोहपानी, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेग फिल्टर
64.	मेसर्स एन. पंजाब शुगर, ग्राम हिरनाखेड़ी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा	शुगर	ई.टी.पी.	स्क्रबर

65.	मेसर्स कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नारायणपुरा, राघौगढ़, जिला गुना	शुगर	ई.टी.पी.	वेंचुरी स्कबर
66.	मेसर्स सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-6, 7, 8, 9 एवं 10, 11, सारणी, जिला बैतूल	थर्मल पावर	ई.टी.पी. ऐश पोण्ड इफ्ल्यूएन्ट – रियूज इन ऐश स्लरी प्रिपरेशन एसटीपी	ईएसपी, बैग फिल्टर
67.	मेसर्स हिन्डालको इण्डस्ट्रीज लि. (महान एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट) वरगावा, जिला सिंगरौली	थर्मल पावर	ऐश पोण्ड इफ्ल्यूएन्ट– वाटर रिसाइकिंलिंग प्लांट, ई.टी.पी.	ई.एस.पी.
68.	मेसर्स एचईजी लिमिटेड (सीटीपीपी 30 एवं 32 मेगावाट), औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन	थर्मल पावर	प्रायमरी सेटलिंग टैंक	बायलर–ईएसपी कोल हेडलिंग प्लांट– साइक्लोन, बैग फिल्टर, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, विन्ड ब्रेकिंग शेड्स
69.	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (सीटीपीपी 30 मेगावाट), औ.क्षे. सतलापुर, मण्डीदीप, जिला रायसेन	थर्मल पावर	प्रायमरी सेटलिंग टैंक	बायलर–ईएसपी कोल हेडलिंग प्लांट– साइक्लोन, बैग फिल्टर, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, विन्ड ब्रेकिंग शेड्स
70.	मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (25 एवं 40 मेगावॉट), नागदा, जिला उज्जैन	थर्मल पावर	प्रायमरी	ई.एस.पी.
71.	मेसर्स जे.पी.बीना थर्मल पावर प्लांट, ग्राम सिरचोपी, बीना, जिला सागर	थर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी.
72.	मेसर्स सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, ग्राम डोंगलीया, जिला खंडवा	थर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी.
73.	मेसर्स बी.एल.ए. पावर लि., ग्राम निवारी, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	थर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी., बैग हाउस, तथा जल छिडकाव
74.	मेसर्स झाबुआ पावर लि., ग्राम बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी	थर्मल पावर	ई.टी.पी.ई.एस.पी. एवं बैग हाउस, तथा जल छिडकाव	ई.एस.पी., बैग हाउस, तथा जल छिडकाव
75.	मेसर्स अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-5 (1ग210 मेगावाट), चचाई, जिला अनूपपुर	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
76.	मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-1, यूनिट-2 (4ग210 मेगावाट) यूनिट-3 (500 मेगावाट) बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया	थर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर

77.	मेसर्स एम.बी.पावर (म.प्र.) प्रा.लि. जैतहरी, जिला अनूपपुर	थर्मल पावर	ई.टी.पी, एस.टी.पी	ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर
78.	मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, सिद्धिखुर्द, तहसील व जिला सिंगरौली 3960 मेगावाट	थर्मल पावर	ई.टी.पी, एस.टी.पी	ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर
79.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली, 4760 मे.वा.	थर्मल पावर	ई.टी.पी, एस.टी.पी	ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर
80.	मेसर्स जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, निगरी, तह. सरई, जिला सिंगरौली 1320 मे.वा.	थर्मल पावर	ई.टी.पी, एस.टी.पी	ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर
81.	मेसर्स एस्सार पावर लि. बधौरा, तह. माडा, सिंगरौली 1200 मे.वा.	थर्मल पावर	ई.टी.पी, एस.टी.पी	ई.एस.पी., बैग फिल्टर
82.	मेसर्स मध्यभारत एग्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं.-1, ग्राम-रजौआ, जिला सागर	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था	डस्ट सप्रेशन सिस्टम, 03 स्टेज वेंचुरी स्क्वर
83.	मेसर्स मध्यभारत एग्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं. 3 (एस.एस.पी. प्लांट), ग्राम सोरई, जिला सागर	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था	बैग फिल्टर्स, सायक्लोन,03 स्टेज वेंचुरी स्क्वर
84.	मेसर्स रामा फास्फेट लि., एसएसपी डिवीजन, इंदौर	फर्टिलाईजर	न्यूट्रोलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, फिल्टर बैड, उपचारित दूषित जल का उत्पादन प्रक्रिया में पुर्नचक्रण	सल्फ्यूरिक एसिड प्लान्ट में डबल कन्वर्शन एवं डबल एब्जोर्शप्सन कंटेक्ट प्रोसेस। एस.एस.पी. हेतु-03 स्टेज वेंचुरी स्क्वर
85.	मेसर्स खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाईजर, निमरानी, जिला खरगोन	फर्टिलाईजर	न्यूट्रोलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, फिल्टर बैड, उपचारित दूषित जल का उत्पादन प्रक्रिया में पुर्नचक्रण	सल्फ्यूरिक एसिड प्लान्ट में डबल कन्वर्शन एवं डबल एब्जोर्शप्सन कंटेक्ट प्रोसेस। एस.एस.पी. हेतु-03 स्टेज वेंचुरी स्क्वर
86.	मेसर्स कोरोमण्डल इंटरनेशनल लि., निमरानी, जिला खरगोन	फर्टिलाईजर	न्यूट्रोलाईजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, उत्पाद प्रक्रिया में पुर्नचक्रण	एस.एस.पी. प्लान्ट में 04 स्टेज वेंचुरी स्क्वर
87.	मेसर्स मध्यभारत फॉस्फेट प्रा.लि. ए.के.व्ही.एन औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर,झाबुआ	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था	सायक्लोन, पल्सजेट बैग फिल्टर, थी स्टेज वेंचुरी स्क्वर
88.	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि. (यूनिट-1 एस.एस.पी.प्लांट) ए.के. व्ही.एन औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, झाबुआ	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था, सेप्टिक टैंक, सोकपिट	सायक्लोन, पल्सजेट बैग फिल्टर, थी स्टेज वेंचुरी स्क्वर

89.	मेसर्स इन्ड्रा इण्डस्ट्रीज लिमि. बदनावर, सांदला, जिला धार	फर्टिलाईजर	सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था	थ्री स्टेज वेंचुरी स्कबर
90.	मेसर्स एन.एफ.एल. विजयपुर, जिला गुना	फर्टिलाईजर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	अमोनिया एवं यूरिया 1 एवं 2 हेतु प्रिलिंग टावर, हीट रिक्व्हरी यूनिट, प्रायमरी रीफार्मर, फ्लू गैस रीफार्मर
91.	मेसर्स ट्रेन्ट केमिकल इण्डस्ट्रीज, प्लांट न. 184, ए.के.व्ही.एन औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, जिला झाबुआ	डाई एण्ड डाई इंटरमीडिएट	कलेक्शन टैंक, न्यूट्रिलाईजेशन टैंक, फिल्टर प्रेस, एजीटेटेड थर्मल फिल्म एवोपरेटर, स्प्रे ड्रायर मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	सायक्लोन, बैग फिल्टर्स, स्कबर्स,
92.	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., (युनिट-2) (एच एसिड), ए.के.व्ही.एन. औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, जिला झाबुआ	डाई एण्ड डाई इंटरमीडिएट	किस्टलाईराईजर, फिल्टर प्रेस, स्ट्रिपर, मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर एवं स्प्रे ड्रायर	डस्ट कलेक्टर, अलकली स्कबर, नाईट्रिक एसिड स्कबर, वेसल स्कबर
93.	मेसर्स त्रिमुला इंडस्ट्रीज प्रा.लि., 700 टीपीए एवं 365 टन / दिन एस.एम.एस, गोदवाली, जिला सिंगरौली	इंट्रीग्रेटेड स्टील प्लांट	एस.टी.पी.	ई.एस.पी., बैग फिल्टर
94.	मेसर्स कमल स्पंज स्टील एण्ड पावर लि., सगमा, जिला सतना (उद्योग बंद है)	स्पंज आयरन	सेप्टिक टैंक सोकपिट	ई.एस.पी.
95.	मे. भारत ओमान रिफाइनरी लि., आगासोद, बीना, जिला सागर	रिफाइनरी	ई.टी.पी.	लो नॉक्स बर्नर, केप्टिव पावर प्लांट में ई.एस. पी.
96.	मेसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमि., पो.आ. गेल काम्पलेक्स, विजयपुर, जिला गुना	पेट्रो केमीकल	ई.टी.पी.	फ्लेअर स्टेक